सिविल सर्विसेस मासिक

CHAHAL ACADEMY
LEARN TODAY! LEAD TOMORROW!

फरवरी 2021

सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के सभी समाधान एक स्थान पर

मीठे (या ताजे) पानी की मछलियाँ
एफएटीएफ ग्रे लिस्ट
थोलपावकोकोथू
भीमबेटका में 'डिकिन्सोनिया' के जीवाश्म मिले
लोकतंत्र सूचकांक
परिमार्जन नीति
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमीटेड को 83 एलसीए का अनुबंध 48,000 करोड़ रूपये में मिला
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
मानहानि – एक निर्णय जिसने एक लंबे मौन को समाप्त कर दिया
सामाजिक उत्थान का परिणाम, एक राजनीतिक प्रयोग शुरू होना
दलबदल विरोधी कानून में विसंगतियां
केंद्र शासित प्रदेशों की संरचनात्मक भंगुरता

विषय–सूची

प्रारंभिक परीक्षा

मीठे (या ताजे) पानी की मछलियाँ	1
एफएटीएफ ग्रे लिस्ट	2
थोलपावकोकोथू	7
भीमबेटका में 'डिकिन्सोनिया' के जीवाश्म मिले	11
लोकतंत्र सूचकांक (डेमोक्रेसी इंडेक्स)	14
परिमार्जन नीति	16
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमीटेड को 83 एलसीए का अनुबंध 48,000 करोड़ रूपये में मिला	22
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	28

मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन – 1

भारतीय हेरिटेज और संस्कृति, इतिहास और भूगोल विश्व और समाज

मानहानि – एक निर्णय जिसने एक लंबे मौन को समाप्त कर दिया	32
सामाजिक उत्थान का परिणाम, एक राजनीतिक प्रयोग शुरू होना	33

सामान्य अध्ययन – 2

शासन, संरक्षण, नीति, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध

दलबदल विरोधी कानून में विसंगतियां	34
केंद्र शासित प्रदेशों की संरचनात्मक भंगुरता	36

सामान्य अध्ययन – 3

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव–विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और प्रबंधन प्रबंधन

राजकोषीय रूढ़िवादीता को अलविदा	38
अभी राजकोषीय समेकन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर बाद में	39
विज्ञान से कुछ मदद के साथ कूटनीति को मजबुत बनाना	41

सामान्य अध्ययन – 4

एथिक्स, इंटिग्रीटी एवं एप्टीट्यूड

मानवाधिकार सभी का कार्य है	43

प्रारंभिक परीक्षा

मीठे (या ताजे) पानी की मछलियाँ

संदर्भ –

1. उन मछलियों को जो अपने जीवन का कुछ या सारा भाग नदियों या झीलों के पानी अर्थात ऐसे पानी में जिसकी लवणता 1.05% से कम हो में व्यतीत करती है, मीठे पानी की मछलियाँ कहा जाता है।
2. 16 वैश्विक संरक्षण संगठनों द्वारा प्रकाशित, हाल ही में आई एक रिपोर्ट, वर्ल्ड फॉरगॉटन फिश, के अनुसार मीठे पानी की सभी मछलियों में से लगभग एक तिहाई के विलुप्त होने का खतरा है।
3. 10,000 से अधिक प्रजातियां जिनके संरक्षण की स्थिति का आकलन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया गया है, 30% विलुप्त होने के कगार पर है।
4. मीठे पानी की मछलियों की 18,075 से अधिक प्रजातियां हैं, जो दुनिया की सभी मछली प्रजातियों की आधी एवं सभी कशेरुक प्रजातियों की एक चौथाई हैं।

रोजगार पर प्रभाव –

1. रिपोर्ट में कहा गया है कि ताजे पानी की मछली एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका में 200 मिलियन लोगों को प्रोटीन का मुख्य स्रोत प्रदान करती है।
2. मछली उद्योग 60 मिलियन लोगों को रोजगार एवं आजीविका प्रदान करता है, जिनमें से आधे से अधिक महिलाएं हैं।
3. कुल मिलाकर, ताजे पानी की मछलियों से उत्पन्न रोजगार में वैश्विक कृषि कार्यबल का 2.5 से 6 प्रतिशत का योगदान होता है।

विलुप्ति की कगार पर पहुँचने के कारण –

- आवास में गिरावट, खराब नियोजित बांध, अपशिष्ट जल को मुक्त करना एवं आर्द्र भूमि को सूखा देना, ओवरफिशिंग, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियों का आना, वन्यजीव अपराध, जलवायु परिवर्तन

आगे की राह –

1. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने सभी सरकारों से मीठे पानी की जैव विविधता के लिए एक वैश्विक आपातकालीन वसूली योजना के कार्यान्वयन को वापस लेने का आह्वान किया है। इसमें प्रदूषण को कम करना, नदियों को अधिक स्वाभाविक रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देना, आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करना एवं ओवरफिशिंग को समाप्त करना, अप्रचलित बांधों को हटाना एवं रेत के खनन को रोकना शामिल है।
2. लेकिन समाधान के लिए सिर्फ सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नही होगी। संरक्षण के दायरे से आगे बढ़ने के लिए नए जैव विविधता एजेंडे को लागू करने की आवश्यकता है।
3. सरकारों को ताजे पानी की मछलियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के जनादेश वाले सतत विकास लक्ष्यों में विशिष्ट नए लक्ष्यों को शामिल करना चाहिए, जो गरीबी (SDG1), भूख (SDG2), उत्पादन (एसडीजी 12), एवं पानी के नीचे जीवन (एसडीजी 14) एवं भूमि पर जिम्मेदार उपभोग एवं उनके स्पष्ट लिंक (एसडीजी 15) के बावजूद वर्तमान 169 SDG संकेतकों से लगभग पूरी तरह अनुपस्थित हैं।
4. रिपोर्ट ने खास तौर पर जोर देकर कहा है कि मीठे पानी के स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करना केवल सरकारों, व्यवसायों, निवेशकों, गैर–लाभकारी एवं समुदायों को शामिल सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से प्राप्त हो पाएगा।

समुद्र तल का हवाई मानचित्रण

विवरण –

- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के हवाई मानचित्रण जिसे 'बाथिमेट्रिक' अध्ययन भी कहते हैं के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) की मदद लेने की योजना बना रहा है, जिसे समुद्र तल की बेहतर तस्वीर मिल सके।

जोखिम कम करना –

1. NRSC पहले ही देश के पूरे तटीय क्षेत्रों के लिए एक समान उच्च गुणवत्ता की स्थलाकृतिक एयरबोर्न लेजर टेरेन मैपिंग (ALTM) कर चुका है।
2. अब, यह समुद्र तल के अधिक सटीक चित्र के लिए पूर्व एवं पश्चिम दोनों तट के 3 डी बहु–खतरे वाले मानचित्रण के लिए डेटा को एकीकृत करने की प्रक्रिया में है।
3. इंडोनेशियाई तटों की हालिया सुनामी के मद्देनजर इस तरह का एक अध्ययन अनिवार्य हो गया है जहां भूकंप से संबंधित उच्च तरंगों से अधिक नुकसान समुद्र के तल के नीचे भूस्खलन के कारण हुआ, जब लोगों को सचेत करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना अचानक लहरों ने बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया।
4. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत अनुसंधान संस्थान ने, समुद्र की बेहतर निगरानी एवं चक्रवात जैसी आसन्न आपदाओं की अधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा के तट पर 'अंतरालों' की पहचान की थी।
5. ये बंगाल की खाड़ी में पहले से ही 36 अंतरालों के अलावा होंगे।

6. चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्र वैज्ञानिक एजेंसी, मैसाचुसेट्स स्थित वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन में अपने समकक्षों के साथ INCOIS वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोलकाता के तट से दूर खाड़ी से प्राप्त एक अद्वितीय 'फ्लक्स बॉय' द्वारा दर्ज आंकड़ों का खनन किया।

एफएटीएफ

संपर्क –

1. ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग – द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए 'ग्रे लिस्ट' पर रखने का फैसला किया है।

विवरण –

1. अक्टूबर 2020 में आयोजित अधिवेशन में, FATF ने 27 में से छह दायित्वों को पूरा करने में अपनी विफलता का हवाला देते हुए पाकिस्तान को 'ग्रे सूची' में रखा था।
2. एफएटीएफ के अनुसार, इस्लामाबाद ने प्रगति की थी, लेकिन धन शोधन एवं आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में कमियों को दूर करने के लिए अपनी कार्ययोजना को पूरा करना बाकी था।
3. इस्लामाबाद को सभी 1267 एवं 1373 नामित आतंकवादियों के खिलाफ लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन का प्रदर्शन करना चाहिए था।
4. पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रदर्शन करना चाहिए था।
5. पाकिस्तान की अदालतों को आतंकवाद में शामिल लोगों को प्रभावी, निर्णायक एवं समानुपातिक दंड देना चाहिए था। यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास आतंक के वित्तपोषण से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए।
6. जब पाकिस्तान तीन अधूरे कामों को पूरा कर लेगा, तो FATF सत्यापित करेगा एवं जून 2021 अधिवेशन में इस्लामाबाद की वर्तमान स्थिति पर निर्णय लेगा।

एफएटीएफ –

1. अंतर–सरकारी निकाय है जिसे 1989 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक वित्तपोषण एवं अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया।
2. वर्तमान में इसके 39 सदस्य हैं। पाकिस्तान जून 2018 से 'ग्रे लिस्ट' में है।
3. जिन देशों को आतंकी फंडिंग का समर्थन करने एवं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें एफएटीएफ 'ग्रे लिस्ट' में डाल दिया जाता है।

इन्द्रधनुष 3

संदर्भ –

1. राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (केन्द्र शासित प्रदेशों) ने कोविड–19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण से चूक गए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को शामिल करने के लिए गहन मिशन इंद्रधनुश (IMI) 3.0 योजना शुरू की है।

नियमित टीकाकरण –

1. IMI 3.0 का उद्देश्य मिशन मोड में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण में तेजी लाना है।
2. अभियान में 15 दिनों तक चलने वाले टीकाकरण के दो दौर निर्धारित किए गए हैं (नियमित टीकाकरण एवं छुट्टियों को छोड़कर)।
3. यह 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 250 पूर्व–चिन्हित जिलों/शहरी क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है।

दूरस्थ क्षेत्र –

1. प्रवासी क्षेत्रों एवं दूरदराज के क्षेत्रों के लाभार्थियों को लक्षित किया जाएगा क्योंकि महामारी के दौरान उनकी टीके की खुराक छुट गई हो सकती हैं।
2. आईएमआई 3.0 के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जिलों को 313 कम जोखिम, 152 मध्यम जोखिम एवं 250 उच्च जोखिम वाले जिलों में लिए वर्गीकृत किया गया है।
3. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, टीकाकरण गतिविधियों के दौरान कोविड–उपयुक्त व्यवहार (CAB) के पालन पर जोर दिया गया है।
4. राज्यों को सत्र स्थलों पर भीड़ से बचने के लिए ऊचित दृष्टिकोण का पालन करने के लिए कहा गया है एवं यहां तक कि ब्रेक–अप सत्रों की योजना भी बनाई गई है।
5. सत्रों की योजना इस तरह से भी बनाई गई है कि एक समय में 10 से अधिक लाभार्थी सत्र स्थल पर मौजूद न हों।

भारत में टीकाकरण –

1. इसे 1978 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम' (EPI) के रूप में पेश किया गया था।
2. 1985 में, कार्यक्रम को 'यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम' (UIP) के रूप में संशोधित किया गया, जिसे चरणबद्ध तरीके से देश के सभी जिलों में 1989–90 तक दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम में से एक के रूप में लागू किया गया।
3. कई वर्षों तक चालू रहने के बावजूद, यूआईपी अपने जीवन के पहले वर्ष में केवल 65% बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित करने में सक्षम रहा है।

4. यूआईपी के माध्यम से, भारत सरकार टीके से बचाव के लिए निःशुल्क टीकाकरण प्रदान कर रही है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस एवं न्यूमोनिया (हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण), जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) आदि बिमारियाँ शामिल हैं। कार्यक्रम के अंर्तगत इन बिमारियों के लिए रोटावायरस वैक्सीन, आईपीवी, वयस्क जेई वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (पीसीवी) एवं यूआईपी/राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम में खसरा–रूबेला (एमआर) वैक्सीन जैसे नए टीके लगाए जाते हैं।

मिशन इन्द्रधनुष –

1. कार्यक्रम को मजबूत, पुर्नसक्रियएवं तीव्र करने एवं सभी बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में "मिशन इन्द्रधनुष" शुरू किया।
2. लक्ष्य – दो वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना था।

IMI –

1. टीकाकरण कार्यक्रम को और तेज करने के लिए, प्रधान मंत्री ने 8 अक्टूबर, 2017 को गहन मिशन इन्द्रधनुष (IMI) का शुभारंभ किया।
2. उद्देश्य – प्रत्येक बच्चे को दो वर्ष की उम्र तक एवं उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम/यूआईपी के तहत छुट गए है।
3. चयनित जिलों (उच्च प्राथमिकता वाले जिलों) एवं शहरी क्षेत्रों में कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों को कवर करना।
4. प्रवासी आबादी के साथ उप–केंद्र एवं शहरी झुग्गियों में अनारक्षित/कम कवरेज क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।
5. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) के तहत शहरी बस्तियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था।

फेसबुक ऑस्ट्रेलियाई समाचार पर प्रतिबंध को समाप्त करगा

विवरण –

1. लंबित मील के पत्थर कानून पर आखिरी सौदे के बाद, फेसबुक, ऑस्ट्रेलियाई समाचार पर विवादास्पद प्रतिबंध को हटा देगा एवं स्थानीय मीडिया कंपनियों को सामग्री के लिए भुगतान करेगा, ।
2. ऑस्ट्रेलिया ने इस समझौते की घोषणा की, जिससे गुगल एवं फेसबुक को संघर्षरत स्थानीय समाचार क्षेत्र में दसियों करोड़ डॉलर की राशि देना होगी।
3. इसके बदले में, अमेरिकी डिजिटल कंपनियों को कुछ अनिवार्य भुगतानों में छुट दी जा सकती है जिसमें उन्हें बहुत अधिक खर्च करना पड़ता एवं जो वे एक खतरनाक वैश्विक मिसाल के रूप में देखती हैं।
4. फेसबुक ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कंपनी, सेवन वेस्ट के साथ अपने पहले प्रस्तावित सौदे की घोषणा की, और कहा कि वह अन्य स्थानीय समाचार संगठनों के साथ भी वाणिज्यिक सौदों की तलाश कर रहा है।
5. कंपनी को इस वर्ष के अंत में ऑस्ट्रेलिया में एक समर्पित समाचार उत्पाद लॉन्च करने के लिए सामग्री का उपयोग करने की उम्मीद है।

तकनीकी कंपनियों एवं नियामकों के मध्य अन्य मुद्धे –

1. हालांकि समाचारों के लिंक फेसबुक या गुगल के लिए प्रत्यक्ष विज्ञापन देने वाले मनी–स्पिनर नहीं हो सकते हैं, दोनों ही समाचारों की उपस्थिति को अपने उत्पादों के साथ दर्शकों के जुड़ाव के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखते हैं।
2. गुगल एवं फेसबुक इतिहास की सबसे बड़ी लाभ अर्जित करने वाली कंपनियां हैं एवं दोनो के पास किसी भी अन्य कंपनी से अधिक सौदेबाजी की शक्तियाँ है। समाचार मीडिया सौदेबाजी कोड इस असंतुलन को पूर्ववत् करने के लिए तैयार है।
3. ऑस्ट्रेलिया में लड़ाई वास्तव में, इस बात पर केंद्रित है कि ये कंपनियां अपनी भुगतान प्रक्रिया पर कितना नियंत्रण रख पाएंगी जैसे कि परिचालन संबंधी पहलू जैसे कि समाचार फीड स्रोतों के लिए भुगतान की मात्रा तय करना एवं उनके एल्गोरिथ्म में परिवर्तन प्रकट करना।

भारत में बहस –

1. 2020 के लिए फिक्की–ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार, देश में ऑनलाइन समाचार साइटों, पोर्टलों एवं एग्रीगेटर्स के 300 मिलियन उपयोगकर्ता हैं – 2019 के अंत में भारत में लगभग 46% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं एवं 77% स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं थे।
2. 282 मिलियन अद्वितीय आगंतुकों के साथ, भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन समाचार खपत वाला देश है।
3. भारत में, डिजिटल विज्ञापन 2019 में सालाना 24% बढ़कर 27,900 करोड़ रुपये हो गया एवं 2022 तक बढ़कर 51,340 करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है।
4. समाचार मीडिया आउटलेट्स के स्वास्थ्य पर मध्यस्थ प्लेटफार्मों के प्रभाव पर पर्याप्त चर्चा अभी तक किसी भी सार्थक तरीके से शुरू नहीं हुई है।

2020 में व्यापार भागीदार –

विवरण –

1. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, चीन एवं भारत में उच्च तनाव के बावजूद, 2020 में, चीन, भारत के व्यापारिक भागीदारों की सूची में सबसे ऊपर है।
2. शीर्ष पर इसकी स्थिति केवल इसके विद्युत एवं परमाणु मशीनरी पर भारत की निरंतर निर्भरता का परिणाम नहीं है, बल्कि लोहा एवं इस्पात जैसे उत्पादों के शिपमेंट में भी तेजी है।

चीनी उपस्थिती में कटौती –

1. एक वर्ष जिसमें गलवान घाटी में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच घातक संघर्ष हुआ – जनवरी से दिसंबर 2019 के बीच भारत एवं चीन के बीच 85.47 बिलियन डॉलर के व्यापार से गिरावट के बावजूद, 2020 में इसी अवधि के दौरान देशों के बीच कुल व्यापार 77.67 बिलियन डॉलर रहा।
2. झड़प ने सरकार द्वारा देश में चीनी उपस्थिति में कटौती के विभिन्न उपायों को जन्म दिया, जिसमें लोकप्रिय ऐप्स पर प्रतिबंध, प्रमुख अवसंरचनात्मक अनुबंधों को समाप्त करना एवं पड़ोसी से महत्वपूर्ण वस्तुओं पर निर्भरता को कम करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी देना शामिल है।
3 विद्युत मशीनरी एवं उपकरण, $17.82 बिलियन, एवं परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण, $12.35 बिलियन, ने 2020 में चीन से आयात किए गए सामानों को शीर्ष पर बनाए रखा – जो कि निरंतर निर्भरता का संकेत है।
4. इसी समय, कैलेंडर वर्ष में इन वस्तुओं के आयात में लगभग 11 प्रतिशत की गिरावट आई।
5. इस बीच, भारतीय लोहे एवं इस्पात ने चीन को निर्यात में 319.14 प्रतिशत की छलांग लगाई, जिसमें शिपमेंट से जनवरी से दिसंबर 2020 के दौरान $2.38 बिलियन का स्पर्श हुआ। 2019 में चीन को लौह एवं इस्पात का निर्यात लगभग $567 मिलियन था।

अमेरिका से व्यापार –

1. अमेरिका 2019 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार था किंतु संबंध महामारी के दौरान खराब हुए।
2. 2020 में अमेरिका के साथ कुल व्यापार, $75.95 बिलियन, चीन से पीछे रह गया।
3. भारत ने जनवरी से दिसंबर 2020 के बीच अमेरिका में 49.06 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, जो कि एक साल पहले 53.82 बिलियन डॉलर था।
4. हालांकि, देश से आयात में बड़ा उछाल आया, जिससे 2020 में 26.89 बिलियन डॉलर हो गया एवं 2019 में लगभग 36.28 बिलियन डॉलर हो गया।

चीन को भारत क्या निर्यात करता है?

1. सूती धागा, लौह अयस्क, कार्बनिक रसायन, खनिज ईंधन, प्लास्टिक की वस्तुएं, मछली, लवण, विद्युत मशीनरी, लोहा एवं इस्पात, रत्न एवं आभूषण।

भारत चीन से क्या आयात करता है –

1. विद्युत मशीनरी एवं उपकरण, कार्बनिक रसायन, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, रेशम, खनिज ईंधन एवं तेल।
2. मूल्य वर्धित वस्तुएं भी भारत में चीनी निर्यात पर हावी हैं, जैसे मशीनरी, विशेष रूप से विद्युत मशीनरी, जो भारत को चीनी निर्यात का लगभग 36% बनाती है।

सरकार OTT सामग्री की निगरानी करेगी

विवरण –

- सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया नीति संहिता) नियम 2021 के दायरे में, डिजिटल मीडिया एवं ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफार्मों पर डिजिटल सामग्री के लिए पहली बार विस्तृत दिशा–निर्देश लाए हैं।

आपातकालीन शक्तियाँ –

1. नए नियमों में त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र है।
2. हालांकि, इस ढांचे के ऊपर, सरकार ने किसी भी जानकारी के सार्वजनिक उपयोग को अवरुद्ध करने के लिए खुद को 'आपातकालीन शक्तियों' से लैस किया है।
3. नियम, 'आपातकालीन प्रकृति के मामले में', सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, 'यदि वह संतुष्ट हैं कि यह आवश्यक या समीचीन एवं न्यायोचित है' पहुँच को अवरुद्ध करने के आदेश देते हैं।
4. इस तरह के आदेश प्रकाशन मंच पर 'सुनवाई का अवसर दिए बिना' जारी किये जा सकते है।
5. शिकायत निवारण प्रणाली का पहला स्तर प्रत्येक ओटीटी प्रदाता के स्तर पर होगा। प्रत्येक शिकायत को 15 दिनों के भीतर संबोधित करना होगा।
6. यदि शिकायत को संतोषजनक ढंग से संबोधित नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता इसे सामूहिक रूप से ओटीटी द्वारा स्थापित एक स्व–नियामक निकाय तक स्केल कर सकता है।
7. यह निकाय सर्वोच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानव अधिकार या अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों के एक स्वतंत्र व्यक्ति के नेतृत्व में होगा।

निरिक्षण तंत्र –

1. यह किसी भी घटती सामग्री के मामले में 'सेंसरिंग' शक्तियों के साथ स्व–नियामक निकाय भी है।
2. तीसरे स्तर पर, सरकार ने खुद को 'निरिक्षण तंत्र' के रूप में अधिभावी शक्तियों से सुसज्जित किया है।
3. एक अंतर–मंत्रालयी समिति इस कार्य को अंजाम देगी एवं इसमें काफी हद तक ओटीटी के सामूहिक स्व नियामक निकाय के समान शक्तियां होंगी।

4. दोनों मंत्रियों ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई नया कानून नहीं बनाया गया है। एवं सरकार के पास पहले से ही मौजूदा कानून के तहत आपात स्थिति में कदम रखने की शक्ति है।
5. हाल ही के मुद्दों पर 50 संसद के सवालों के साथ, विशेष रूप से ओटीटी प्लेटफार्मों पर डिजिटल सामग्री के बारे में व्यापक चिंताएं हैं।

'अशांति को समाप्त करने के लिए देशद्रोह कानून नहीं लगया जा सकता – न्यायालय

विवरण –

1. दिल्ली न्यायालय ने पाया कि देशद्रोहियों के उपद्रव को शांत करने के प्रयास के तहत देशद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।
2. किसानों के आंदोलन पर दिल्ली पुलिस के बारे में फेसबुक पर एक नकली वीडियो पोस्ट करने के लिए युवक को गिरफ्तार किया गया था। इसने 21 वर्षीय मजदूर को जमानत दी।

देशद्रोह क्या है?

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A के अंतर्गत आने वाले अध्यादेश को किसी भी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना लाने का प्रयास करता है या 1870 से भारत में अवैध है।

देशद्रोह कानून की सूची –

1. सत्रहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में कानून बनाए गए थे जब सांसदों का मानना था कि सरकार के लिए केवल अच्छी राय बचनी चाहिए, क्योंकि बुरी राय सरकार एवं राजतंत्र के लिए हानिकारक थी।
2. इस भावना (एवं कानून) को अंग्रेजों द्वारा 1870 में आईपीसी की धारा 124 A में उधार लिया गया एवं डाला गया।
3. ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को दोषी ठहराने एवं सजा देने के लिए देशद्रोह कानून का इस्तेमाल किया। इसका उपयोग पहली बार 1897 में बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किया गया था।

उपसंहार –

1. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि हिंसा का सहारा लेकर किसी भी उकसावे, कॉल, भड़काने या सार्वजनिक शांति की गड़बड़ी या गड़बड़ी पैदा करने की स्थिति में, किसी के खिलाफ राजद्रोह कानून लागू नहीं किया जा सकता है।
2. समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजद्रोह का कानून राज्य के हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण है।
3. हालाँकि, यह उपद्रवियों को शांत करने के प्रयास के तहत उपयोग नहीं किया जा सकता।

तेंदुए की आबादी पर नजर रखने को नया तरीका

विवरण –

1. जिन क्षेत्रों में तेंदुओं के घनत्व का अनुमान लगाना होता है वहां वन्यजीव विशेषज्ञों को लंबे समय से कुछ चित्तीदार बिल्लियां के होने के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हैं।
2. तीन संगठन, जिनमें से एक असम–आधारित 'आरण्यक' इन क्षेत्रों में तेंदुए की आबादी का सही आकलन करने की नई विधि को लेकर सामने आए हैं।

तेंदुए की स्थिति –

1. भारतीय तेंदुआ भारतीय उपमहाद्वीप पर पाई जाने वाली बड़ी बिल्लियों में से एक है, इसके अलावा एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, हिम तेंदुए एवं क्लाऊडेड तेंदुए हैं।
2. वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट (WPA), 1972 की अनुसूची 1 के तहत इन्हें टाइगर्स के सममूल्य सूचीबद्ध किया गया है।
3. CITES के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध है।
4. IUCN रेड लिस्ट में 'वल्नरेबल' के रूप में सूचीबद्ध।

तेंदुए के धब्बे या चकते –

1. तेंदुए के शरीर पर काले गोल निशान दिखाई देते हैं। ये बाघ की पट्टियों की तरह, प्रत्येक तेंदुए में अद्वितीय आकार प्रकार के होते हैं, जिससे प्रजातियों को व्यक्तिगत रूप से पहचाना जा सकता है।
2. लेकिन मेलेनिस्टिक तेंदुए – जिन्हें आमतौर पर ब्लैक तेंदुए, ब्लैक पैंथर्स या घौंस (असमिया भाषा में) कहा जाता है – का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि उनके धब्बे अदृश्य होते हैं।
3. आरण्यक, पैंथेरा एवं वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर–इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा लागू किए गए स्पैटियल मार्क–रेसाइट (एसएमआर) मॉडल ने मेलेनिस्टिक तेंदुओं को भी गिनने का एक तरीका प्रदान किया है। नए मॉडल के बारे में एनिमल कंजर्वेशन पत्रिका में लिखा गया है।
4. अमेरिका–आधारित पैंथरा दुनिया का एकमात्र संगठन है जो विशेष रूप से दुनिया की 40 जंगली बिल्ली प्रजातियों एवं उनके पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए समर्पित है। मेलानिज्म को इन प्रजातियों में से 14 में प्रलेखित किया गया है, जिसमें तेंदुआ भी शामिल है।
5. जब किसी आबादी में केवल चित्तीदार तेंदुआ होता है, तो उनकी जनसंख्या का अनुमान लगाना आसान हो जाता है क्योंकि सभी की पहचान की जा सकती है।
6. चित्तीदार तेंदुए के विपरीत, एक काले तेंदुए को अक्सर विश्वसनीय रूप से व्यक्तिगत रूप से पहचाना नहीं जा सकता है, हालांकि विशेष मामले मौजूद हैं।
7. इसलिए तेंदुओं की आबादी के आकार का पूरी तरह से अनुमान लगाना मुश्किल है एक कदम जो उनके संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

गंभीर समस्या –

1. यह समस्या दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय नम जंगलों में तीव्र है, जहां मेलेनिस्टिक तेंदुओं की आवृत्ति अधिक है एवं तेंदुओं को भी सबसे बड़ा खतरा है।
2. तेंदुए की आबादी का कोई सटीक अनुमान कुछ अवसरों को छोड़कर भारत में संरक्षित क्षेत्रों एवं गैर–संरक्षित क्षेत्रों में किया जा सकता है।
3. अरण्याक के बाघ अनुसंधान एवं संरक्षण प्रभाग के विशेषज्ञों ने कहा कि टीम ने एसएमआर दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए मानस नेशनल पार्क से 2017 एवं 2019 के बीच तीन साल के कैमरा ट्रैपिंग डेटा का उपयोग किया।
4. मानस में तेंदुओं का जनसंख्या घनत्व 3.37 प्रति 100 वर्ग किमी है। अध्ययन में, तेंदुओं की लगभग 22.6% छवियां मेलानिक प्रकार की थीं।

प्रमुख विकास –

1. SMR मॉडल में, वे चित्तीदार तेंदुओं के इतिहास को देखते हैं एवं तेंदुए की पूरी आबादी के आकार का अनुमान लगाने के लिए मेलानिक तेंदुओं पर जानकारी को लागू करते हैं।
2. यह एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक विकास है जो प्रजातियों के एक महान हिस्से में तेंदुओं की आबादी का आकलन करने में मदद कर सकता है, जहां से जनसंख्या के अनुमान कम रहे है।
3. एसएमआर पद्धति से यह उम्मीद की जाती है कि पारंपरिक कैमरा ट्रैडिंग फील्ड विधि को लागू करके सूचित संरक्षण उपायों के लिए तेंदुओं की जनसंख्या की स्थिति का आकलन करना आसान हो सकता है।
4. यह अन्य प्रजातियों के लिए भी व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है जो प्रकृति में समान रंग भिन्नता का प्रदर्शन करते हैं।

मुंबई के औद्योगिक समूहों में बड़े पैमाने पर कोयले का उपयोग शहर की वायु गुणवत्ता को खराब कर रहा है – CSE अध्ययन

विवरण –

1. दिल्ली स्थित गैर–लाभकारी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने एक नये अध्ययन में पाया कि मुंबई जैसा तटीय शहर धीरे–धीरे वर्षों में स्वच्छ हवा के आनंद को खो रहा है एवं इसके लिए उद्योगों द्वारा कोयले का बड़े पैमाने पर उपयोग एक बड़ा अपराधी हो सकता है।
2. हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) की फैक्ट्रियां प्रतिवर्ष दो मिलियन टन कोयला जलाती हैं।
3. सीएसई ने, मुंबई की सीमा से लगे 13 औद्योगिक क्षेत्रों में से चार – ट्रांस–ठाणे क्रीक (टीटीसी), तलोजा, अंबरनाथ एवं डोंबिवली का गहन मूल्यांकन किया है। ये क्षेत्र एमएमआर में कार्यरत लगभग 70 प्रतिशत उद्योगों को कवर करते हैं।
4. अध्ययन ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से वायु प्रदूषण भार का विश्लेषण एवं अनुमान लगाया है।
5. प्रदूषकों से स्थानीय लोगों के संपर्क की गणना करने के लिए पार्टिक्यूलेट मैटर के लिए एक संकेत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी भी आयोजित की गई थी।

TTC एक हॉटस्पॉट –

1. टीटीसी सबसे प्रदूषित था, अध्ययन क्षेत्रों के कुल भार का लगभग 44 प्रतिशत योगदान इसका था। इसके बाद तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 26 फीसदी का योगदान रहा।
2. सीएसई ने कोयला एवं कृषि आधारित ईंधन, एवं भट्ठी के तेल जैसे ठोस, गंदे ईंधन के व्यापक उपयोग के लिए उच्च प्रदूषण स्तर को जिम्मेदार ठहराया।
3. TTC में कोयले की सबसे ज्यादा खपत है एवं कृषि आधारित ईंधन, लगभग 60 प्रतिशत कोयले एवं 70 प्रतिशत कृषि–अवशेषों का अध्ययन क्षेत्रों में खपत है।
4. मुंबई एक तटीय क्षेत्र है एवं इसलिए प्रदूषण के उच्च स्तर की उम्मीद नहीं है। लेकिन तेजी से औद्योगिक एवं ढांचागत विकास के साथ, इस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता बिगड़ने लगी है।
5. दिल्ली जैसे प्रदूषण प्रेशर–कुकर में बदलने से बचने के लिए शहर को जागने एवं सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
6. प्रतिवर्ष लगभग 3.1 मिलियन टन ईंधन का उपयोग करने वाला रासायनिक क्षेत्र एक प्रमुख प्रदूषक पाया गया। अध्ययन में कहा गया है कि इस क्षेत्र में कुल भार का करीब 72 प्रतिशत योगदान है।
7. अध्ययन में पाया गया कि मध्यम एवं छोटे उद्यमों (MSME) ने वायु प्रदूषण में बड़ा योगदान किया।
8. डोम्बिवली निवासियों ने प्रदूषण को सर्वाधिक महसुस किया, सीएसई के पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) को सांकेतिक निगरानी द्वारा विश्लेषित किया गया। खराब सड़क अवसंरचना एवं आसपास के उद्योगों से उच्च, अनियंत्रित प्रदूषण उच्च पीएम सामग्री के कारण हो सकते हैं।
9. नवी मुंबई में (पनवेल के पास) पाटलगंगा औद्योगिक क्षेत्र में सबसे कम जोखिम था।

आगे की राह –

औद्योगिक क्षेत्र के लिए उल्लिखित चुनौतियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, CSE ने MMR के लिए एक व्यापक कार्य योजना विकसित की है।

1. उद्योगों को पारंपरिक प्रदूषणकारी ईंधन (कोयला, भट्ठी का तेल, आदि) से क्लीनर एवं गैर–प्रदूषणकारी ईंधन (पीएनजी, बिजली) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

2. शुरू किए गए स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने की नीति। बायोमास एवं प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन को कम खर्चीला होना चाहिए। प्राकृतिक गैस पर वैट हटाना एवं जीएसटी के तहत प्राकृतिक गैस को शामिल करना सकारात्मक कदम होगा।
3. परिवेशी वायु में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) की निगरानी उन क्षेत्रों में लगातार की जानी चाहिए जहां रासायनिक उद्योग प्रमुख हैं।
4. एयर टॉक्सिक्स उत्सर्जन इन्वेंट्री एवं नियंत्रण योजना विकसित की जानी चाहिए, टॉक्सिक्स की पहचान करें एवं एक्सपोजर मॉडलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य जोखिम का आकलन करें।
5. रासायनिक उद्योगों के लिए सेक्टर–विशिष्ट प्रदूषण मूल्यांकन अध्ययन विकसित किया जाना चाहिए।
6. तलोजा में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) द्वारा पहले से ही तैयार एवं कार्यान्वित क्रॉस–क्षेत्रीय निरीक्षण की एक अनूठी रणनीति को अन्य क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है। उद्योगों का निरीक्षण अन्य क्षेत्रों से आये एमपीसीबी अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।
7. वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करने एवं उपयोग करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र के लिए दंड का तंत्र बनाया जाना चाहिए।
8. बुनियादी ढांचे को अच्छी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए एवं सड़कों एवं ड्रेनेज लाइनों के विकास के लिए आकलन की आवश्यकता है।
9. वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (एपीसीडी) की खरीद के लिए सब्सिडी, विशेष रूप से छोटी एवं मध्यम स्तर की इकाइयों के लिए प्रदान की जानी चाहिए
10. औद्योगिक क्षेत्रों के क्लस्टर के लिए रासायनिक समूहों एवं आम भाप उत्पादन इकाइयों में एक आम विलायक वसूली संयंत्र की संभावना का पता लगाया जा सकता है।
11. जिन शहरों में उद्योग स्थित हैं, उनके लिए गैर–प्राप्ति मानदंड संशोधित किया जाना चाहिए।
12. औद्योगिक क्षेत्रों की परिधि के साथ पर्याप्त बफर जोन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आगामी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नीति–स्तर के हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जा सके।

मस्तिष्क में एक चिप के साथ एक कठपुतली मास्टर

विवरण –

1. रोबोट जैसे चलने वाली एक कठपुतली बहुत आकर्षक नहीं लग सकती है, लेकिन पारंपरिक कला एवं अत्याधुनिक तकनीक के मेल में, केरल के प्रसिद्ध मंदिर कला थोलपावकोकोथू में एक नकली चमड़े की कठपुतली एक रोबोट द्वारा एनिमेटेड की जा रही है।

सबसे पहले रोबोट कठपुतली –

1. पहली बार, प्रसिद्ध नकली (या छाया) चमड़े की कठपुतलियाँ रोबोट की मदद से महाकाव्य रामायण की कहानियों को बताएंगी।
2. हरिश्री कन्नन थोलपावकोकोथु कला केंद्र, कोनथारा के लोग, रोबोटिक्स की मदद से अपने चमड़े के कठपुतलियों को चेतन करने के लिए तैयार हैं।
3. चमड़े की रोबोट से चलने वाली पहली कठपुतली पलक्कड़ जिला विरासत संग्रहालय में स्थापित की गई थी, जिसका उद्घाटन हाल ही में संग्रहालय के प्रमुख कन्नड़पल्ली रामचंद्रन ने किया था।
4. हालांकि संग्रहालय पलक्कड़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली विभिन्न प्रकार की कला एवं सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जिन छाया चमड़े की कठपुतलियों को स्थापित किया गया है, उनके रोबोटिक आंदोलनों आगंतुकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है।
5. थोलपावकुथु का सबसे कठिन हिस्सा कठपुतलियों के पांवों का संचालन है। इन्हें अब रोबोटिक्स के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है।

थोलपावकुथु –

1. थोलपावकुथु केरल की पारंपरिक मंदिर कला है जिसकी जड़ें पलक्कड़ एवं पड़ोसी क्षेत्रों में हैं।
2. यह रामायण से किस्से बताते हुए, पलक्कड़ के भद्रकाली मंदिरों में किया जाता था। इसे निजलकोथु एवं ओलाकोकोथू के नाम से भी जाना जाता है।
3. थोलपावकुथु या छाया कठपुतली एक मंदिर कला का रूप है जो केरल में पलक्कड़ जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में भगवती मंदिरों (माता देवी) में प्रचलित है।
4. थोलप्पवा (थोल का अर्थ है चमड़ा, पावा का अर्थ कठपुतली) तार की मदद से ले जाया जाता है, एवं उनकी छाया को पृष्ठभूमि में तेल के लैंप की एक पंक्ति की मदद से स्क्रीन पर दर्शाया जाता है।
5. थोलपावकुथु प्रदर्शन की कहानी भारतीय महाकाव्य, रामायण से है।
6. पुराने दिनों में इसे बयालीस दिनों की अवधि में किया जाता था। प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त कथा गद्य एवं कविता का मिश्रण है जिसे अदलपट्टू कहा जाता है।
7. थोलप्पवस हिरण की खाल से बने होते हैं एवं कठपुतली के रूप चमड़े में छोटे–छोटे छेद बनाकर बनाए जाते हैं जो बाद में एक बाँस की छड़ी से लंबवत जुड़े होते हैं।
8. साथ के उपकरणों में एजुपारा, चेंडा एवं मैडलम शामिल हैं। कलाकारों को इस कला में महारत हासिल करने के लिए कई वर्षों के कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। मंदिर परिसर में कोथ्थुमदम नामक विशेष स्थान पर कठपुतली का मंचन होता है।

'शासन एवं कानून बनाना विधायिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए'

विवरण –

1. कानून मंत्री ने हाल ही में लोकसभा को बताया कि जिस तरह न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी उस मूल संरचना का एक हिस्सा है।
2. उन्होंने जोर देकर कहा कि शासन एवं कानून बनाना विधायिका के निर्वाचित सदस्यों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

अधिकारों का विभाजन –

1. शक्तियों का पृथक्करण सरकार के विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक कार्यों का विभाजन है।
2. यह सरकार द्वारा मनमानी ज्यादतियों की संभावना को कम करता है, क्योंकि कानूनों को बनाने, क्रियान्वयन एवं प्रशासन के लिए सभी तीन शाखाओं की मंजूरी आवश्यक है।
3. संवैधानिक सीमांकन सरकार की किसी भी शाखा द्वारा अत्यधिक शक्ति की एकाग्रता को रोकता है।
4. भारत में शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण होता है। अमेरिका के विपरीत, भारत में, शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है।
5. हालाँकि, जाँच एवं संतुलन की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि न्यायपालिका के पास विधायिका द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने की शक्ति है।
6. आज, अधिकांश संवैधानिक प्रणालियों में शास्त्रीय अर्थों में विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का सख्त अलगाव नहीं है क्योंकि यह अव्यवहारिक है।

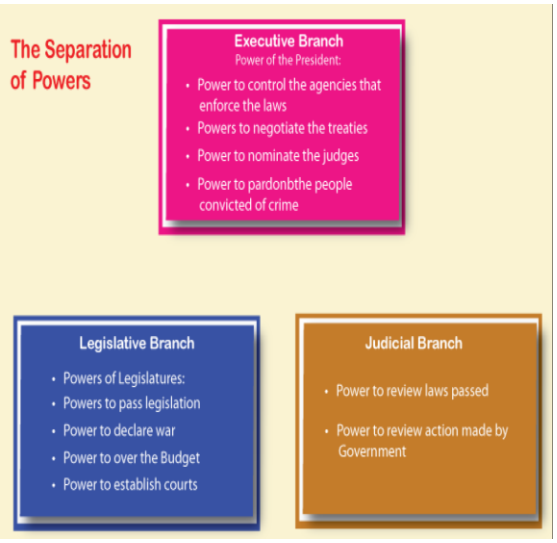

कॉलेजियम में गतिरोध – मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के बिना सेवानिवृत्त हो सकत है

विवरण –

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने 14 माह के कार्यकाल में केवल एक महीने के समय बचने के साथ, न्यायमूर्ति एसए बोबडे के नेतृत्व वाले कॉलेजियम को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी पहली सिफारिश करना अभी बाकी है।
2. पिछली बार ऐसा (जब मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में बिना काई नियूक्ति किए हुए सेवानिवृत्त हुए हो) 2015 में मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तु के कार्यकाल के दौरान हुआ था जब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को लेकर न्यायपालिका एवं सरकार के बीच अभूतपूर्व गतिरोध था।

कॉलेजियम प्रणाली क्या है?

1. कॉलेजियम प्रणाली एक प्रणाली है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों/वकीलों की नियुक्तियों/उन्नयन एवं उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक फोरम द्वारा किए जाते हैं।
2. भारत के मूल संविधान में या लगातार संशोधनों में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है।
3. न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली 'तीन न्यायाधीशों के मामले' के माध्यम से पैदा हुई थी, जिसने 28 अक्टूबर, 1998 को संवैधानिक लेखों की व्याख्या की थी।
4. यदि कॉलेजियम दूसरी बार न्यायाधीशों/वकीलों के नाम सरकार को भेजता है तो वे सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी हैं।
5. सुप्रीम कोर्ट के जजों के कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे वरिष्ठ जज शामिल होते हैं।

विशेष विवाह अधिनियम

विवरण –

1. केंद्र ने विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय जनता से आपत्ति को आमंत्रित करने के प्रावधान के साथ बंद करने की मांग वाली याचिका पर आपत्ति जताई है।
2. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में, कानून एवं न्याय मंत्रालय ने कहा कि एसएमए में प्रावधान के पीछे का उद्देश्य 'विभिन्न पक्षों के हित के लिए पर्याप्त सुरक्षा रखना' था।

विशेष अभियान अधिनियम, 1954 –

1. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भारत के संसद का एक अधिनियम है जिसमें नागरिक विवाह (या 'पंजीकृत विवाह') भारत के लोगों एवं विदेशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो या न हो।
2. यह अधिनियम 19 वीं शताब्दी के अंत में प्रस्तावित कानून के एक टुकड़े से उत्पन्न हुआ था। विशेष विवाह अधिनियम के तहत तय की गई शादियां निजी कानूनों से संचालित नहीं होती हैं।
3. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 ने पुराने अधिनियम III, 1872 को प्रतिस्थापित किया।
   नए अधिनियम के तीन प्रमुख उद्देश्य थे –
   ए. कुछ मामलों में शादी को एक विशेष रूप प्रदान करने,
   बी. कुछ विवाहों के पंजीकरण के लिए एवं
   सी. तलाक प्रदान करने के लिए

सूचना अवधि –

1. एसएमए के तहत किए गए सभी विवाहों के लिए जनता से आपत्ति आमंत्रित करने के लिए युगल के नामों की को 30 दिनों पहले प्रकाशन की आवश्यकता होती है।
2. इस अवधि के भीतर, कोई भी एसएमए की धारा 4 में निर्दिष्ट शर्तों में से एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन के आधार पर विवाह पर आपत्ति कर सकता है।
3. कुछ शर्तों में, दोनो पक्षों के किसी और जीवनसाथी का जीवित ना होना, दोनों का दिमागी रूप से सही होना, पुरुष का इक्कीस वर्ष एवं स्त्री का अठारह वर्ष का होना इत्यादि शामिल हैं।
4. इस प्रावधान को एक अंतरजातीय दंपति द्वारा चुनौती दी गई थी कि 30 दिनों के सूचना–अवधि को वारंट नहीं किया गया था, क्योंकि इसी उद्देश्य को सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर एवं उनके द्वारा किए गए उपक्रम के आधार पर कम किया जा सकता है।

कानून मंत्रालय की ओर से –

1. यदि कोई व्यक्ति 30 दिनों की अवधि के भीतर उक्त विवाह पर आपत्ति उठाता है, तो विवाह अधिकारी तब तक विवाह को रोकेंगे, जब तक कि उन्होंने आपत्ति के मामले में पूछताछ न की हो।
2. कम से कम तीस दिनों की अवधि न देने पर ऐसे व्यक्ति की विश्वसनीयता को सत्यापित करना संभव नहीं हो सकता है।
3. विवाह के पंजीकरण के लिए इस अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया उचित है।
4. वकील, जो युगल के लिए उपस्थित हुए थे, ने तर्क दिया कि किसी भी पक्ष के जीवित पति–पत्नी अन्य धार्मिक विवाह में भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उन्हें 30 दिनों की नोटिस अवधि से छूट दी जाती है।

एसएमए अनुभाग –

1. याचिका में एसएमए की धारा 6 एवं 7 को रद्द करने की मांग की गई है, जो सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन को अनिवार्य करता है, इस आधार पर कि यह अनुचित एवं मनमाना है।
2. 30–दिन की अवधि दंपति के परिजनों को अंतर–जातीय या अंतर–धर्म विवाह को हतोत्साहित करने का अवसर प्रदान करती है।

गेंद की नई किस्म

विवरण –

1. हासरघाट स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (IIHR) द्वारा विकसित की गेंदे की नई किस्में खराब हो जाने के बाद धन अर्जित कर सकती हैं क्योंकि इसका उपयोग कच्चे कैरोटीन के निष्कर्षण के लिए किया जा सकता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से दवा क्षेत्र में किया जाता है।
2. आमतौर पर, फूल बासी होने, बारिश के कारण खराब या फसल में देरी होने पर अपना मूल्य खो देते हैं।

कैरोटीन –

1. सभी गैंदों में कैरोटीन की मात्रा 1.4% तक होती है।
2. हालांकि, अर्क शुभा किस्म की गेंदा में कैरोटीन की मात्रा 2.8% होती है, जो किसी पौधे में इस स्रोत की उच्चतम सामग्री है।
3. इन फूलों को सजावटी उद्देश्यों के लिए भी बेचा जा सकता है। किसान इस किस्म को शुद्ध रूप से कैरोटीन के निष्कर्षण के लिए भी उगाते हैं।
4. फार्मा क्षेत्र में कैरोटीन की हमेशा उच्च मांग रहती है। वर्तमान में, भारत अपने अधिकांश कैरोटीन का आयात चीन एवं अन्य देशों से करता है।
5. किसानों के समूहों के माध्यम से कैरोटीन निष्कर्षण उद्यम को लेना बेहतर है क्योंकि गेंदे की खेती के लिए एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इससे निर्यात की भी गुंजाइश है।
6. अर्क शुभा किस्म मुर्गी पालन क्षेत्र में भी उपयोग की जाती है। उन्होंने कहा कि इसकी पंखुड़ियों का उपयोग गुणवत्ता वाली जर्दी प्राप्त करने के लिए फीड के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग भेड़ के लिए चारा के रूप में भी किया जाता है।

विरोध के बावजूद बंदरगाह बिल –

विवरण –

1. राज्यसभा ने मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल, 2020 पारित किया।
2. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग राज्य मंत्री ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य बंदरगाहों को विश्व स्तर का बनाना है एवं बंदरगाह प्राधिकरणों को अपने निर्णय लेने की शक्ति देना है। उन्होंने विपक्ष के आरोप का खंडन किया कि इससे निजीकरण होगा।

उद्देश्य –

1. प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में व्यावसायिक निर्णय लेने एवं व्यावसायिकता को बढ़ावा देना।
2. हितधारकों एवं बेहतर परियोजना निष्पादन क्षमता का लाभ उठाते हुए तेजी से एवं पारदर्शी निर्णय लेना।
3. केंद्रीय बंदरगाहों को जमींदारी बंदरगाह मॉडल में बदलना जो वैश्विक रूप से सफल अभ्यास है।

विशेषताएं –

1. इस विधेयक में देश के प्रमुख बंदरगाहों के नियमन, संचालन एवं नियोजन का प्रावधान है एवं इन बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना शामिल है।
2. यह अधिनियम मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 को प्रतिस्थापित करना चाहता है। यह कानून मुख्य पोर्ट प्राधिकरण के लिए एक बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी के गठन का प्रावधान करता है।
3. ये बोर्ड मौजूदा पोर्ट ट्रस्ट की जगह लेंगे।

पक्षियां की उच्च विविधता, दिल्ली के मांगर क्षेत्र में – अध्ययन

विवरण –

1. फरीदाबाद में अरावली के मांगर परिदृश्य में 17.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 219 प्रजातियों के साथ, 'उच्च संरक्षण मूल्य' को दर्शाती पक्षी प्रजातियों की एक 'उच्च विविधता' है, जो सेंटर फॉर इकोनोमिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च द्वारा पक्षियों के एक अध्ययन से पता चलता है। (सीईडीएआर)।

विविधता –

1. अध्ययन, एक वर्ष के दौरान क्षेत्र सर्वेक्षण एवं ईबर्ड डेटा के संकलन का परिणाम है।
2. यह मांगर परिदृश्य को कवर करता है, जिसमें मांगर बानी शामिल है – फरीदाबाद में 2.66 वर्ग किमी के क्षेत्र के साथ एक ग्रोव – एवं इसके आसपास के जंगल।
3. अध्ययन के अनुसार, मंगार परिदृश्य में पाए गए 219 प्रजातियों में 130 निवासी प्रजातियां, 53 शीतकालीन प्रवासी, 12 ग्रीष्मकालीन प्रवासी एवं 16 मार्ग प्रवासी शामिल हैं।
4. पाए जाने वाली प्रजातियों में, दिल्ली में कई "दुर्लभ" हैं, जिनमें रोजफिंच ब्लेक ब्रेस्टेड वीवर एवं लाल मुनिया शामिल हैं।
5. पाँच 'राष्ट्रीय रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ' जिसमें किंग गिद्ध एवं मिस्र गिद्ध शामिल है, साथ ही साथ छह पक्षी प्रजातियाँ जो 'राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट' दिखाती रही हैं, जिसमें पीले ताज वाले कठफोड़वा एवं शॉर्ट–टेड स्नेक ईगल भी शामिल हैं, मांगर परिदृश्य में 'प्रचुर' है, अध्ययन बताता है।
6. रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मांगर क्षेत्र में प्रजातियों की समृद्धि एवं विविधता के बारे में है।
7. इनमें से कई शुष्क वन प्रजातियाँ हैं जिनमें से ज्यादातर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य सूखे जंगलों में बहुत बार नहीं देखी जाती हैं।
8. अध्ययन के आधार पर, शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि 'मांगर बानी का संरक्षण, आसपास के जंगलों के साथ, एनसीआर के एविफ्यूनल जैव विविधता में अत्यधिक योगदान देता है'।

प्रधानमंत्री ने सेना को अर्जुन एमके–1 ए टैंक सौंपा

विवरण –

1. प्रधानमंत्री ने हाल ही में स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन एमके–1 ए को सेना को सौंपा।
2. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की इकाई चेन्नई स्थित कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (CVRDE) द्वारा डिजाइन एवं विकसित टैंक का मॉडल प्राप्त किया।

आत्मनिर्भर भारत –

1. तमिलनाडु में बने इस टैंक का उपयोग हमारी उत्तरी सीमाओं में राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए किया जाएगा। यह भारत की एकजुट भावना को दर्शाता है।
2. भारत हमारे सशस्त्र बलों को दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक बनाने के लिए काम करना जारी रखेगा।
3. रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान पूरी गति से बढ़ रहा है।
4. दो रक्षा गलियारों में से एक तमिलनाडु में है। गलियारे को पहले ही 8,100 करोड़ रूपये से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
5. तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना से रक्षा एवं एयरोस्पेस संबंधित वस्तुओं का स्वदेशी उत्पादन शुरू होगा, जिससे आयात एवं अन्य देशों में इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने पर हमारी निर्भरता कम होगी।
6. इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) एवं स्टार्ट–अप सहित निजी घरेलू निर्माताओं की वृद्धि होगी।
7. तमिलनाडु पहले से ही भारत का प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र है।

अर्जुन एमके–1 ए –

1. सीवीआरडीई के अनुसार अर्जुन एमके–1 से अर्जुन एमके–1 ए में बेहतर मारक क्षमता, उच्च गतिशीलता, उत्कृष्ट सुरक्षा एवं चालक सुविधा युक्त है।
2. अर्जुन मेन बैटल टैंक परियोजना की शुरुआत 1972 में DRDO द्वारा कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (CVRDE) के साथ इसकी मुख्य प्रयोगशाला के रूप में की गई थी।
3. उद्देश्य 'बेहतर चालन शक्ति, उच्च गतिशीलता एवं उत्कृष्ट सुरक्षा के साथ अत्याधुनिक टैंक' बनाना था।
4. विकास के दौरान, सीवीआरडीई ने इंजन, ट्रांसमिशन, हाइड्रोपेमैटिक सस्पेंशन, पतवार एवं बुर्ज के साथ–साथ गन कंट्रोल सिस्टम में भी सफलता हासिल की।
5. बड़े पैमाने पर उत्पादन 1996 में भारतीय आयुध निर्माणी की उत्पादन सुविधा में तमिलनाडु के अवडी में शुरू हुआ।

6. इन टैंकों में से 118 के लिए इंडेंट को जल्द ही चेन्नई के पास अवाडी में हैवी व्हीकल फैक्ट्री (HVF) के साथ रखा जाएगा।
7. सेना को जल्द ही मंजूरी के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) से संपर्क करने की उम्मीद है, जिसके बाद वह 8,956.59 करोड़ रूपये की लागत से 118 टैंकों के लिए इंडेंट लगाएगी।
8. अर्जुन एमके–1 में गोला बारूद, पुर्जों एवं मरम्मत के मुद्दों को भी हल किया गया है, एवं डीआरडीओ ने पुर्जों एवं समर्थन के लिए जैसलमेर में अर्जुन हब की स्थापना की है।

मतदाता साक्षरता के लिए असम में कंघों का उपयोग

विवरण –

1. गोलपारा जिला प्रशासन कंघें एवं दैनिक उपयोग अन्य वस्तुएं जैसे सैनेटरी पैड का वितरण कर रहा है, उन पर SVEEP संदेश छपे हैं।
2. एसवीईईपी, का अर्थ चुनाव आयोग के देश में मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के प्रमुख कार्यक्रम सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन से है।

सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन –

1. सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, जिसे SVEEP के नाम से जाना जाता है, मतदाता शिक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है, जो मतदाता जागरूकता फैलाता है एवं भारत में मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देता है।
2. 2009 से, चुनाव आयोग भारत के मतदाताओं को तैयार करने एवं उन्हें चुनावी प्रक्रिया से संबंधित बुनियादी ज्ञान से लैस करने की दिशा में काम कर रहा है।
3. एसवीईईपी का प्राथमिक लक्ष्य भारत में चुनाव के दौरान सभी योग्य नागरिकों को मतदान करने एवं सूचित निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करके वास्तव में सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना है।
4. कार्यक्रम कई सामान्य एवं साथ ही लक्षित हस्तक्षेपों पर आधारित है, जो राज्य के सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक एवं जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ–साथ चुनावों के पिछले दौरों में चुनावी भागीदारी के इतिहास एवं उसके बाद सीखने के अनुसार डिजाइन किए गए हैं।

'कम मतदान' –

1. जिला निर्वाचन कार्यालय विशेष रूप से 2016 विधानसभा एवं 2019 लोकसभा चुनावों में कम समग्र एवं महिला मतदान वाले मतदान केंद्रों वाले क्षेत्रों में एसवीईईपी गतिविधियों पर जोर दे रहा है।
2. **गोलपारा** – दुधनाई, गोलपारा पूर्व, गोलपारा पश्चिम एवं जलेश्वर में चार विधानसभा क्षेत्रों में 2016 के राज्य चुनावों में 90.83% मतदान हुआ, लेकिन कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान एक निर्वाचन क्षेत्र के औसत से 10% से कम था।

भीमबेटका में 'डिकिन्सोनिया' के जीवाश्म मिले

विवरण –

1. शोधकर्ताओं ने भोपाल से लगभग 40 किमी दूर 'भीमबैठका शैल आश्रय' की छत पर, शुरुआती ज्ञात जीवित जानवर – 550 मिलियन वर्ष पुराने 'डिकिन्सोनिया' के तीन जीवाश्मों की खोज की है।

नई खोज –

1. कोई भी, एक सफेद पत्ती जैसे पैच से एक केंद्रीय कशेरुका (मध्य मिब्री) एवं नसों को जोड़ने वाले जीवाश्मों की पहचान कर सकता है। जबकि एक जीवाश्म 17 इंच लंबा है, अन्य दो बहुत छोटे हैं।
2. गोंडवाना रिसर्च नामक एक पत्रिका में प्रकाशित नई खोजों को 'ऑडिटोरियम गुफा' की शुरुआत में देखा जा सकता है, जो जमीन से 3.5 मीटर ऊपर स्थित एक यूनेस्को विरासत स्थल भीमबेटका में ऐसी गुफाओं में से पहली है।
3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भोपाल ने बताया कि वे देश में उपलब्ध एकमात्र ऐसे जीवाश्म थे, एवं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में देखे गए जीवाश्मों के समान हैं।
4. ये जीवाश्म समान पेलियोन वातावरण का प्रमाण है एवं गोंडवानालैंड के असेंबली की पुष्टि 550 Ma (मेगा वार्षिक) पर करता है, लेकिन वास्तविक ध्रुवीय भटकन के लिए समायोजित कर पुनर्निर्माण नहीं करता।

भीमबैठका शैल आश्रय –

1. भीमबैठका रॉक शेल्टर मध्य भारत का एक पुरातात्विक स्थल है जो प्रागैतिहासिक पैलियोलिथिक एवं मेसोलिथिक काल के साथ–साथ ऐतिहासिक काल तक फैला है।
2. यह भारत में मानव जीवन के शुरुआती निशान एवं पत्थर के युग का प्रमाण अचुलियन समय से शुरू करता है।
3. यह भोपाल के दक्षिण–पूर्व में लगभग 45 किलोमीटर (28 मील) भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है।
4. यह एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जिसमें सात पहाड़ियों एवं 750 से अधिक रॉक शेल्टर शामिल हैं जो 10 किमी (6.2 मील) से अधिक में वितरित है।
5. कम से कम कुछ आश्रयों को 1,00,000 से अधिक साल पहले बसाया गया था। रॉक आश्रयों एवं गुफाएं मानव बस्ती में एक 'दुर्लभ झलक' एवं शिकारी–एकत्रितकर्ताओं से कृषि, एवं प्रागैतिहासिक आध्यात्मिकता के अभिव्यक्तियों के सांस्कृतिक विकास का प्रमाण प्रदान करती हैं।
6. भीमबैठका के कुछ शैल आश्रयों में प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों, भारतीय मेसोलिथिक समय अर्थात लगभग 10,000 वर्ष पुराना (8,000 ईसा पूर्व) है।
7. इन गुफा चित्रों में जानवरों जैसे नृत्य एवं शिकार के शुरुआती साक्ष्य दिखाई देते हैं।

8. भीमबेटका स्थल भारत की सबसे पुरानी ज्ञात कला है, साथ ही यह सबसे बड़े प्रागैतिहासिक परिसरों में से एक है।

पक्षी प्रवास के लिए बड़े पैमाने पर चुंबकीय मानचित्र का उपयोग करते हैं – एवं कुछ पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं

विवरण –

1. प्रतिवर्ष, अरबों पक्षी यूरोप एवं अफ्रीका के बीच हजारों मील की दूरी तय करते हैं – एवं फिर साल–दर–साल उसी यात्रा को दोहराते हैं, ठीक उसी जगह पर घोंसला बनाने के लिए, जहाँ से उन्होंने अपनी पहली महान यात्रा को चुना था।
2. इन छोटे पक्षियों द्वारा प्रदर्शित उल्लेखनीय नौवहन परिशुद्धता – जैसे वे तूफानी समुद्रों पर, विशाल रेगिस्तानों में एवं मौसम एवं तापमान में चरम सीमाओं के माध्यम से अकेले यात्रा करते हैं – व्यवहार जीव विज्ञान के स्थायी रहस्यों में से है।
3. पक्षियों को हवाओं से इतना अधिक परेशान किया जाता है कि वे अपने प्रवासी मार्ग से काफी विस्थापित हो जाते हैं, यदि वे पहले से ही एक प्रवास कर चुके हैं, तो वे अपने मार्ग को पुनः प्राप्त कर लेते हैं।
4. यह सुझाव दिया है कि पक्षियों की नौवहन क्षमताओं, जिनमें से कुछ को कम्पास दिशा की भावना के आसपास बनाया गया है, में दुनिया के उन हिस्सों से घर वापस आने के लिए एक तंत्र शामिल है, जहाँ वे पहले कभी नहीं गए थे।
5. यूरेशियन रीड वारब्लेर्स के नए अध्ययन में पाया गया है कि इस उल्लेखनीय क्षमता में एक 'चुंबकीय मानचित्र' शामिल है जो हमारे मानव प्रणाली के निर्देशांक की तरह काम करता है।
6. हैरानी की बात यह है कि अध्ययन में पाया गया कि ये पक्षी हजारों मील की दूरी तक के चुंबकीय क्षेत्र को समझते हैं।
7. कुछ पक्षियों के पास एक 'वैश्विक जीपीएस प्रणाली' हो सकती है जो उन्हें बता सकती है कि पृथ्वी पर कहीं से भी घर कैसे प्राप्त किया जाए।

दिमागी मानचित्र (माइंड मैप्स) –

1. यह लंबे समय से ज्ञात है कि वयस्क पक्षी प्रवास करने में मदद करने के लिए कुछ प्रकार के नाविक मानचित्र विकसित करते हैं।
2. वे ऐसा कैसे करते हैं यह विवादास्पद हैं। कई चीजों को प्रवासी पक्षियों के लिए गाइड के रूप में प्रस्तावित किया गया है – जिनमें गंध, इन्फ्रा–साउंड एवं यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण में विविधताएं भी शामिल हैं।
3. हालांकि, साक्ष्य के एक एकत्रित निकाय ने संकेत दिया है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस रहस्य के संभावित समाधानों में से एक है।
4. यह सुझाव दिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न पैरामीटर एक ग्रिड का निर्माण कर सकते हैं, जो पक्षी उत्तर–दक्षिण एवं पूर्व–पश्चिम लाइनों का अनुसरण करते हैं।
5. ऐसा इसलिए क्योंकि चुंबकीय तीव्रता (चुंबकीय क्षेत्र की ताकत) एवं चुंबकीय झुकाव (चुंबकीय क्षेत्र लाइनों एवं पृथ्वी की सतह के बीच का कोण, जिसे 'डीप' कोण भी कहा जाता है) दोनों उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं।
6. चुंबकीय झुकाव – चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की दिशा एवं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के बीच अंतर – पूर्व–पश्चिम अक्ष प्रदान करता है।
7. इस बात पर काफी हद तक सहमत होने के बावजूद कि कुछ पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से नौवहन करते हैं, वैज्ञानिकों को ठीक से नही पता कि वे इसका पता लगाने के लिए किस संवेदी तंत्र का उपयोग करते हैं – या क्या क्षेत्र के विभिन्न मापदंडों का पता लगाने के लिए कई प्रणालियों का उपयोग किया जाता है।
8. कछुए की तरह अन्य जानवर भी चुंबकीय क्षेत्र को समझ सकते हैं, लेकिन वही अनिश्चितताएं लागू होती हैं।
9. जो भी हो, यदि पक्षियों ने सीखा है कि उत्तर में जाते ही चुंबकीय तीव्रता बढ़ जाती है, उन्हें उत्तर–दक्षिण अक्ष पर अपनी स्थिति का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए।
10. इसी तरह, यदि वे एक ऐसे मूल्य का अनुभव करते हैं जो पहले अनुभव किए गए किसी भी मूल्य से अधिक है, तो उन्हें पता लगता होगा कि आगे पूर्व हैं।
11. इस आधार पर, सिद्धांत यह है कि वे ग्रिड पर अपनी स्थिति की गणना कर सकते हैं एवं अपने अभिविन्यास को सही कर सकते हैं।
12. इसका अर्थ यह होगा कि पक्षी हमारे कार्टेशियन निर्देशांक – जो आधुनिक जीपीएस नेविगेशन का आधार हैं, के समान एक प्रणाली का उपयोग करते हुए नेविगेट करते हैं।
13. यदि यह समन्वय सिद्धांत सटीक है, तो इसका अर्थ यह होगा कि पक्षियों को पृथ्वी पर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र के मापदंडों के अपने ज्ञान एवं उनके नौवहन नियमों के विस्तार के माध्यम से अपने स्थान का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए।
14. आज तक, हालांकि, इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि पक्षी इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं।

भू–स्थानिक डेटा नीति का उदारीकरण

विवरण –

1. देश की मानचित्रण नीति में व्यापक बदलाव के बाद, सरकार ने हाल ही में भू–स्थानिक डेटा के अधिग्रहण एवं उत्पादन को नियंत्रित करने वाले मानदंडों के उदारीकरण की घोषणा की।
2. यह कदम क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने एवं सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं के लिए समान स्तर का क्षेत्र बनाने में मदद करने के लिए किया गया है।

भौगोलिक आंकड़े –

1. स्थानिक डेटा, जिसे भू–स्थानिक डेटा भी कहा जाता है, एक शब्द है जिसका उपयोग पृथ्वी की सतह पर किसी विशिष्ट स्थान के बारे में या उससे संबंधित किसी भी डेटा का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
2. स्थानिक डेटा विभिन्न स्वरूपों में मौजूद हो सकता है एवं इसमें केवल स्थान विशेष की जानकारी शामिल है।
3. भू–स्थानिक डेटा, जिसे जियोडाटा के रूप में भी जाना जाता है, में एक डेटासेट जैसे पते, शहर या जिप कोड से जुड़ी स्थानीय जानकारी होती है।
4. भू–स्थानिक डेटा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) डेटा, भू–स्थानिक उपग्रह इमेजरी, टेलीमैटिक्स डिवाइस, IoT एवं जियोटैगिंग से भी आ सकता है।

उदारीकरण –

1. नए दिशानिर्देशों के तहत, इस क्षेत्र को निष्क्रिय कर दिया जाएगा एवं सर्वेक्षण, मानचित्रण एवं निर्माण अनुप्रयोगों के लिए पूर्व अनुमोदन जैसे पहलुओं को दूर किया गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने कहा।
2. भारतीय संस्थाओं के लिए, नक्शे सहित, भू–स्थानिक डेटा एवं भू–स्थानिक डेटा सेवाओं के अधिग्रहण एवं उत्पादन के लिए कोई पूर्व अनुमोदन, सुरक्षा मंजूरी एवं लाइसेंस के साथ पूर्ण विचलन होगा।
3. प्रधान मंत्री ने कहा कि भू–स्थानिक डेटा के अधिग्रहण एवं उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नीतियों का उदारीकरण एक 'भारत सरकार के दृष्टिकोण में एक विशाल कदम' है।
4. सुधार से देश के किसानों, स्टार्ट–अप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अनुसंधान संस्थानों को नवाचारों को चलाने एवं स्केलेबल समाधानों का निर्माण करने में लाभ होगा।

सामान्य रोजगार –

1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि मानदंडों में ढील से कई क्षेत्रों में बहुत मदद मिलेगी जो उच्च गुणवत्ता वाले नक्शे की अनुपलब्धता के कारण पीड़ित थे।
2. इस कदम से देश के स्टार्ट–अप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अनुसंधान संस्थानों के लिए जबरदस्त अवसर सामने आएंगे, जो नवाचारों को चलाएंगे एवं स्केलेबल समाधानों का निर्माण करेंगे। यह रोजगार भी पैदा करेगा एवं आर्थिक विकास को गति देगा।
3. भारत के किसानों को भू–स्थानिक एवं सुदूर संवेदी डेटा की क्षमता का लाभ देकर भी लाभान्वित किया जाएगा।

धोखाधड़ी, परेशान करने वाले एसएमएस एवं कॉल से निपटने के लिए नई नोडल एजेंसी

विवरण –

1. दूरसंचार मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र सरकार अवांछित वाणिज्यिक संचार (UCC) एवं विशेष रूप से डिजिटल भुगतान स्थान में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले की शिकायतों से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में एक डिजिटल खुफिया इकाई (DIU) की स्थापना करेगी।
2. दूरसंचार मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में, मंत्रालय ने फैसला किया कि नोडल स्तर पर DIU के अलावा, सभी 22 लाइसेंस सेवा क्षेत्र के स्तर पर धोखाधड़ी प्रबंधन एवं उपभोक्ता संरक्षण (TAFCOP) के लिए एक दूरसंचार विश्लेषिकी भी स्थापित की जाएगी।

DIU का समारोह –

1. दूरसंचार संसाधनों से संबंधित किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि की जांच में DIU का मुख्य कार्य विभिन्न LEAs (कानून प्रवर्तन एजेंसियों), वित्तीय संस्थानों एवं दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करना होगा।
2. UCC का मुद्दा दूरसंचार मंत्रालय के साथ–साथ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के लिए चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है।
3. UCC के रोकने के निर्देशों का पालन नहीं करने पर ट्राई के पास समय–समय पर दूरसंचार ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाये जाने का अधिकार है।

आवश्यक उपकरण –

1. पिछले साल नवंबर में, दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने राज्य की भारत संचार निगम लिमिटेड, एवं निजी दूरसंचार कंपनियों जैसे वोडाफोन आइडिया एवं रिलायंस जैसी दूरसंचार कंपनियों पर 30 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया था। Jio Infocomm ने UCC को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं, जो अप्रैल एवं जून 2020 के बीच उनके नेटवर्क पर हुआ था।
2. सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यूसीसी के संबंध में निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
3. किसी भी उल्लंघन के मामले में, उल्लंघन की पुनरावृत्ति के मामले में संसाधनों के वियोग सहित टेली–मार्केटर्स के खिलाफ वित्तीय जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया था।
4. शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए एक वेब एवं मोबाइल एप्लिकेशन के साथ–साथ एक एसएमएस–आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी।

धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि –

1. यूसीसी के अलावा, बैठक में धोखाधड़ी डिजिटल लेनदेन में वृद्धि पर भी चर्चा हुई।
2. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2018–19 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के दुरुपयोग, पहचान की क्लोनिंग, स्पैम से संबंधित 220 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की बात कही।
3. मंत्रालय ने कहा कि जामताड़ा एवं मेवात जैसे क्षेत्र जो डिजिटल धोखाधड़ी लेनदेन केंद्र चलाने के लिए बदनाम हैं में दूरसंचार परिचालन को अवरुद्ध करने सहित विशेष रणनीति की मदद भी ली जाएगी।

4. पिछले साल अगस्त में, हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने जामताड़ा के पांच लोगों को ई–सिम धोखाधड़ी से जुड़े एक रैकेट में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया था।
5. गिरफ्तार लोगों ने तब पुलिस को बताया था कि Apple के iPhones के ई–सिम को स्वैप करके, PhonePe, OlaMoney, Paytm Payments Bank एवं Airtel Payments Bank द्वारा उपलब्ध कराए गए वॉलेट्स में फंड ट्रांसफर कर दिए गए थे, जिन्हें बाहर निकाले जाने से पहले बैंक खातों में भेज दिया गया।

RBI यूसीबी को मजबूत करने के लिए पैनल का गठन करता है

विवरण –

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर आठ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है ताकि उनके मुद्दों की जांच की जा सके एवं क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोडमैप प्रदान किया जा सके।

जायजा लेना –

1. पैनल केंद्रीय बैंक एवं अन्य प्राधिकरणों द्वारा यूसीबी के संबंध में उठाए गए विनियामक उपायों का जायजा लेगा एवं उनके सामाजिक–आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति में प्रमुख बाधाओं एवं समस्याओं, यदि कोई हो, की पहचान करने के लिए पिछले पांच वर्षों में उनके प्रभाव का आकलन करेगा।
2. यह मौजूदा नियामक एवं पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की भी समीक्षा करेगा एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के हालिया संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेगा।
3. पैनल यूसीबी के तेजी से पुनर्वास या समाधान के लिए प्रभावी उपाय भी सुझाएगा एवं क्षेत्र में समेकन की क्षमता का आकलन करेगा।
4. यह अंतर विनियमों की आवश्यकता पर विचार करेगा एवं अपना लचीलापन बढ़ाने के लिए यूसीबी के अनुमेय गतिविधियों में और अधिक अनुमति देने की संभावनाओं की जांच करेगा।
5. इसमें सहयोग के सिद्धांतों के साथ–साथ जमाकर्ताओं के हित एवं प्रणालीगत मुद्दों के संबंध में एक जीवंत एवं लचीला शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा।

पूर्वी हिमालय भूकंप के भूवैज्ञानिक साक्ष्य

संदर्भ –

- वैज्ञानिकों ने असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर हिम्मबस्ती गाँव में भूकंप का पहला भूगर्भीय साक्ष्य पाया है, जिसे इतिहासकारों ने इतिहास में सदिया भूकंप के रूप में प्रलेखित किया है, जिसने 1697 ईस्वी में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनाश किया था एवं इस शहर को लगभग नष्ट कर दिया था।

विवरण –

- सादिया में भूकंप का अध्ययन, एक घास के मैदान पर किया जा रहा है, जो लगभग लोहित नदी के दाहिने किनारे पर पूर्वी हिमालय से घिरा हुआ है, पूर्वी हिमालय के भूकंपीय खतरे के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल जोड़ता है, जिससे निवासियों को लाभ होगा एवं पूर्वी हिमालय की तलहटी में बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में मदद जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है।

लोकतंत्र सूचकांक (डेमोक्रेसी इंडेक्स)

संदर्भ –

- हाल ही में, 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स की रिपोर्ट जिसका शीर्षक है 'डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड हेल्थ?' इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा जारी की गई है।

भारत सरकार –

- अधिकारियों द्वारा नागरिक स्वतंत्रता में डाले गए खलल एवं 'लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग' के कारण भारत दो स्थान फिसलकर 53 वें स्थान पर पहुंच गया।
- भारत के लोकतांत्रिक मानदंडों पर बढ़ते दबाव के साथ, भारत का स्कोर 2014 में 7.92 के शिखर से घटकर 2020 में 6.61 (2019 में 6.9) हो गया एवं इसकी वैश्विक रैंकिंग 27 वें (2014 में) से 53 वें स्थान पर फिसल गई। 2019 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत 51 वें स्थान पर था।
- इसे 'त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने 'भारतीय नागरिकता की अवधारणा के लिए एक धार्मिक तत्व पेश किया था, एक ऐसा कदम जिसे कई आलोचक भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष आधार को कम करके देखते हैं'।
- कोरोनवायरस वायरस महामारी से निपटने के अधिकारियों ने 2020 में नागरिक स्वतंत्रता का एक और क्षरण किया।
- श्रीलंका–68 वां, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र
- बांग्लादेश (76), भूटान (84) एवं पाकिस्तान (105)– 'हाइब्रिड शासन' श्रेणी
- अफगानिस्तान–139 वां 'सत्तावादी शासन'

लिंगायत कौन हैं एवं वे अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों चाहते हैं

संदर्भ –

- समुदाय एक बड़े लिंगायत उप–संप्रदाय को एक ओबीसी कोटा श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहा है जो राज्य में सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में 15% आरक्षण प्रदान करता है।

विवरण –

- लिंगायत एक प्रमुख समुदाय हैं जो कर्नाटक की छह करोड़ आबादी का लगभग 17% हिस्सा हैं।
- लिंगायत, जिन्हें हिंदू उप–जाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें वीरशैव लिंगायत कहा जाता है, अनिवार्य रूप से 12 वीं सदी के दार्शनिक संत बसवन्ना के अनुयायी हैं, जिन्होंने जाति के जंजीरों से समाज के वर्गों को तोड़ने में मदद करने के लिए आंदोलन शुरू किया था।
- वीरशैव लिंगायत बासवन्ना की शिक्षाओं एवं वीरशैवों के अनुयायियों का एक समामेलन है जो अधिक पारंपरिक हिंदू प्रथाओं का पालन करते हैं।

वर्तमान मुद्दे –

आरक्षण –

- वीरशैव लिंगायतों को 3 बी नामक एक विशेष श्रेणी के तहत 5% आरक्षण प्रदान किया गया है।
- पंचमाली लिंगायतों नामक एक उप संप्रदाय – मूल रूप से कृषक जो लिंगायतों का लगभग 70% हिस्सा हैं – अब श्रेणी 2 ए के तहत आरक्षण की मांग के विरोध में बढ़ गए हैं, जो वर्तमान में पिछड़ी जातियों को 15% आरक्षण प्रदान करता है।
- पंचमसाली लिंगायतों का मुख्य रुख यह है कि समुदाय को लाभ से वंचित किया गया है, एवं यह कि कृषि पर निर्भर बड़े वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं।

सरकार ने आरक्षण की मांग को कैसे पूरा किया?

- कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को 2 ए श्रेणी के तहत उनके समावेश का निर्धारण करने के लिए पंचमाली समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति पर एक अध्ययन करने एवं एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

आइंस्टिनियम –

संपर्क –

1. बर्कले लैब के वैज्ञानिकों की एक टीम ने आवधिक तालिका में तत्व 99 के कुछ गुणों को पाया है, जिसे 'आइंस्टीनियम' कहा जाता है, जिसका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है।
2. नेचर जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, पहली बार, शोधकर्ताओं तत्व के कुछ गुणों को चिह्नित करने में सफल हुए है।

विवरण –

- इसे पहले हाइड्रोजन बम (प्रशांत महासागर में 'आइवी माइक' नामक एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के विस्फोट) के मलबे में 1952 में खोजा गया था।
- आइंस्टीनियम–254–तत्व के अधिक स्थिर समस्थानिकों में से एक, जिसका आधा जीवन 276 दिनों का होता है। तत्व का सबसे आम समस्थानिक, आइंस्टीनियम 253 में 20 दिनों का आधा जीवन होता है।
- सभी आइंस्टीनियम समस्थानिकों की उच्च रेडियोधर्मिता एवं अल्पकालिक जीवन के कारण, भले ही तत्व पृथ्वी पर गठन के दौरान मौजूद था, लेकिन यह निश्चित रूप इसका क्षय हो गया होगा।
- यह प्रकृति में नहीं पाया जा सकता है एवं इसे बहुत सटीक एवं गहन प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित करना होता है।
- अब तक, तत्व का उत्पादन बहुत कम मात्रा में किया गया है एवं इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्यों को छोड़कर सीमित है।
- तत्व, नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देता है एवं इसे खोजे जाने के बाद, इसकी आँखों से देखी जा सकने वाली मात्रा का निर्माण करने में नौ वर्ष लग गए।

विभिन्न निर्णयों का 'आर्थिक प्रभाव'

संपर्क –

- सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने जयपुर–मुख्यालय अनुसंधान संगठन कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी (CUTS) इंटरनेशनल को सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों एवं अर्ध–न्यायिक निकायों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) एवं ऐसी अदालतों एवं ट्रिब्यूनलों की 'न्यायिक सक्रियता' के रूप में दिए गए विभिन्न निर्णयों के 'आर्थिक प्रभाव' पर एक अध्ययन करने के लिए कहा है।

विवरण –

- न्यायिक निर्णयों के दूरगामी आर्थिक प्रभाव होते हैं जिन्हें अक्सर निर्णय लेने के समय ध्यान में नहीं रखा जाता है।
- किसी फैसले से जुड़ी आर्थिक लागतों के पूर्व–विश्लेषण का अभाव तब और भी बढ़ जाता है जब अदालतों एवं न्यायाधिकरणों द्वारा न्यायिक सक्रियता भी खेल में होती है।
- अध्ययन वित्त प्रदायकर्ता – नीति आयोग
- अध्ययन का उद्देश्य – 'उनके निर्णयों के आर्थिक प्रभाव पर न्यायपालिका को संवेदनशील बनाने के लिए कथा निर्माण'

- महत्व–निष्कर्षों का इस्तेमाल व्यावसायिक न्यायालयों, NGT, HC, SC के न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण इनपुट के रूप में किया जाएगा।
- अध्ययन, शुरू में फरवरी 2020 में शुरू होने वाला था एवं इस महीने के अंत तक समाप्त हो जाना था, कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देरी हुई थी।
- अध्ययन के आर्थिक प्रभाव का एक उद्देश्य लागत–लाभ विश्लेषण करना है।
- अध्ययन नीति आयोग द्वारा शुरू की गई बड़ी छत्र–परियोजना का भी एक हिस्सा है जिसके तहत वह एक न्यायिक प्रदर्शन सूचकांक स्थापित करना चाहता है, जो जिला अदालतों एवं अधीनस्थ स्तरों पर न्यायाधीशों के प्रदर्शन को मापेगा।

केंद्र का बाजार कानूनों को एकल संहिता में सममेलित करने का प्रयास

विवरण –

1. केंद्र ने सेबी अधिनियम, 1992, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 एवं सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को समेकित करके एकल सुरक्षा बाजार संहिता की स्थापना की घोषणा की।
2. केंद्रीय बजट 2021–22 को संसद में पेश करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी।

व्यवसाय करने से आसानो –

1. विश्लेषकों के अनुसार, इस कदम से देश के वित्तीय बाजारों में कारोबार करने में आसानी होगी, अनुपालन में कटौती होगी, लागत कम होगी एवं विभिन्न हितधारकों के बीच घर्षण दूर होगा।
2. तनाव के समय में कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में प्रतिभागियों के बीच विश्वास बढ़ाने एवं आम तौर पर द्वितीयक बाजार की तरलता को बढ़ाने के लिए, बजट ने एक स्थायी संस्थागत ढांचा बनाने का प्रस्ताव दिया है।
3. प्रस्तावित निकाय तनावग्रस्त एवं सामान्य समय में निवेश ग्रेड ऋण प्रतिभूतियों की खरीद करेगा एवं बांड बाजार के विकास में मदद करेगा।
4. यह स्पष्ट रूप से कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करने में मदद करेगा जो कि तरलता चुनौतियों का सामना करना जारी रखता है।
5. यह डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए काफी सकारात्मक होगा, विशेष रूप से क्रेडिट फंड्स, जिन्होंने पिछले साल कुछ कॉरपोरेट पेपर्स में लिक्विडिटी खराब होने के कारण महत्वपूर्ण आउटफ्लो देखा था।
6. यह एए एवं ए श्रेणी में अपेक्षाकृत कम रेटेड बॉन्डों के द्वितीयक बाजार में उतार–चढ़ाव को कम करने में भी मदद करेगा।

परिमार्जन नीति

विवरण –

1. मोटर वाहन क्षेत्र में अग्रणी खिलाड़ियों ने पुराने एवं अनफिट वाहनों को चरणबद्ध करने के लिए स्वैच्छिक वाहन परिमार्जन नीति पर केंद्र की घोषणा का स्वागत किया है।
2. 2021–22 के केंद्रीय बजट को रद्द करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि नीति ईंधन–कुशल, पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी, जिससे वाहन प्रदूषण एवं तेल आयात बिल में कमी आएगी।

नीति के लक्ष्य –

1. विचार कारों एवं वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध करना है जो क्रमशः 20 या 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
2. यह शहरी प्रदूषण के स्तर को कम करने एवं ऑटोमोटिव बिक्री को गैल्वनाइज करने के लिए बोली में किया जा रहा है, जो भारत के पोस्ट–कोविड रिकवरी चरण के दौरान जारी है।
3. इसका अर्थ है कि 20 वर्ष से अधिक पुराने किसी भी निजी वाहन को फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा।
4. वित्त मंत्री के अनुसार, एक फिटनेस परीक्षण, स्वचालित फिटनेस केंद्रों में आयोजित किया जाएगा, जो यह निर्धारित करेगा कि प्रश्न में वाहन सड़कों पर चलने के लिए योग्य है, या स्क्रैप हीप के लिए नेतृत्व किया गया है।
5. वाहन निजी वाहनों (पीवी) के मामले में स्वचालित फिटनेस केंद्रों में 20 साल के बाद एवं व्यावसायिक वाहनों (सीवी) के मामले में 15 साल बाद फिटनेस परीक्षण से गुजरेंगे।

क्या कोई अन्य टैक्स लगाया गया है?

1. हां, सरकार ने एक ग्रीन टैक्स प्रस्तावित किया है, जिसके लिए आपको अपने फिटनेस प्रमाणपत्र को नवीनीकृत करने पर हर बार अपने सड़क कर का 10–25 प्रतिशत चुकाना पड़ता है।
2. इसका अर्थ यह है कि, परीक्षण के लिए आपको जो शुल्क देना होगा, उसके अलावा, आपको काफी राशि का भुगतान करना होगा, जो उनके प्रदूषण के स्तर के आधार पर शहर से शहर में भिन्न होता है।
3. उदाहरण के लिए, दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र में, यदि ग्रीन टैक्स, लागू किया जाता है, तो पंजीकरण के नवीकरण पर ग्राहक को रोड टैक्स का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

कोलंबो में ईसीटी विकसित करने में कोई भारतीय भूमिका नहीं

विवरण –

1. भारत एवं जापान के साथ 2019 के समझौते पर भरोसा करते हुए, श्रीलंका ने अपने दम पर कोलंबो पोर्ट पर रणनीतिक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी) विकसित करने का फैसला किया है।
2. श्रीलंका सरकार इसके बजाय संभावित निवेश के लिए भारत को वेस्ट कंटेनर टर्मिनल की पेशकश करेगी।
3. यह पोर्ट यूनियन वर्कर्स के किसी भी विदेशी भूमिका या ECT प्रोजेक्ट में निवेश के खिलाफ बढ़ते दबाव के बीच आता है, जहाँ लगभग 70% ट्रांसशिपमेंट व्यवसाय भारत से जुड़ा हुआ है।

ईस्ट कंटेनर टर्मिनल –

1. 2019 में, श्रीलंका, जापान एवं भारत ने संयुक्त रूप से कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2. तीनों देश मिलकर कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का निर्माण करेंगे।
3. समझौते के अनुसार श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी (SLPA) ने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ECT) के 100% स्वामित्व को बरकरार रखा है, जबकि टर्मिनल ऑपरेशंस कंपनी संयुक्त रूप से SLPA के स्वामित्व में है।
4. श्रीलंका परियोजना में 51% हिस्सेदारी रखेगा एवं संयुक्त उद्यम साझेदार 49% कायम रखेंगे।
5. जापान में 0.1% ब्याज दर के साथ 40 साल का सॉफ्ट लोन देने की संभावना है, भारत की पहल के योगदान का विवरण आना बाकि है।

भारत के लिए परियोजना का महत्व –

1. रणनीतिक रूप से स्थित ईसीटी में ट्रांस–शिपमेंट व्यवसाय का 70% से अधिक भारत से जुड़ा हुआ है।
2. भारत एवं जापान की भागीदारी परियोजना को चीन के बढ़ते प्रभाव को बेअसर करने के उद्देश्य से एक बड़े विकास के रूप में देखा जा रहा है, जिसने अपने विशाल बेल्ट एवं रोड (BRI) पहल के तहत दक्षिण एशियाई द्वीप राष्ट्र की बुनियादी ढाँचा योजना में पैसा निवेश किया है।

भारतीय प्रतिक्रिया –

1. विकास के बारे में पूछे जाने पर, एक वरिष्ठ भारतीय सूत्र ने कहा – 'हम आशा करेंगे कि श्रीलंका इस मामले पर एकतरफा निर्णय नहीं करेगा, क्योंकि इस पर एक त्रिपक्षीय समझौता है।'
2. नई दिल्ली के लिए, कोलंबो में रणनीतिक ईसीटी परियोजना प्राथमिकता पर उच्च रही है।
3. यह जनवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे सहित, उच्चतम स्तरों पर बातचीत में लगा है।

गिग इकॉनमी श्रमिकों को कवर करने के लिए ईएसआईसी एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा जाल

विवरण –

1. कोविड–19 महामारी के साथ अर्थव्यवस्था में श्रमिकों पर ध्यान देने के साथ, वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी पर कानून अब सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होगा, जिनमें प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग शामिल हैं।
2. ऐसे कर्मचारियों को अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा कवर किया जाएगा।

कर्मचारियों का राज्य बीमा –

1. कर्मचारी राज्य बीमा (संक्षिप्त रूप में ईएसआई) भारतीय श्रमिकों के लिए एक स्व–वित्तपोषण सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2. निधि का प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा किया जाता है, जो ईएसआई अधिनियम 1948 में निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अनुसार होता है।
3. ईएसआईसी भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक एवं स्वायत्त निकाय है।

अधिक जानकारी –

1. महिलाओं को सभी श्रेणियों में एवं पर्याप्त सुरक्षा के साथ रात की पाली में भी काम करने की अनुमति होगी।
2. इसी समय, एकल पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग एवं ऑनलाइन रिटर्न के साथ नियोक्ताओं पर अनुपालन बोझ कम हो जाएगा।
3. श्रम मंत्रालय एक गिग कर्मचारी को, किसी भी व्यक्ति जो 'काम करने या काम करने की व्यवस्था में भाग लेने वाले एवं पारंपरिक नियोक्ता–कर्मचारी संबंध से बाहर ऐसी गतिविधियों से कमाई करने वाले' के रूप में परिभाषित करता है।

आसान अनुपालन अंक –

1. श्रमिकों के अलावा, 2021–22 के बजट में भी स्टार्टअप्स के साथ–साथ बड़ी कंपनियों के लिए अनुपालन बोझ कम करने के उद्देश्य से उपायों का प्रस्ताव किया गया है।
2. कंपनी अधिनियम के तहत कई प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी कंपाउंडेबल अपराधों को कम करके, सरकार अब सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के लिए भी ऐसा करने का लक्ष्य रखती है।
3. जिन कंपनियों ने 2 करोड़ रुपये तक की पूंजी का भुगतान किया है एवं क्रमशः 50 लाख रुपये एवं 2 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक का कारोबार किया है को, नए वित्तीय वर्ष से छोटी कंपनियों की परिभाषा के तहत माना जाएगा, सीतारमण ने कहा।

4. सरकार ने किसी भी समय अन्य कंपनियों में परिवर्तित करने के विकल्प के साथ, एक–व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) की स्थापना को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव दिया है, जो उन्हें भुगतान की गई पूंजी एवं टर्नओवर पर किसी भी प्रतिबंध के बिना बढ़ने की अनुमति देती है।
5. एक भारतीय नागरिक के लिए ओपीसी स्थापित करने के लिए रेजिडेंसी की सीमा भी 182 दिनों में से 120 दिन कर दी गई है, जबकि अनिवासी भारतीयों को भारत में ओपीसी शुरू करने की अनुमति दी गई है।

डब्लूसीडी बजट में 24,435 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी, मिशन पोषण 2.0 लॉन्च

विवरण –

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस वर्ष अपने बजट आवंटन में 24,435 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
2. वित्त मंत्री ने आगे घोषणा की कि मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च करने के लिए पूरक पोषण योजनाओं को पोषण अभियान के साथ विलय किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन –

1. सरकार देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेप के रूप में एकछत्र बाल विकास सेवा योजना के तहत कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू कर रही है।
2. ये सभी योजनाएं पोषण से संबंधित एक या अन्य पहलुओं को संबोधित करती हैं एवं देश में पोषण परिणामों में सुधार करने की क्षमता रखती हैं।
3. पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात आंगनवाड़ी सेवाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), MWCD जननी सुरक्षा योजना (JSY), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), स्वच्छ भारत मिशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), विभाग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की किशोरियों (SAG) के लिए एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, के साथ अभिसरण सुनिश्चित करता है।
4. एनएनएम का लक्ष्य 0–6 वर्ष, किशोरवय लड़कियों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं से 2017–18 से शुरू होने वाले तीन वर्षों के दौरान बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करना है।

मिशन POSHAN 2.0 –

1. इस वर्ष मंत्रालय के लिए आवंटन में से सबसे अधिक राशि – 20,105 करोड़ रुपये, मिशन पोषण 2.0 एवं साक्षम आंगनवाड़ी योजना को आवंटित की गई है।
2. पोषण 2.0 अब एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना एवं राष्ट्रीय क्रेच योजना को जोड़ती है।
3. सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए आवंटन, जिसमें पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण शामिल हैं, 2020–21 में 2,411.80 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 3,575.96 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
4. बेटी बचाओ बेटी पढाओ, वन स्टॉप सेंटर्स, स्वाधार ग्रह, बाल संरक्षण, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, किशोरियों के लिए योजना एवं उज्जवला योजना को इस बजट में कुछ भी आवंटित नहीं किया गया है।
5. मंत्रालय के स्वायत्त निकायों का बजट जैसे – राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग एवं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड – बढ़ाया गया है।

शहरी जलक्षेत्रों को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए जल जीवन मिशन

विवरण –

1. बजट में घोषित शहरी 'जल आपूर्ति मिशन' में जल निकायों का कायाकल्प एवं पुर्नउपयोग किए गए पानी से 20% आपूर्ति शामिल होगी।
2. एक बयान में, मंत्रालय ने कहा कि सभी 4,378 वैधानिक शहरों में 2.68 करोड़ शहरी घरेलू नल कनेक्शनों का अनुमानित अंतर है जिसे जल जीवन मिशन (शहरी) (JJMU) पूर्ण करेगा।
3. मिशन का लक्ष्य मौजूदा शहरों में कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन (एएमआरयूटी) के तहत 500 शहरों में 2.64 करोड़ सीवर कनेक्शनों के अंतर को पाटना भी होगा।

In the pipeline

As of October 2018, 40.9% of the Indian urban households had piped water connection which acts as their principal source of drinking water in their homes. Top and bottom five States:

% URBAN HOMES WITH PIPED WATER CONNECTION

States/U.T.	%
Uttarakhand	72.6
J&K U.T.	69.3
Maharashtra	67
Delhi	63.3
Gujarat	62.2
West Bengal	25.5
Tamil Nadu	20.5
Kerala	18.8
A.P.	17.3
Bihar	17.2

जल जीवन मिशन –

1. जल जीवन मिशन, ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है।
2. कार्यक्रम अनिवार्य तत्वों के रूप में स्रोत स्थिरता उपायों को भी लागू करेगा, जैसे कि पुनर्भरण एवं पुर्नपयोग, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन इत्यादि।

3. जल जीवन मिशन पानी के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित होगा एवं इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा एवं संचार शामिल होंगे।
4. JJM पानी के लिए हर किसी की प्राथमिकता निश्चित करते हुए इसे जन आंदोलन बनाता है।
5. मिशन में स्थायी मीठे पानी की आपूर्ति एवं हरित स्थानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जल निकायों का कायाकल्प शामिल होगा।
6. जेजेएम (यू) उपचारित सीवेज के पुर्नचक्रण/पुर्नउपयोग, जल निकायों के कायाकल्प एवं जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रत्येक शहर के लिए शहर जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से पानी की परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
7. मंत्रालय ने कहा कि पानी की मांग का 20% पुर्नउपयोग किए गए पानी से पूर्ण किया जाएगा। मिशन पर पाँच वर्षों में कुल व्यय 2.87 लाख करोड़ होगा।

किफायती प्रौद्योगिकियां–

1. मंत्रालय ने कहा कि मेट्रोनेटो एवं मेट्रोलाइट तकनीकें, जो पारंपरिक मेट्रोज से किफायती हैं, का उल्लेख बजट में पहले से ही माना जा रहा था।
2. बजट घोषणाओं के अलावा, मंत्रालय ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को धन में वृद्धि हुई है।
3. 14 वें वित्त आयोग की अवधि में 3,87,143 करोड़ से, 15 वें वित्त आयोग की अवधि में पद 1,55,628 करोड़ से 78% की वृद्धि हुई थी।
4. यह कहा गया कि वित्त आयोग ने आठ नए शहरों के ऊष्मायन के लिए 8,000 करोड़ आवंटित किए थे एवं कहा कि शहरों का चयन राज्यों के लिए एक प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए इसके द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

पुनरुद्धार एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) के लिए औसत मिशन –

1. AMRUT को पीएम ने जून 2015 में बुनियादी ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया था जो शहरी पुनरुद्धार परियोजनाओं को लागू करके शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त मजबूत सीवेज नेटवर्क एवं पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता था।
2. राजस्थान, कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन (AMRUT) के लिए अटल मिशन के तहत राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य था।
3. योजना 2022 तक सभी के लिए आवास एवं कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) को एक ही दिन में लॉन्च किया गया था।
4. यह योजना सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर निर्भर है।
5. यदि आवश्यक हो, तो स्वच्छ भारत मिशन, सभी 2022 के लिए आवास, स्थानीय राज्य योजनाओं के साथ–साथ पानी की आपूर्ति एवं सीवरेज एवं अन्य बुनियादी ढाँचे से संबंधित अन्य योजनाओं को AMRUT से जोड़ा जा सकता है।

विवाह की आयु – उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के मामलों को स्वयं के लिए स्थानांतरित करने की याचिका का अध्ययन करेगी

विवरण –

1. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एवं राजस्थान उच्च न्यायालयों में लंबित विवाह के लिए 'समान न्यूनतम आयु' मामलों को खुद को स्थानांतरित करने की एक याचिका की जांच करने का फैसला किया।

अधिक जानकारी –

1. विभिन्न कानूनों में कहा गया है कि विवाह करने की न्यूनतम उम्र महिलाओं के लिए 18 एवं पुरुषों के लिए 21 होनी चाहिए।
2. याचिकाकर्ता अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर है क्योंकि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए एक समान न्यूनतम विवाह आयु हो इसके लिए और भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है।
3. इसलिए, मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए, न्यायालय को इन जनहित याचिकाओं को स्थानांतरित करने एवं उन्हें सामूहिक रूप से तय किया जा सकता है।
4. इसने केंद्र सरकार से विवाह की न्यूनतम आयु में विसंगतियों को दूर करने एवं इसे 'लिंग–तटस्थ, धर्म–तटस्थ एवं सभी नागरिकों के लिए एक समान' बनाने की दिशा में कदम उठाने की मांग की।

बच्चों का विवाह दर क्या है? बाल विवाह कितना बड़ा मुद्दा है?

1. भारत में 27% लड़कियों की शादी उनके 18 वें जन्मदिन से पहले एवं 7% की शादी 15 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। 4% लड़कों की शादी उनके 18 वें जन्मदिन से पहले ही कर दी जाती है।
2. भारत में दुनिया में 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित या महिलाओं की संख्या सबसे अधिक 15,648,000 है।
3. बाल विवाह शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। सामान्य रूप से, भारत के मध्य एवं पश्चिमी भागों में बाल विवाह की दरें उच्चतम हैं।
4. उदाहरण के लिए, राजस्थान एवं बिहार जिलों में बाल विवाह की दर 47% से 51% तक है।

क्या इस कुप्रथा के देशव्यापी प्रेरक उपलब्ध हैं?

बाल विवाह लैंगिक असमानता एवं इस धारणा से प्रेरित है कि लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से निम्न हैं।

भारत में, बाल विवाह भी निम्न द्वारा प्रेरित है –

1. **हानिकारक पारंपरिक प्रथाएं** – पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड मानते हैं कि विवाहित महिलाएं एवं लड़कियां अपने पति के परिवार से संबंधित हैं एवं महिलाओं को आमतौर पर आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है। लड़कियों से अनुकूलन, विनम्र, मेहनती एवं प्रतिभाशाली पत्नियों की अपेक्षा की जाती है। भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए धर्म पर आधारित प्रथागत कानून एक बड़ी बाधा है।
2. **लड़कियों की लैंगिकता पर नियंत्रण** – जब तक एक बेटी की शादी नहीं होती है, तब तक उसकी शुद्धता को उसके पिता के सम्मान का चिन्ह माना जाता है। यह पुरुषों को अपनी बेटियों की जल्दी शादी करने के लिए प्रेरित करता है। यौवन पर शादी करने का सामाजिक दबाव कुछ जातियों के भीतर भारी हो सकता है। कुछ लड़कियों को उनके भविष्य को 'सुरक्षित' करने के लिए पैदा होने से पहले शादी का वादा किया जाता है। एक बार जब वे युवावस्था में पहुँच जाते हैं, तो गौना या 'भेजना' समारोह होने लगते हैं एवं उन्हें विवाहित जीवन शुरू करने के लिए अपने पति के घर भेज दिया जाता है।
3. **गरीबी** – गरीब परिवारों में बाल विवाह अधिक आम है, कई परिवार अपनी कथित आर्थिक बोझ को कम करने के लिए अपनी बेटियों की शादी करते हैं। लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है क्योंकि युवा दुल्हनों के लिए कम दहेज की उम्मीद की जाती है।
4. **शिक्षा का स्तर** – बिना शिक्षा वाली महिलाओं की शादी दस साल की शिक्षा या उससे अधिक वाले लोगों की तुलना में छह गुना अधिक है। कई परिवार लड़कियों को पराया धन (किसी और की संपत्ति) मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक लड़की की उत्पादक क्षमता उसके वैवाहिक परिवार को लाभान्वित करती है, एवं बेटियों को शिक्षित करना इसलिए बेटों को शिक्षित करने की तुलना में कम प्राथमिकता के रूप में देखा जाता है, जो बुढ़ापे में अपने जैविक माता–पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, नौकरियों एवं रोजगार के अवसरों की कमी को देखते हुए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए कम मूल्य है जहां शिक्षा की दूरी एवं कम गुणवत्ता मध्य विद्यालय से परे लड़कियों की शिक्षा के लिए सक्रिय बाधाएं हैं।
5. **घरेलू श्रम** – लड़कियों को अक्सर युवावस्था में शादी कर दी जाती है, जब उन्हें सबसे 'उत्पादक' समझा जाता है एवं वे बच्चों की देखभाल कर सकती हैं एवं घर का काम कर सकती हैं। युवा दुल्हनों का श्रम कुछ ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के लिए केंद्रीय है।
6. **लड़कियों के खिलाफ हिंसा** – सुरक्षा के अभाव एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ हिंसा की आशंका के कारण कुछ लड़कियों की शादी होने के कई मामले सामने आते हैं। हालांकि, 2014 के एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में बाल वधुओं को अपने वैवाहिक घर के भीतर यौन एवं शारीरिक हिंसा का अधिक खतरा है।
7. **खराब कानून प्रवर्तन** – कई कानूनी खामियां हैं। महिलाओं एवं लड़कियों में न्याय तक पहुँच के लिए कानून के बारे में जागरूकता कम है।

भारत क्या करना चाहता है?

1. भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 5.3 के अनुरूप 2030 तक बाल विवाह, जल्दी एवं जबरन विवाह को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है।
2. सरकार ने 2017 के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में अपने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के दौरान इस लक्ष्य की प्रगति पर कोई अपडेट प्रदान नहीं किया है।
3. भारत ने 1992 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन स्वीकार किया है, जिसमें 18 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, एवं 1993 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि राज्य शादी के लिए स्वतंत्र एवं पूर्ण सहमति सुनिश्चित करें।
4. अपनी 2017 यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के दौरान, भारत बाल विवाह के खिलाफ कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए सिफारिशों पर विचार करने पर सहमत हुआ।
5. भारत साउथ एशियन इनिशिएटिव टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन (SAIEVAC) का भी सदस्य है, जिसने 2015 से 2018 तक बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक क्षेत्रीय कार्य योजना को अपनाया।
6. भारत सहित दक्षिण एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (SAARC) के प्रतिनिधियों ने 2014 में एशिया में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए काठमांडू कॉल पर जोर दिया। अपनी प्रतिबद्धता के रूप में भारत बाल वधुओं तक न्यायिक पहुँच को बढ़ाएगा तथा लड़के एवं लड़कियों दोनो के लिए विवाह की समान उम्र 18 वर्ष की स्थापना करेगा। हालांकि 2020 तक, लड़कों की कानूनी उम्र 21 वर्ष है।
7. 2019 में, ICPD25 पर नैरोबी शिखर सम्मेलन में, भारत ने सभी महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध किया, लेकिन बाल विवाह का उल्लेख किए बिना।

राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए क्या किया जा रहा है?

1. 2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई थी, लेकिन सरकार ने 2014 में इसमें बदलाव किए। प्रमुख घटकों में कानून प्रवर्तन, सामाजिक मानदंडों को बदलना, किशोरों को सशक्त बनाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं ज्ञान साझा करना शामिल था।
2. भारत, यूनिसेफ–यूएनएफपीए द्वारा 12 देशों में कार्यरत, बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में चलाए जा रहे एक बहु–दाता, बहु–पक्षीय, चार वर्षीय कार्यक्रम का प्रमुख केंद्रीय देश है। 2018 में, इस वैश्विक कार्यक्रम की पहुँच, किशोर समूहों के माध्यम से लगभग 2.3 मिलियन लड़कियों तक हो गई, जिससे स्वास्थ्य जानकारी एवं जीवन कौशल प्रशिक्षण में उनकी भागीदारी और सक्षम हो गई।
3. अपनी विकेंद्रीकृत शासन संरचना के कारण, हाल के वर्षों में कार्य योजनाओं के विकास के साथ राज्य स्तर पर अधिक पहल हुई हैं। जब भी कुछ राज्यों ने सीमित कार्रवाई की है, राजस्थान, बाल विवाह के उच्चतम प्रसार वाले राज्यों में से एक, ने, मार्च 2017 में बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक रणनीति एवं कार्य योजना एवं एक बड़े पैमाने पर वकालत अभियान शुरू किया।
4. 2018 में, झारखंड राज्य ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक राज्य कार्य योजना विकसित की एवं बिहार राज्य ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक रणनीति एवं कार्य योजना शुरू की। इसके भाग के रूप में, 101 लोक सेवकों को बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, एवं बाल विवाह के मामलों की जागरूकता एवं रिपोर्टिंग को बढ़ाने के लिए कार्य बल का गठन किया गया था।
5. पश्चिम बंगाल में बच्चों के लिए राज्य योजना भी है, जिसमें बाल विवाह शामिल है। गुजरात एवं ओडिशा सहित अन्य राज्यों ने 2018 में बाल संरक्षण योजनाओं को समेकित किया गया है।
6. पिछली सरकारी योजनाओं में नकद प्रोत्साहन (जैसे कि धन लक्ष्मी योजना एवं अपनी बेटी अपना धन कार्यक्रम), किशोरों के सशक्तिकरण कार्यक्रम (किशोरी शक्ति योजना) एवं बाल विवाह से संबंधित व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

विवाह के चारो और न्यूनतम कानूनी फ्रेमवर्क के क्या है?

1. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार, भारत में बिना किसी अपवाद के लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष है। लड़कों के लिए, कानूनी उम्र शादी 21 साल की है।
2. हाल के वर्षों में कई अदालती मामले हुए हैं जहाँ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधान मुसलमानों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि मुस्लिमों के बीच विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ आवेदन अधिनियम, 1937 द्वारा शासित होते हैं।
3. 2017 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में व्यक्तिगत कानूनों पर प्राथमिकता है।

8 नए शहरों के उश्मायन के लिए 8000 करोड़ रूपयों की स्वीकृति

विवरण –

15 वें वित्त आयोग ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के अनुसार, आठ नए शहरों को शुरू करने के लिए 8,000 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है।

फैलते शहर –

1. वित्त आयोग ने एक नई सोच दी है। जिस तरह से राष्ट्र बढ़ रहा है, जब तक हमने योजनाबद्ध शहर नहीं बनाए हैं, शहरों का अनियोजित फैलाव होगा एवं अनियोजित फैलाव कुशलतापूर्ण नही होता है।
2. 2011 की जनगणना ने भारत के 31.2 प्रतिशत को शहरी के रूप में वर्गीकृत किया था, लेकिन वैधानिक शहरों के रूप में केवल 26 प्रतिशत को।
3. शहरीकृत भारत का 5 प्रतिशत – जो लगभग 6 करोड़ के आसपास है – या तो जनगणना शहरों में या बाहरी शहरों में रह रहा है।
4. जनगणना शहर 5,000 से अधिक लोगों के शहर हैं, जिनका घनत्व 400 प्रति वर्ग किमी से अधिक है, एवं गैर–कृषि, पुरुष मजदूरों का 75 प्रतिशत से अधिक है।
5. जनगणना शहर अभी भी पंचायत प्रणालियों के अंतर्गत हैं, न कि नगरपालिकाओं के। फैलते हुए शहर भी बड़े शहरों की परिधि में है, जो पंचायतों द्वारा शासित हैं।

ULBs के लिए समग्र वित्त पोषण में वृद्धि –

1. एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए, वायु गुणवत्ता, पेयजल, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के प्रदर्शन के आधार पर लगभग 38,000 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे।
2. 1 मिलियन से कम आबादी वाले शहरों के लिए, लगभग 83,000 करोड़ रुपये समान तरीके से वितरित किए जाएंगे।
3. वित्त आयोग ने "साझा नगरपालिका सेवाओं" फंड को 450 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं जहां मंत्रालय छोटे शहरी निकायों को डेटाबेस रखरखाव जैसे उनके बैक–एंड काम में मदद करेगा।
4. मंत्रालय ने सबसे छोटे शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के 86 क्लस्टर बनाए, जिन्हें वे दूर से सेवा में मदद कर सकते हैं।

5. यूएलबी के लिए आयोग के कुल फंड में पिछले साल के 87,000 करोड़ रुपये से 1.6 लाख करोड़ रुपये अर्थात 78 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसमें से 1.2 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक राशि सीधे यूएलबी को आवंटित की गई है।
6. शहरों को तभी धन प्राप्त होगा जब उनके वार्षिक खातों को सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया जाएगा।
7. इसके अलावा, अगर किसी राज्य की जीडीपी बढ़ती है, तो शहर के संपत्ति कर में समान अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए, मिश्रा ने कहा।
8. राज्य की जीडीपी बढ़ने के बावजूद शहरी स्थानीय निकायों के कमजोर होते जाने के कारण यह शर्त जोड़ी गई है।
9. MoHUA के लिए बजट में, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), सभी के लिए आवास प्रदान करने के लिए, 2020–21 में 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, लेकिन 21,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
10. इसी प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, इस वर्ष के बजट में आवंटन 8,000 करोड़ रुपये है, इससे उद्योग के प्रमुख विशेषज्ञ यह अनुमान लगा रहे हैं कि मिशन के अधिकतर वित्तपोषण के लिए फिर से अतिरिक्त–बजटीय संसाधनों का सहारा लेना होगा।

नई योजनाएं –

1. अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई बस योजना एवं शहरों में MetroLite एवं MetroNeo सिस्टम पर जोर देने की घोषणा की थी।
2. बस वृद्धि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों एवं राज्य की राजधानियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
3. टियर–2 शहरों जैसे कि गोरखपुर, जम्मू, श्रीनगर में मेट्रोज पर ध्यान देने के साथ, भिवाड़ी, एवं डेहरी को कवर करते हुए भारत की मेट्रो लाईनों को वर्तमान 700 किलोमीटर से बढ़ाकर 1,000 किमी तक विस्तारित करने का लक्ष्य है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमीटेड को 83 एलसीए का अनुबंध 48,000 करोड़ रूपये में मिला

विवरण –

1. बेंगलुरु में एयरो इंडिया के 13 वें संस्करण में, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस बनाने का ठेका दिया गया है।

HAL तेजस –

1. HAL तेजस एक भारतीय एकल इंजन, चौथी पीढ़ी का, भारतीय वायु सेना एवं भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर (ARDC) के सहयोग से वैमानिकी विकास एजेंसी (ADA) द्वारा डिजाइन किया गया मल्टीरोल लाइट फाइटर विमान है।
2. यह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) प्रोग्राम से आया है, जो 1980 के दशक में भारत के बूढ़े मिग–21 लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए शुरू हुआ था।
3. 2003 में, LCA को आधिकारिक तौर पर 'तेजस' नाम दिया गया था।
4. तेजस में एक एकल ऊर्ध्वाधन स्टेबलाइजर के साथ एक पूंछ–कम यौगिक डेल्टा–विंग कॉन्फिगरेशन है। यह पारंपरिक विंग डिजाइनों की तुलना में बेहतर उच्च–अल्फा प्रदर्शन विशेषताओं को प्रदान करता है।
5. यह रिलेक्स्ड स्टेटिक स्टेबिलीटी, फ्लाई–बाय–वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, मल्टी–मोड रडार, एकीकृत डिजिटल एवियोनिक्स सिस्टम एवं कंपोसिट मटेरियल स्ट्रकचर जैसी प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है।
6. यह समकालीन सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों के अपने वर्ग में सबसे छोटा एवं हल्का है।
7. तेजस, एचएएल एचएफ–24 मारुत के बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा विकसित दूसरा सुपरसोनिक फाइटर है।
8. भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए तेजस मार्क 1 का उत्पादन 2016 में शुरू हुआ, इस समय भारतीय नौसेना (IN) के लिए नौसैनिक संस्करण का उड़ान परीक्षण चल रहा था।
9. पहली तेजस IAF इकाई, नंबर 45 स्क्वाड्रन IAF फ्लाइंग डैगर्स का गठन 1 जुलाई 2016 को दो विमानों के साथ किया गया था।
10. रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने संसद को सूचित किया कि तेजस की स्वदेशी सामग्री 2016 में 59.7% एवं लाइन की बदली इकाइयों की संख्या से 75.5% थी।

भारत के मोटिव –

1. भारत ने अनसुलझे सीमा की यथास्थिति को बदलने के लिए बल लगाने के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों को देखा है एवं भारत किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने एवं हर कीमत पर लोगों एवं क्षेत्रीय अखंडता का प्रतिकार करने के लिए सतर्क एवं तैयार है। भारत का इस ओर संकल्प हमारी बढ़ती रक्षा क्षमताओं द्वारा दिखाया गया है'
2. भारत की योजना अगले 7–8 वर्षों में सैन्य आधुनिकीकरण पर $ 130 बिलीयन रूपये खर्च करने की है।
3. भारत को कई मोर्चों से निकलने वाले खतरों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ा एवं यह राज्य प्रायोजित आतंकवाद का शिकार था, जो अब एक वैश्विक खतरा था।

8 वर्ष में डिलीवरी –

1. यह अनुबंध अब तक का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया रक्षा अनुबंध है।
2. इस अनुबंध में 45,696 करोड़ रूपये की लागत के साथ 73 LCA तेजस एमके–1 ए लड़ाकू विमान एवं 10 एलसीए तेजस एमके–1 ट्रेनर विमान शामिल हैं, जिसमें 1,202 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के डिजाइन एवं विकास शामिल हैं।

3. सभी 83 विमानों की डिलीवरी साल की अवधि में पूरी की जाएगी।
4. विश्व स्तर पर हम 'अनिश्चितता, अस्थिरता एवं परस्पर खतरों' के अभूतपूर्व स्तर का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने अधिक से अधिक क्षेत्रीय समन्वय की बात कही।
5. रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत, आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत – एलसीए ट्रेनर, एचटीटी–40 ट्रेनर, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर, एडवांस्ड हॉक एमके–132 एवं सिविल डोर्नियर Do–228 आदि का निर्माण किया है।

अमेरिका ने रूस के साथ नई START परमाणु संधि का विस्तार किया

विवरण –

1. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिदेन के प्रशासन ने रूस के साथ नई START परमाणु संधि को पांच साल के लिए, यह कहते हुए कि यह मास्को के साथ बढ़ते तनाव के बावजूद हथियारों की दौड़ को रोकने की उम्मीद करता है, बढ़ा दिया।
2. संधि समाप्त होने से एक दिन पहले, राज्य के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पांच वर्षों के अधिकतम अनुमत समय तक नई START का विस्तार कर रहा है।

प्रदर्शन –

1. राष्ट्रपति बिदेन ने हथियारों के नियंत्रण एवं अप्रसार पर अमेरिकी नेतृत्व को बहाल करके अमेरिकी लोगों को परमाणु खतरों से सुरक्षित रखने का वचन दिया है।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभावी हथियार नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है जो महंगी, खतरनाक दौड़ के जोखिमों को कम करते हुए स्थिरता, पारदर्शिता एवं पूर्वानुमानशीलता को बढ़ाता है।"
3. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समझौते का विस्तार करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किया, जिसका अर्थ है कि संधि – 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा हस्ताक्षर के बाद से – 5 फरवरी, 2026 तक चलेगी।
4. हथियार कटौती पूर्व शीत युद्ध के प्रतिद्वंद्वियों, के बीच 1,550 परमाणु प्रक्षेपास्त्र हैं।

चीन का जखीरा –

1. पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने मास्को के साथ पिछले समझौतों को स्वीकार किया एवं चीन को कवर करने के लिए नए START का विस्तार करने की असफल कोशिश की।
2. मि. ब्लिंकेन ने कहा कि यू.एस. आने वाले पांच वर्षों का उपयोग कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए करेगा, जो रूस के परमाणु हथियारों एवं चीन के आधुनिक एवं बढ़ते परमाणु शस्त्रागार से खतरों को कम करेगा।

चौरी चौरा शताब्दी समारोह

संपर्क –

- भारत के प्रधानमंत्री 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया।
- दिन चौरी चौरा की घटना के 100 साल पूरे होने का संकेत देता है। जो स्वतंत्रता के लिए देश की लड़ाई में ऐतिहासिक घटना रही है।

विवरण –

- दिनाँक – 4 फरवरी 1922
- स्थान – ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत (आधुनिक उत्तर प्रदेश) के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा
- इसमें असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने गोलियां चलाईं।
- जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया एवं एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे उसके सभी पुलिसकर्मी मारे गए।
- घटना में तीन नागरिकों एवं 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।
- हिंसा के सख्त खिलाफ महात्मा गांधी ने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया।

गोबरधन गतिविधियाँ

संपर्क –

- कृषि मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय एवं जल शक्ति राज्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से पूरे देश में गोबरधन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया।

विवरण –

- गोबरधन जैविक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन चरण–2 का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- ग्रामीण स्तर पर, पहले गोबर कचरे के उचित निपटान का कोई तरीका नहीं था, लेकिन गोबरधन कार्यक्रम की शुरुआत के बाद, लोग गोबर का उचित निपटान कर पाएंगे एवं ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।
- गोबरधन पायलट परियोजना स्वच्छता में एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कदम साबित होगी। इसके माध्यम से किसान सही मायने में कचरे से धन प्राप्त कर सकेंगे।
- गोबरधन की महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से देश को ओडीएफ प्लस बनाने के अलावा, आने वाले वर्षों में भारत को इथेनॉल, जैव–डीजल एवं संपीड़ित जैव–ईंधन मिलेगा।

- गोबरधन के एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ विभिन्न बायोगैस परियोजनाओं के मॉडल एवं पहलों के लिए एक अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एवं मजबूत करेगा।

मातृ कल्याण योजना के लाभार्थी 1.75 करोड़ पार

विवरण –

1. सरकार की मातृत्व लाभ योजना, या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वित्तीय वर्ष 2020 तक 1.75 करोड़ पात्र महिलाओं को पार कर चुकी है।
2. वित्त वर्ष 2018 एवं 2020 के बीच कुल 1.75 करोड़ पात्र लाभार्थियों को 31 5,931.95 करोड़ का भुगतान किया गया।
3. इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष में 65.12 लाख महिलाओं को 0 2,063.70 करोड़ का वितरण किया गया था।

प्रधान मनु मैत्री वंदना –

1. भारत सरकार द्वारा संचालित मातृत्व लाभ कार्यक्रम।
2. यह 2017 में पेश किया गया था एवं यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है।
3. यह पहली जीवित जन्म के लिए 19 वर्ष या उससे अधिक की गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।
4. यह महिलाओं को प्रसव एवं प्रसव के दौरान मजदूरी–हानि के लिए महिलाओं को आंशिक मजदूरी मुआवजा प्रदान करता है एवं सुरक्षित प्रसव एवं अच्छे पोषण एवं खिला प्रथाओं के लिए शर्तें प्रदान करता है।
5. 2013 में, अधिनियम में वर्णित 6,000 रूपये (यूएस $ 84) के नकद मातृत्व लाभ के प्रावधान को लागू करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत योजना लाई गई थी।
6. वर्तमान में, योजना को 53 चयनित जिलों में पायलट आधार पर लागू किया गया है एवं 2015–16 में 200 अतिरिक्त पद उच्च बोझ जनपदों में इसे लागू करने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।
7. पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत दिया जाने वाला प्रोत्साहन प्राप्त होगा एवं JSY के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन का मातृत्व लाभ की ओर ध्यान रखा जाएगा ताकि एक महिला को औसतन 6,000 रूपये (US $ 84) प्राप्त हो।
8. इस योजना को पूरे राष्ट्र को कवर करने के लिए दोबारा मातृत्व लाभ कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
9. प्रधानमंत्री ने अपने 2017 के नए साल की पूर्व संध्या भाषण में घोषणा की कि देश के 650 जिलों को कवर करने के लिए इस योजना को बढ़ाया जाएगा।
10. घोषणा के अनुसार भारत दुनिया के सभी मातृ मृत्यु का 17% हिस्सा रखता है।
11. देश की मातृ मृत्यु दर 113 प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर आंकी जाती है, जबकि शिशु मृत्यु दर 32 प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर अनुमानित है।
12. उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के प्राथमिक कारणों में गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान खराब पोषण एवं अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल है।

लाभ –

1. इनमें से कितने अनूठे लाभार्थी थे, एवं इस योजना के विभिन्न किश्तों को प्राप्त करने वाले लोगों के बारे में अलग–अलग आंकड़े प्रदान नहीं किए गए थे।
2. सरकार के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, इस योजना के जरिए प्रति वर्ष 51.7 लाख महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।
3. पीएमएमवीवाई के तहत, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद तीन किश्तों में अपने पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रूपये मिलते हैं।
4. प्रत्यक्ष लाभ नकद हस्तांतरण गर्भवती माताओं को बढ़ी हुई पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के साथ–साथ उनकी गर्भावस्था के दौरान मजदूरी नुकसान के लिए आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए है।

जम्मू कश्मीर में अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए, सरकार ने इसके कैडर को एजीएमयूटी के साथ विलय करने के लिए विधेयक पेश किया

विवरण –

1. सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के IAS, IPS एवं IFS कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर में विलय करने के लिए राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया।
2. पिछले महीने अध्यादेश के जरिए कैडरों का विलय कर दिया गया था।
3. इस कदम ने इन राज्यों के अधिकारियों को जम्मू एवं कश्मीर में एवं जम्मू एवं कश्मीर के अधिकारियों को इन राज्यों में कार्य करने की अनुमति दी है।

परिवर्तन का कारण–

1. सरकार को जम्मू–कश्मीर के नए बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश में अधिकारियों की कमी को देखते हुए इन दो संवर्गों का विलय करना पड़ा।
2. जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है, जिसने तब जम्मू–कश्मीर कैडर को मौजूदा अधिकारियों के लिए बनाए रखने का प्रावधान किया था एवं कहा था कि वहां तैनात नए अधिकारी यूटी कैडर से आएंगे।
3. जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भारी कमी है।
4. जम्मू एवं कश्मीर के मौजूदा कैडर में अखिल भारतीय अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण विकासात्मक योजनाएँ, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ पीड़ित हैं।

5. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केंद्रशासित प्रदेश कैडर को विलय करने की आवश्यकता है ताकि इस कैडर के अधिकारियों को कुछ हद तक किसी भी कमी को पूरा करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में तैनात किया जा सके।
6. यह कहा गया कि विधेयक सभी केंद्र शासित प्रदेशों के शासन में एकरूपता प्रदान करने एवं उनके प्रशासन में दक्षता बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है।
7. अधिकारियों की शिथिलता के अलावा, कैडरों के विलय का कारण जम्मू–कश्मीर कैडर के अधिकारियों एवं उनके 'राजनीतिक लिंक' के हितों का भी है।

रिटेल निवेशक सीधे सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने में सक्षम होंगे – भारिबै

विवरण –

1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि यह खुदरा (रिटेल) निवेशकों को सीधे एवं बिना बिचौलियों की मदद से केंद्रीय प्रतिभूतियों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए गिल्ट खाते खोलने की अनुमति देगा।

सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या हैं?

1. ये सरकार द्वारा धन उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण साधन हैं।
2. दो प्रमुख श्रेणियां हैं ट्रेजरी बिल – अल्पकालिक उपकरण जो 91 दिन, 182 दिन, या 364 दिन, एवं दिनांकित प्रतिभूतियां – दीर्घकालिक उपकरण जो 5 साल से 40 साल के बीच कहीं परिपक्व होते हैं।

निवेशक आधार को जारी करना –

1. यह निवेशक आधार को व्यापक करेगा एवं खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में भाग लेने के लिए बढ़ी पहुंच प्रदान करेगा।
2. यह एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार है जो भारत को कुछ चुनिंदा देशों में रखता है जिनके पास समान सुविधाएं हैं।
3. यह HTM 'परिपक्वता के लिए पकड़, छूट के साथ मिलकर, 2021–22 में सरकार के उधार कार्यक्रम को पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा।'
4. भारिबै जल्द ही ऐसे खाते खोलने के लिए तौर–तरीके तैयार करेगा। यह प्रावधान किसी भी तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम एवं बैंक डिपॉजिट में निवेशकों के फंड के प्रवाह में बाधा नहीं बनेगा।
5. सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा भागीदारी की अनुमति घरेलू बचत के एक विशाल भंडार के वित्तीयकरण की दिशा में एक साहसिक कदम है एवं यह एक खेल–परिवर्तक कदम हो सकता है।

विशेषज्ञों का जलवायु परिवतन प्रभाव की ओर इशारा

संदर्भ –

1. उत्तराखंड में नंदादेवी पर हिमनद पिघलने से उत्पन्न एक जलप्रलय से उत्तराखंड में ऋषिगंगा नदी में आई बाढ़ ने कम से कम दो पनबिजली परियोजनाओं 13.2 मेगावाट की ऋषिगंगा एवं अलकनंदा की एक सहायक नदी, धौलीगंगा नदी पर स्थित तपोवन परियोजना, को डुबो दिया।

विवरण –

1. पर्यावरण विशेषज्ञों ने नंदा देवी हिमनद पिघलन के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल के नवीनतम आकलन रिपोर्टों के अनुसार, ग्लेशियर के पिघलने से पर्माफ्रॉस्ट थॉव को पहाड़ की ढलान की स्थिरता कम होने एवं 'ग्लेशियर झीलों' की संख्या एवं क्षेत्र को बढ़ाने का अनुमान है।

जलवायु परिवर्तन क्या है?

1. जलवायु परिवर्तन औसत मौसम पैटर्न में एक दीर्घकालिक परिवर्तन है जो पृथ्वी के स्थानीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक जलवायु को परिभाषित करने के लिए आया है। इन परिवर्तनों में व्यापक प्रभाव देखे गए हैं जो शब्द का पर्याय हैं।
2. जलवायु परिवर्तन ने अनियमित मौसम पैटर्न को बढ़ाया है जैसे बर्फबारी एवं बारिश में वृद्धि, एवं गर्म सर्दियों के कारण बहुत अधिक बर्फ पिघलने लगी है।
3. बर्फ का थर्मल प्रोफाइल, बढ़ रहा है। पहले बर्फ का तापमान –6 से –20 डिग्री सेल्सियस तक होता था, अब यह –2 डिग्री पर पिघलने जितना अतिसंवेदनशील बन रहा है।

जलवायु परिवर्तनशीलता एवं जलवायु परिवर्तन के बीच अंतर –

1. जलवायु परिवर्तनशीलता में जलवायु में सभी बदलाव शामिल हैं जो किसी विशेष मौसम की घटनाओं की तुलना में लंबे समय तक चलते हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन शब्द केवल उन विविधताओं को संदर्भित करता है जो लंबे समय तक बनी रहती हैं, आमतौर पर दशकों या उससे अधिक।
2. औद्योगिक क्रांति के बाद के समय में, जलवायु, मानव गतिविधियों से तेजी से प्रभावित हुई है जो ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है।
3. वार्मिंग का सबसे बड़ा चालक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन है, जिनमें से 90% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) एवं मीथेन हैं।
4. कृषि, वनों की कटाई एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं से अतिरिक्त योगदान के साथ, ऊर्जा की खपत के लिए जीवाश्म ईंधन जलाना (कोयला, तेल एवं गैस) इन उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है।

जलवायु परिवर्तन के मानवीय प्रभाव –

1. कुपोषण
2. कम फसल की पैदावार से भूख,
3. मछलीयों की संख्या में गिरावट,
4. संक्रामक रोगों में वृद्धि,
5. बाढ़, प्राकृतिक आपदा
6. संभावित रूप से गंभीर आर्थिक प्रभाव,
7. वैश्विक आर्थिक असमानता में वृद्धि
8. निर्जन जलवायु क्षेत्रों में रहने वाले अधिक लोग
9. बढ़ा हुआ पलायन
10. विश्व स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव
11. समुद्र का बढ़ता स्तर
12. समुद्र का बढ़ता तापमान
13. महासागरीय अम्लीकरण में वृद्धि

जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाने के उपाय –

1. वन एवं वृक्षारोपण
2. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, एवं उन्हें वातावरण से हटाना
3. विधियों में निम्न–कार्बन ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं परिनियोजन शामिल हैं
4. अक्षय ऊर्जा – पवन एवं सौर
5. कोयले का उपयोग बंद करना, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि
6. पुनर्वितरण एवं वन संरक्षण
7. वास्तविक या अपेक्षित जलवायु को समायोजित करते हुए अनुकूलन
8. बेहतर तटीय सुरक्षा, बेहतर आपदा प्रबंधन
9. अधिक प्रतिरोधी फसलों का विकास
10. अनुकूलन केवल जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम नहीं कर सकता है, यह एक प्रभावी कार्यान्वयन होना चाहिए।

निष्कर्ष –

1. 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर किए, भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद की जीएचजी (ग्रीनहाउस गैस) उत्सर्जन में 33–35 प्रतिशत की कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, गैर–जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता को बढ़ाकर 2015 में 28 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कर दिया है। वन आवरण को बढ़ाकर प्रति वर्ष 2.5–3 बिलियन टन CO_2 का कार्बन सिंक जोड़ें।
2. भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य का 21% हासिल किया, जो कि 2030 तक 33–35% की कमी की प्रतिज्ञा के अनुरूप है।
3. भारत एकमात्र प्रमुख जी 20 देश था जो अपनी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताओं को चलाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की दिशा में था।

पुरुष मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन का अधिक उपयोग करते हैं

संदभ –

1. किरण 'हेल्पलाइन सेवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई थी।
2. मंत्रालय के आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एसजेई) मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में शुरू की गई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन में सत्तर प्रतिशत कॉलर्स, पुरुष थे, तथा जिन तक पहुँच बन पाई उनमें लगभग 32% छात्र थे।
3. कॉल करने वालों का अधिकांश हिस्सा (75.5%) 15 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में था, जबकि 18.1% वृद्ध (41 से 60 आयु वर्ग में) थे।

विवरण –

1. कॉल करने वालों में 65.9% 'साधारण रूप से व्यथित', जबकि 26.5% 'मध्यम रूप से व्यथित' एवं 7.6% 'गंभीर रूप से व्यथित' थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉल करने वालों में से 32.3% छात्र, 15.2% स्व–नियोजित, 27.1% कार्यरत, 23.3% बेरोजगार, 1.4% गृहिणी थे एवं 0.7% ने जानकारी नहीं दी।
2. जबकि अधिकांश कॉलर्स (78.2%) ने खुद के लिए मदद मांगी, अन्य ने अपने माता–पिता, भाई–बहन, जीवनसाथी एवं अन्य लोगों के लिए।
3. अधिकांश कॉल नॉर्थ जोन (40.32%), उसके बाद वेस्ट (27.08%), साउथ (16.99%), ईस्ट (11.28%) एवं नॉर्थ ईस्ट (4.33%) की थीं।
4. 24/7 हेल्पलाइन प्रारंभिक जांच, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन, मानसिक कल्याण, मनोवैज्ञानिक संकट प्रबंधन सेवाएं एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए रेफरल प्रदान करता है एवं 81 फ्रंट–लाइन पेशेवरों स्वयंसेवक के अलावा मनोचिकित्सक, नैदानिक एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक द्वारा संचालित किया जाता है।

मुद्दे –

1. उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ–भारत के नवीनतम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार, पूरे भारत में अनुमानित 150 मिलियन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है।

2. <u>संसाधनों की कमी –</u>

   ए. भारत में मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या (प्रति 100,000 जनसंख्या) के कम अनुपात में मनोचिकित्सक (0.3), नर्स (0.12), मनोवैज्ञानिक (0.07) एवं सामाजिक कार्यकर्ता (0.07) शामिल हैं।

   बी. स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद के महज एक प्रतिशत से कम वित्तीय संसाधन आवंटन ने सस्ती मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सार्वजनिक पहुंच में बाधाएं पैदा की हैं।

3. अर्थव्यवस्था को नुकसान – मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के देरी या गैर–उपचार के कारण मानव पूंजी के मामले में नुकसान होता है एवं अर्थव्यवस्था को खोए हुए मानव–दिनों के रूप में समग्र नुकसान होता है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र शहरी क्षेत्रों में है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं है, इससे जेब खर्च बढ़ता है।
4. जनसांख्यिकी लाभांश – डब्ल्यूएचओ के अनुसार, मानसिक विकारों का बोझ युवा वयस्कों में अधिकतम होता है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या युवा है (भारत में 25 वर्ष से कम आयु में इसकी आबादी का 50% से अधिक है) इसलिए इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश से उत्पन्न लाभों को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
5. ईलाज के पश्चात् अंतराल – मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के समुचित पुनर्वास के लिए उनके उपचार के पश्चात् भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है जो वर्तमान में मौजूद नहीं है।
6. मानसिक बीमारी के लक्षणों के बारे में कम जागरूकता, सामाजिक कलंक एवं मानसिक रूप से बीमार वृद्ध एवं निराश्रितों के परित्याग, अलगाव एवं मरीज के इलाज के लिए परिवार के सदस्यों की ओर से अनिच्छा से बड़े पैमाने पर उपचार नही किया जाता है, जिससे बिमारी आगे और भी बदतर हो जाती है।
7. **वृद्धि में गंभीरता** – मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक मंदी के दौरान बढ़ जाती हैं, इसलिए आर्थिक संकट के समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
8. **दुरुपयोग की संभावना** – मानसिक रूप से बीमार मरीज कमजोर होते हैं एवं आमतौर पर शारीरिक शोषण, यौन दुर्वव्यवहार, घरों एवं मानसिक अस्पतालों में गलत तरीके से बंद किए जाने आदि से पीड़ित होते हैं, जो चिंता का विषय है एवं एक सकल मानव अधिकार का उल्लंघन भी है।

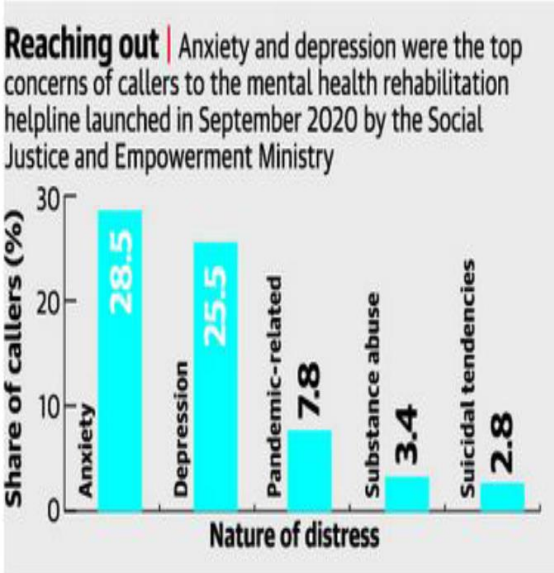

संवैधानिक प्रावधान –

1. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य सेवा को मौलिक अधिकार माना है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 –

1. अग्रिम निर्देषन का अधिकार – रोगी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के दौरान बीमारी का इलाज कैसे किया जाए इपके अग्रिम निर्देश दे सकता है।
2. नामांकित प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार – किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी सभी निर्णय लेने के लिए एक नामित प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होता है।
   1. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का उपयोग करने का अधिकार
   2. मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का अधिकार
   3. मुफ्त दवाएं पाने का अधिकार
   4. सामुदायिक जीवन का अधिकार
   5. क्रूर, अमानवीय एवं अपमानजनक उपचार से सुरक्षा का अधिकार
   6. मूलभूत सुविधाओं वाले, सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार
   7. कानूनी सहायता का अधिकार
   8. एनेस्थेसिया के बिना कोई इलेक्ट्रोकोनवल्सी थेरेपी (ईसीटी)
3. आत्महत्या करने का प्रयास अपराध नहीं है – इस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 (जिसमें आपराधिक रूप से आत्महत्या का प्रयास किया गया) में परिवर्तन लाया। अब, एक व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है, उसे 'गंभीर तनाव से पीड़ित' माना जाएगा एवं किसी भी जांच या अभियोजन के अधीन नहीं किया जाएगा।
4. अधिनियम केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की परिकल्पना करता है।

भारत एवं मानसिक स्वास्थ्य –

1. भारत में, मानसिक अस्वस्थता के प्रचलन का अनुमान 5.82 से 7.3% के बीच है। मानसिक बीमारियों से पीड़ित पूर्ण संख्या के संदर्भ में, व्यापकता का अनुमान लगभग 7 करोड़ व्यक्तियों तक जाता है।
2. भारत में मनोचिकित्सकों की औसत संख्या 0.2 प्रति 100,000 जनसंख्या है जो वैश्विक औसत 1.2 प्रति 1,00,000 जनसंख्या की तुलना में काफी कम है।
3. मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं नर्सों के आंकड़े क्रमशः 0.60, 0.40 एवं 2.00 प्रति 1,00,000 जनसंख्या वाले वैश्विक औसत की तुलना में भारत में प्रति 1,00,000 जनसंख्या में 0.03, 0.03 एवं 0.05 हैं।

उपचार –

1. भारत में मानसिक बीमारियों से पीड़ित 70 मिलीयन अनुमानित लोगों पर एवं मनोचिकित्सकों की 11,500 अनुमानित आवश्यकताओं के साथ भारत में केवल 3000 मनोचिकित्से हैं, 500 – भारत में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की संख्या।

2. 17250 – अनुमानित नैदानिक मनोवैज्ञनिकों की आवश्यक संख्या, 400 – मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की संख्या एवं 23000 – भारत में नैदानिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की अनुमानित आवश्यकता की संख्या है।

निष्कर्ष –

1. NMHP को 1982 में बहुत व्यापक उद्देश्यों के साथ लॉन्च किया गया था जो आज भी सत्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 ने NMHP के उद्देश्यों एवं रणनीतियों को मान्यता दी एवं शामिल किया।
2. डब्ल्यूएचओ मेंटल हेल्थ एटलस 2011 में कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य पर सरकार का खर्च कुल स्वास्थ्य बजट का केवल 0.06% था। देश में प्रति 100,000 लोगों पर केवल 0.301 मनोचिकित्सक हैं। अस्पतालों में उपचार में भी बहुत कुछ करने लायक वस्तुएँ छोड़ दी जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

संदर्भ –

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए 16000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले वित्त वर्ष 2020–21 के मुकाबले लगभग 305 करोड़ रुपये की बजटीय वृद्धि है।
2. योजना पूर्व–बुवाई चक्र से लेकर कटाई के बाद की फसल के लिए कवरेज का विस्तार करती है, जिसमें रोकी गई बुवाई एवं मध्य–मौसम प्रतिकूलताओं से होने वाले नुकसान के लिए कवरेज भी शामिल है।

PMFBY का विवरण –

1. यह 18 फरवरी 2016 को प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी एवं यह किसानों के लिए उनकी पैदावार के लिए एक बीमा सेवा है।
2. इसे पहले की दो योजनाओं को बदलकर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) के साथ वन नेशन–वन स्कीम थीम के अनुरूप तैयार किया गया था।
3. इसका उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम के बोझ को कम करना एवं पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल आश्वासन दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है।
4. फसल की विफलता के खिलाफ एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करने के लिए इस प्रकार किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करना।
5. इस योजना में सभी खाद्य एवं तिलहन फसलों एवं वार्षिक फसलें वाणिज्यिक/बागवानी शामिल हैं, जिसके लिए पिछले उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं एवं जिसके लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (जीसीईएस) के तहत फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) की अपेक्षित संख्या का संचालन किया जाता है।
6. इस योजना को सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी (IA) का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा बोली के माध्यम से किया जाता है।
7. यह योजना अधिसूचित फसलों एवं अन्य के लिए स्वैच्छिक फसलों के लिए ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है। योजना का संचालन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

एक द्वीप के हृदय में गोली –

विवरण –

1. अंडमान एवं निकोबार समूह में 680 वर्ग किमी, नाजुक लिटिल अंडमान द्वीप के स्थायी एवं समग्र विकास के लिए एक मेगासिटी की योजना।
2. योजना ने संरक्षणवादियों को सावधान कर दिया है।

लिटिल अंडमान द्वीप का सतत विकास – दृष्टिकोण दस्तावेज –

1. यह नीति आयोग का द्वीप के रणनीतिक स्थान एवं प्राकृतिक विशेषताओं का लाभ उठाने का प्रस्ताव है।
2. दस्तावेज का उद्देश्य वहां एक नया ग्रीनफील्ड तटीय शहर बनाना है, जिसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा जो सिंगापुर एवं हांगकांग के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा।
3. इसमें 'अंडरवाटर' रिसॉर्ट्स, कसीनो, गोल्फ कोर्स, कन्वेंशन सेंटर, प्लग–एंड–प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स, पूरी तरह से स्वचालित ड्रोन डिलीवरी सिस्टम, नेचर क्योर इंस्टीट्यूट्स और बहुत कुछ कार्य करने वाला ड्रोन पोर्ट होगा।
4. सभी प्रकार के विमानों को संभालने में सक्षम एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस विकास दृष्टि का केंद्रीय होगा।
5. द्वीप पर एकमात्र जेटी का विस्तार किया जाएगा एवं पर्यटक मनोरंजन जिले के बगल में एक मरीना विकसित किया जाएगा।
6. 100 किमी की ग्रीनफील्ड रिंग रोड होगी पूर्व से पश्चिम तक तट रेखा के समानांतर निर्मित एवं नियमित अंतराल पर स्टेशनों के साथ रेपिट ट्रांसिट नेटवर्क के साथ जुड़ी होगी।
7. पश्चिमी तट पर वेस्ट बे में प्रस्तावित प्रकृति रिसॉर्ट परिसर में थीम रिसॉर्ट्स, फ्लोटिंग/अंडरवाटर रिसॉर्ट्स, समुद्र तट होटल एवं उच्च स्तरीय आवासीय बंगले होंगे।
8. आज यह एकांत एवं कठिन हिस्सा है, जो विश्व स्तर पर लुप्तप्राय विशालकाय लेदरबैक समुद्री कछुए के सबसे महत्वपूर्ण घोंसले के शिकार स्थलों में से एक है।
9. विशाल लेदरबैक समुद्री कछुए का अध्ययन दक्षिण फाउंडेशन, अंडमान एवं निकोबार पर्यावरण टीम एवं द्वीप प्रशासन के वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

तीन जोन –

1. प्रस्ताव को तीन विकास एंकरों एवं क्षेत्रों के साथ जोड़ा गया है।

2. जोन 1 – लिटिल अंडमान के पूर्वी तट के साथ 102 वर्ग किमी में फैला – वित्तीय जिला एवं मध्य शहर होगा एवं इसमें एक एयरोसिटी, एवं पर्यटन केंद्र एवं अस्पताल शामिल होगा।
3. जोन 2 – 85 वर्ग किमी के प्राचीन वन में फैले – फुरसत के क्षेत्र में, एक फिल्म शहर, एक आवासीय जिला एवं एक पर्यटन क्षेत्र होगा।
4. जोन 3 – 52 वर्ग किमी के प्राचीन वन पर – एक प्राकृति क्षेत्र होगा, जिसे आगे तीन जिलों में वर्गीकृत किया जाएगा – एक विशेष वन रिसॉर्ट, एक प्राकृतिक चिकित्सा जिला एवं एक प्राकृतिक मनोरंजक स्थान, सभी पश्चिमी तट पर।

विकास के लिए अवरोध – ऐसे कारक जो छोटे अंडमान को नया सिंगापुर बनने से रोक सकते हैं एवं इनमें शामिल हैं –

ए. भारतीय मुख्य भूमि एवं वैश्विक शहरों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी की कमी,
बी. एक नाजुक जैव विविधता एवं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र एवं,
सी. 'स्वदेशी जनजातियों की उपस्थिति एवं उनके कल्याण के लिए चिंता' एवं,
डी. सुप्रीम कोर्ट की कुछ अधिसूचनाएँ जो विकास के लिए एक बाधा हैं
इ. लिटिल अंडमान का 95% जंगल से ढका है, इसका एक बड़ा हिस्सा प्राचीन सदाबहार प्रकार का है,
एफ. द्वीप का लगभग 640 वर्ग किमी भारतीय वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन है, एवं
जी. लगभग 450 वर्ग किमी को ओंगे ट्राइबल रिजर्व के रूप में संरक्षित किया गया है।

दस्तावेज की दिक्कतें –

1. प्रोजेक्ट के लिए 240 वर्ग किमी (35%) भूमि की आवश्यकता है।
2. यह आरक्षित वन के 32% को सुरक्षित रखने एवं 138 वर्ग किमी या जनजातीय आरक्षित क्षेत्र के 31% को अधिसूचित करने की योजना बना रहा है।
3. यदि आदिवासी बाधा बनेंगे तो दस्तावेज के अनुसार उन्हें 'द्वीप के अन्य भागों में स्थानांतरित किया जा सकता है'।
4. दस्तावेज इंटरनेट से चुराए गए अनुचित चित्रों का उपयोग करता है।
5. दस्तावेज लिटिल अंडमान पर राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण की बात करता है जब कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है एवं इसमें उस जगह की भूवैज्ञानिक भेद्यता का कोई उल्लेख नहीं है, जो 2004 में भूकंप–सुनामी संयोजन में सबसे अधिक प्रभावित हुई थी।
6. योजना में कोई वित्तीय विवरण नहीं है, कोई बजट नहीं है, या वन एवं पारिस्थितिक धन के आविष्कार एवं किसी भी प्रभाव के आकलन का विवरण नहीं है।

वन विभाग की शर्तें –

1. विशेषज्ञों ने इस दृष्टिकोण के आधार पर गंभीर चिंताओं को उठाया है –
   a. पारिस्थितिक नाजुकता, स्वदेशी अधिकार एवं भूकंप एवं सूनामी के लिए भेद्यता।
   b. वन भूमि के बड़े उपयोग से स्पष्ट पर्यावरणीय नुकसान होगा जिससे अपरिवर्तनीय क्षति (2 मिलियन से अधिक पेड प्रभावित होंगे)
   c. लुप्तप्राय समुद्री कछुओं सहित विभिन्न जंगली जानवरों के आवास प्रभावित होंगे
2. प्रभाव का मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट नहीं है एवं न ही प्रस्तावित डायवर्जन के लिए कोई विस्तृत साइट लेआउट योजना ही है।
3. वह सोच जो क्षेत्र में चेन्नई एवं मुंबई से बड़े एक प्राचीन द्वीप की प्रकृति को बदलना चाहती है।
4. लिटिल अंडमान पर ओंगे आदिवासी रिजर्व की के डिनोटिफिककेशन की शुरूआत के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी।

2022 तक जनगणना स्थगित करने की संभावना केंद्र –

विवरण –

1. केंद्र सरकार कोविड–19 महामारी के साथ देश के निरंतर प्रसार के कारण 2021 की जनगणना को 2022 तक धकेलने की राह पर है।
2. महामारी से निपटने के लिए किए गए उपाय एवं अब देश भर में चल रहे बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम स्थगित होने के पीछे के कारण हैं।

एनपीआर अपडेट –

1. जनगणना अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जाना था –
   i. हाउस लिस्टींग एवं हाऊसिंग सेन्सस – अप्रेल से सितंबर 2020 तक
   ii. जनसंख्या गणना – 9 फरवरी से 28 फरवरी, 2021 तक।

एनपीआर पर नियंत्रण प्रदान करना –

1. एनपीआर को अद्यतन करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ हजारों लोगों ने विरोध किया था, जिस पर विचार किया गया है। जनगणना, नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) की तैयारी का आधार है जो भारत में पैदा होने वाले लाखों लोगों को संभावित रूप से बाहर कर सकता है।
2. एनपीआर की पूरी प्रक्रिया दिसंबर 2019 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को मंजूरी देने के बाद विवादित हो गई थी, जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की मांग की गई थी, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में दाखिल हुए थे।

3. हालांकि, सीएए को लागू करने के लिए आवश्यक नियमों को – इस प्रमुख कानून के पारित होने के एक साल से अधिक समय बाद, अब तक नहीं बनाया गया है।
4. राजनयिक सूत्रों का मानना है कि बांग्लादेश का मजबूत विरोध उन कारकों में से एक है जिसके कारण सीएए को ताक पर रखा गया है।

तीन–भाषा नीति केंद्रीय सरकार के कार्यालयों पर लागू नही

विवरण –

1. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि तीन–भाषा नीति केंद्र सरकार के कार्यालयों पर लागू नहीं है।

तीन भाषाओं में क्या है?

1. इसे पहली बार इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शामिल किया गया था।
2. हिंदी भाषी राज्यों में – अंग्रेजी, हिंदी एवं एक आधुनिक भारतीय भाषा।
3. गैर–हिंदी भाषी राज्य – अंग्रेजी, हिंदी एवं एक भारतीय भाषा।
4. समूह की पहचान को समायोजित करने, राष्ट्रीय एकता की पुष्टि करने एवं प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए तीन भाषाओं के फार्मूले को तीन कार्यों की सेवा देने की मांग की गई।
5. 1968 में, तमिलनाडु को छोड़कर, दो – भाषा नीति अपनाने वाले देश में तीन–भाषा फॉर्मूला लागू किया गया था।

गर्भपात के निर्णय के लिए मेडिकल बोर्ड 'अव्यावहारिक' है –

विवरण –

1. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) संशोधन विधेयक, 2020 में प्रस्तावित 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय लेने के लिए डॉक्टरों का एक पैनल, 'अव्यावहारिक' है क्योंकि इन पदों में से 82% पद देश में खाली पड़े हैं।
2. आँकड़े स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित है, जो माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भरे गए रिक्तियों का विवरण प्रदान करता है। शहरी क्षेत्रों के लिए समान आँकड़े अनुपलब्ध थे।

विधेयक –

1. MTP विधेयक मार्च 2020 में लोकसभा में पारित किया गया था, एवं बजट सत्र के दौरान राज्यसभा के सामने लाने की संभावना है।
2. विधेयक में कई संशोधनों का प्रस्ताव है, जिसमें हर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में एक मेडिकल बोर्ड का गठन शामिल है।
3. भ्रुण की असामान्यता के मामलों में बोर्ड 24 सप्ताह से अधिक के गर्भधारण का फैसला करेगा।
4. प्रत्येक बोर्ड में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट, एक बाल रोग विशेषज्ञ एवं सरकारों द्वारा निर्धारित अन्य सदस्य होंगे।

रिपोर्ट का विश्लेषण –

1. रिपोर्ट में सर्जन, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, चिकित्सकों एवं बाल रोग विशेषज्ञों सहित विशेषज्ञों की जिलेवार उपलब्धता का विश्लेषण किया गया।
2. यह पाया गया कि 2015 एवं 2019 के बीच के प्रत्येक वर्षों के लिए, इन पदों में कमी 71% एवं 81.8% के बीच थी।
3. 2019 के लिए, देश में कुल 21,296 रिक्तियों के लिए, केवल 3,880 भरे गए थे, यानी 81.8% की कमी थी।
4. यह कमी पूर्वोत्तर में भी है जहां सिक्किम, मिजोरम एवं मणिपुर में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों एवं बाल रोग विशेषज्ञों की कुल अनुपस्थिति थी।
5. अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय में बाल रोग विशेषज्ञों की 100% कमी है।

स्टील की कीमत में बढ़ोतरी –

1. स्टील उद्योग सामान्य रूप से एवं भारत में शीर्ष कुछ प्रीमियम स्टील निर्माताओं ने पिछले छह महीनों में स्टील की कीमत में कम से कम 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
2. इस कदम से केंद्र सरकार की विभिन्न सड़क परियोजनाओं को एक स्पष्ट लागत–लाभ देने की उम्मीद है।
3. इस निर्णय से क्षेत्र के हजारों पुनर्नवीनीकरण इस्पात एवं छोटे खिलाड़ी कारोबार के लिए पात्र हो जाएंगे, जब तक कि उनका इस्पात सड़क एवं पुलों के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित आवश्यक तकनीकी मानक पूरा होता है।

गुणवत्ता नियंत्रण –

1. जमीनी स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कठोर निरीक्षण शासन स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी।
2. सड़क परियोजनाओं में लगभग 40 फीसदी खर्च स्टील एवं सीमेंट की खरीद में जाता है।
3. भारत में अनुमानित 10,000 आपूर्तिकर्ता संभावित रूप से इस कदम के बाद स्टील की आपूर्ति के लिए अनुबंध के लिए बोली लगाने के लिए पात्र होंगे, जो प्रतिस्पर्धा को पेश करेंगे एवं क्षेत्र के आकार को भी बढ़ाएंगे।
4. घरेलू इस्पात की 60 प्रतिशत से अधिक मांग रियल एस्टेट एवं सड़कों जैसे निर्माण क्षेत्रों से उत्पन्न होती है।
5. दुनिया भर में सड़क क्षेत्र कई वैकल्पिक तकनीकों एवं सामग्रियों के साथ कर रहा है जो स्टील की जगह ले सकते हैं।
6. दावा है कि, मिश्रित एवं प्रबलित फाइबर सलाखों में स्टील से पांच से छह गुना तन्यता ताकत है।

ब्रिटेन एशिया–प्रशांत मुक्त व्यापार ब्लॉक में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है–

विवरण –

1. एशिया–प्रशांत देशों के 11–राष्ट्र मुक्त व्यापार ब्लॉक में शामिल होने के लिए ब्रिटेन आवेदन करेगा।
2. ब्रिटेन औपचारिक रूप से ट्रांस–पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP), आधे अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले बाजार एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 13.5% बाजार में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध करेगा।
3. ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने कहा कि संभावित नई साझेदारी 'ब्रिटेन के लोगों के लिए भारी आर्थिक लाभ लाएगी'।
4. ब्रिटेन एवं साझेदारो के बीच बातचीत – जो 11 प्रशांत रिम का प्रतिनिधित्व करती है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, जापान, मैक्सिको एवं वियतनाम सहित देशों में इस साल शुरू होने की उम्मीद है।

असंख्य संभावनाएँ –

1. ब्रिटेन ने कहा कि CPTPP में शामिल होने से 'भारी अवसर' मिलेंगे।
2. ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट के मद्देनजर जापान एवं कनाडा जैसे सदस्यों के साथ ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टिंग के साथ समझौते किए कि CPTPP राष्ट्रों ने 2019 में ब्रिटेन के निर्यात का लगभग आठ प्रतिशत हिस्सा लिया।
3. इस सौदे का अर्थ कार निर्माताओं एवं व्हिस्की उत्पादकों के लिए कम टैरिफ होगा, साथ ही साथ 'घर पर लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार एवं अधिक समृद्धि प्रदान करना'।
4. विभिन्न क्षेत्रों में यूके के व्यवसाय के लिए नए अवसरों को प्रदान करने की क्षमता ब्लाक की सदस्यता है।

ट्रांस–पैसेफिक पार्टनरशिप के लिए समग्र एवं प्रगतिशील समझौता –

1. ट्रांस–पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौता, जिसे TPP11 भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एवं वियतनाम के बीच एक व्यापार समझौता है।
2. यह ट्रांस–पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) से विकसित हुआ, जो संयुक्त राज्य की वापसी के कारण कभी लागू नहीं हुआ।
3. अपने हस्ताक्षर के समय, ग्यारह देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (लगभग $ 13.5 ट्रिलियन) का 13.4 प्रतिशत प्रतिनिधित्व किया, जो CPTPP को जीडीपी द्वारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुक्त–व्यापार क्षेत्र बना दिया।
4. CPTPP 2019 में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एशिया–प्रशांत क्षेत्र में लगभग 500 मिलियन उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए शुरू किया गया था।
5. ट्रांस–पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते पर 4 फरवरी 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन कभी भी इसमें प्रवेश नहीं किया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने निर्वाचित होने के तुरंत बाद समझौते से अमेरिका को वापिस चला गया था।
6. अमेरिका को छोड़कर सभी मूल टीपीपी हस्ताक्षरकर्ता मई 2017 में इसे पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए एवं सीपीटीपी को समाप्त करने के लिए जनवरी 2018 में समझौता किया।
7. औपचारिक हस्ताक्षर समारोह 8 मार्च 2018 को सैंटियागो, चिली में आयोजित किया गया था।
8. CPTPP संदर्भ द्वारा TPP के अधिकांश प्रावधानों को शामिल करता है, लेकिन निलंबित किए गए 22 प्रावधानों को अमेरिका ने पसंदीदा माना कि अन्य देशों ने विरोध किया एवं अधिनियमितियों के लिए सीमा को कम किया ताकि अमेरिका की भागीदारी की आवश्यकता न हो।
9. यह समझौता निर्दिष्ट करता है कि कम से कम 50% हस्ताक्षरकर्ताओं (ग्यारह भाग लेने वाले देशों में से छह) द्वारा अनुसमर्थन के 60 दिनों के बाद इसके प्रावधान प्रभावी हो जाते हैं।
10. इस समझौते की पुष्टि करने वाला छठा राष्ट्र 31 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया बना, एवं यह समझौता 30 दिसंबर 2018 को प्रारंभिक छह अनुसमर्थन वाले देशों के लिए लागू हुआ।

मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन ।

मानहानि – एक निर्णय जिसने एक लंबे मौन को समाप्त कर दिया

संदर्भ –

- दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व पत्रकार प्रिया रमानी को पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में बरी कर दिया।
- अदालत ने कहा कि एक महिला को कथित अपराध होने के कई साल बाद शिकायत करने का अधिकार है।
- यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोलने वाली महिलाओं को अक्सर अविश्वास किया जाता है, अक्सर पूछा जाता है, 'आपके पास क्या सबूत है?' महिलाओं के सामने आने वाले अन्य सवालों में शामिल हैं – 'ऐसा होने के तुरंत बाद आपने क्यों नहीं बोला?' एवं 'आप एक आपराधिक मामला दर्ज करने के बजाय अपनी कहानी बताने के लिए मीडिया या सोशल मीडिया पर क्यों गए?' रमानी निर्णय उत्सव के लायक है।

फैसले की मुख्य बातें –

- कुछ भी नहीं किया – यह संदेश ले जाता है कि आपको किसी का यौन उत्पीड़न करने के लिए अनुचित तरीके से छूने के लिए जरूरत नहीं है।
- पीड़िता को अपना इरादा साबित करना था – कि यौन उत्पीड़ित महिला को अपने इरादों को साबित करना होता है, कि वह मानहानि का दोषी नहीं थी एवं झूठे आरोप नहीं लगा रही थी।
- महिला एवं कार्यस्थल – अब सभी कार्यस्थलों पर कार्यस्थल यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) शिकायत सेल होनी चाहिए, लेकिन महिलाएं अभी भी इस कारण से सावधान हैं।
- महिलाओं को दशकों बाद भी शिकायत करने का अधिकार है – अदालत का कहना है कि महिलाओं को दशकों बाद भी, किसी भी मंच पर अपने अनुभवों के बारे में बोलने का अधिकार है।
- अत्यधिक प्रतिष्ठा का आदमी नहीं – अदालत ने कहा कि मानहानि की आपराधिक शिकायत के बहाने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए 'एक महिला को दंडित नहीं किया जा सकता है'।
- सार्वजनिक वस्तुएं – किसी व्यक्ति के हितों के संरक्षण के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या जनता की भलाई के लिए अच्छे काम का प्रतिरूपण किया जाता है।

मानहानि एवं बचाव –

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 के तहत जो कोई भी, शब्दों के द्वारा या तो बोलने के लिए या पढ़ने के इरादे से, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या जानने या होने या विश्वास करने के संबंध में किसी भी प्रतिरूपण को बनाता या प्रकाशित करता है।
- आपराधिक मानहानि का कानून किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार पर आधारित है। 'किसी भी व्यक्ति के विषय में किसी भी तरह की अड़चन को बनाना या प्रकाशित करना, नुकसान पहुंचाना या जानना या यह मानने का कारण कि इस तरह की प्रतिरूपण से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा', आपराधिक मानहानि है।
- श्री अकबर ने आरोप लगाया कि सुश्री रमानी के आरोप, 'उनके बहुत ही सख्त लहजे एवं कार्यकाल के कारण, मानहानि के दोषपूर्ण हैं एवं न केवल शिकायत को नुकसान पहुँचाया है।'
- अपने सामाजिक हलकों में एवं राजनीतिक मंच पर अनन्त की सद्भावना एवं प्रतिष्ठा, जो वर्षों की मेहनत के बाद स्थापित हुई।
- सुश्री रमानी ने प्रथम रक्षा पर धारा 499 के लिए अपना बचाव किया, जो कहती है कि "किसी भी व्यक्ति के बारे में जो भी सही है, उसे लागू करने के लिए मानहानि नहीं है, अगर यह जनता के लिए अच्छा है कि उसकी प्रतिनियुक्ति या प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- सुश्री रमानी ने 'नौवें अपवाद' पर भी भरोसा किया, जो कहता है कि, 'किसी दूसरे के चरित्र पर प्रतिरूपण करना बदनामी नहीं है बशर्ते कि वह प्रतिरूपण व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सद्भावना में बनाया जाए।, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या जनता की भलाई के लिए हो।"

जनता की भलाई के लिए, गवाह –

- 'तीसरे अपवाद' को भी उपयोग किया गया था – 'किसी भी सार्वजनिक प्रश्न को छूने वाले किसी भी व्यक्ति के आचरण का सम्मान करने एवं उसके चरित्र का सम्मान करने के लिए किसी भी व्यक्ति के आचरण का सम्मान करते हुए, किसी भी राय में अच्छे विचार व्यक्त करने के लिए यह बदनामी नहीं है।'
- अदालत ने 'अभियुक्तों की रक्षा' को स्वीकार कर लिया कि उसने सार्वजनिक वस्तुओं पर यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में सच्चाई का खुलासा किया।
- इस प्रकार निर्णय सुनाया गया है कि सुश्री रमानी ने सच बोला था, एवं श्री अकबर के पास पहले से मौजूद कलंकित प्रतिष्ठा थी जो जनता की भलाई के लिए उजागर हुई थी।

आईपीसी प्रावधान में निर्माण एवं कानून –

- अनुच्छेद 15 (1)यह प्रदान करता है कि राज्य लिंग के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 39 (ए) राज्य को पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार प्रदान करता है।
- भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार, जीवन के अधिकार एवं संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने सभी नागरिकों को लिंग की परवाह किए बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- आईपीसी की धारा 500, जो मानहानि के लिए सजा पर है, के अनुसार 'जो कोई भी दूसरे को बदनाम करता है उसे एक साधारण कारावास की सजा दी जाएगी जो दो साल तक या जुर्माना या दोनों के साथ हो सकती है।'
- धारा 509 IPC यह प्रदान करती है कि जो भी, किसी भी महिला की विनम्रता का अपमान करने का इरादा रखता है, एवं इसके लिए किसी भी शब्द का उपयोग करता है, कोई भी ध्वनि या इशारा करता है, या किसी भी वस्तु का प्रदर्शन करता है, यह इरादा करता है तो ऐसा शब्द या ध्वनि, या ऐसा कोई इशारा या वस्तु या जो महिला की गोपनीयता पर घुसपैठ करती हो।
- IPC में धारा 506, आपराधिक धमकी के लिए सजा, जो कोई भी करता है, आपराधिक धमकी का अपराध यदि मौत का कारण या गंभीर चोट लगने का खतरा आदि हो तो दो वर्ष के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, या जुर्माने के साथ या दोनों के साथ।
- 504 IPC सेक्शन का उद्देश्य अपमानजनक भाषा के जानबूझकर उपयोग, उकसावे को जन्म देने, जिसके कारण ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शांति भंग करने के लिए किया जाता है इत्यादि को रोकना है।
- आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड से संबंधित है।
- संज्ञेय अपराध जघन्य अपराध हैं, जबकि गैर–संज्ञेय अपराध इतने गंभीर नहीं हैं। संज्ञेय हत्या, बलात्कार, चोरी, अपहरण, जालसाजी आदि शामिल हैं। इसके विपरीत, गैर–संज्ञेय अपराधों में जालसाजी, धोखाधड़ी, हमला, मानहानि एवं इसके जैसे अपराध शामिल हैं।

अन्य मामले –

- 1978 के मथुरा बलात्कार मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसकर्मी तुकाराम को बरी कर दिया, उसने इसे कानूनी विद्वानों से एक कड़ी फटकार लगाई कि 'सहमति में सबमिशन शामिल है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है'।
- 1988 में, IAS अधिकारी रूपन देओल बजाज मामले में पंजाब के सुपर पुलिसकर्मी के. पी. एस. गिल, उसकी विनम्रता को अपमानित करने के लिए।
- श्री गिल की सजा को उच्चतम न्यायालय में बरकरार रखा लेकिन उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया गया था एवं उन्हें कोई कारावास नहीं मिला था।
- 1990 में पड़ोसी राज्य हरियाणा के एक अन्य वरिष्ठ पुलिसकर्मी S. P. S. राठौड़ मामले ने एक 14 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी पर खुद को गिराने की कोशिश की। जब लड़की एवं उसके परिवार ने अधिकारियों से शिकायत की, तो प्रतिशोध एवं उत्पीड़न के एक लक्षित पैटर्न का पालन किया गया, जिससे आत्महत्या के कारण लड़की मृत्यु हो गई।
- 2013 में, एक पत्रिका के संस्थापक – संपादक, तरुण तेजपाल के कथित, एक होटल लिफ्ट में उनके अधीनस्थ, डिजिटल बलात्कार के मुकदमे के मामले में, अभी भी गोवा में एक अदालत में मुकदमा लंबित है।

सामाजिक उत्थान का परिणाम, एक राजनीतिक प्रयोग शुरू होना

संदर्भ –

1. भारत सरकार ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 को प्रस्तुत किया, जो तमिलनाडु में सात अनुसूचित जाति के उप–समूहों को विरासत नाम 'देवेंद्रपुरा वेल्लार' (DKV) के तहत लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक मांग को प्रभावी करने का प्रयास करता है), का है।
2. उप–समूहों में देवेंद्रकुलाथन, कदैयान (तिरुनेलवेली, थुथुकुडी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवूर एवं नागपट्टिन जिले के तटीय क्षेत्रों को छोड़कर), कल्लडी, कुदुम्बन, पल्लन, पननाडी एवं वथीरियन शामिल हैं।
3. इन उप–समूहों की दक्षिण तमिलनाडु में एक प्रमुख उपस्थिति है, जो एक सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। एक समुदाय के लिए यह विशिष्ट है कि वह सामाजिक उन्नति की आवश्यकता को रेखांकित करे।

तर्कसंगत मांग –

1. जाति–आधारित राजनीतिक दल एवं संगठन, मांग की अगुवाई करते हुए, महसूस करते हैं कि व्यक्तिगत दलित जाति के टैग को बहा देने से समुदाय की सामाजिक उन्नति में मदद मिलेगी।

एक राजनीतिक जोखिम –

1. दो माँगे 'एक सामान्य शीर्षक के तहत दो हिस्से हैं, जिन्हें कई स्थानीय नेताओं द्वारा उठाया गया था अनुसूचित जातियों की सूची से समूहीकरण एवं बहिष्कार से संबंधित है।
2. एक आरक्षित सामाजिक वर्ग से दूसरे में जातियों का उद्धार एवं फेरबदल राजनीतिक एवं प्रशासनिक जोखिमों से भरा है।

3. यह न केवल मौजूदा जातियों द्वारा सांप्रदायिक आरक्षण कोटा पूल के आंतरिक बंटवारे को बिगाड़ सकता है, बल्कि अन्य समुदायों से आपत्तियों को भी आमंत्रित कर सकता है या समान पुनर्वर्गीकरण के लिए राजनीतिक मांगों को प्रेरित कर सकता है।
4. 2011 की जनगणना के अनुसार, सात उप–जातियाँ अनुसूचित जातियों का लगभग 17.07% रखती हैं। दक्षिणी जिलों में, कई निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी आबादी की एकाग्रता कहीं अधिक होगी।

समीक्षा के चरण –

1. एस. सुमति की अध्यक्षता वाली समिति, रिपोर्ट, 'देवेंद्रकुला वेल्लार – सात उप–समुदायों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक पैटर्न' को सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन इसने उप–समूहों के समूह का समर्थन किया।
2. दूसरी समिति आईएएस हंस राज वर्मा की अध्यक्षता में की मांग पर सिफारिश करने के लिए है। गौरतलब है कि सरकार ने वथीरियन जाति को पैनल के दायरे से बाहर कर दिया था, क्योंकि समुदाय द्वारा डीकेवी के तहत वर्गीकृत किए जाने का विरोध था।
3. दिसंबर 2020 में विद्युतीकरण के बीच, उन्होंने घोषणा की कि वे वर्मा पैनल की सिफारिश के बाद सात उप–वर्गों (वथिरियन सहित) को DKV के रूप में वर्गीकृत करने के लिए केंद्र को लिखेंगे।

संविधान संशोधन (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 –

1. संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) के प्रावधानों के अनुसार, छह राष्ट्रपति आदेश विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करते हुए जारी किए गए थे।
2. तमिलनाडु की राज्य सरकार ने सात जातियों के समूह द्वारा अनुसूचित जाति की सूची में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव रखा है, जो वर्तमान में अलग–अलग जातियों के रूप में मौजूद हैं।
3. यह भी उल्लिखित समूह के मद्देनजर उक्त सूची से अनावश्यक प्रविष्टियों को हटाने का प्रस्ताव है।
4. भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रस्तावित पर सहमति व्यक्त की है।
5. उपरोक्त परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए, तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में संशोधन करना आवश्यक है।

लौह हस्त–त्राण को उठाना –

1. सात उप–वर्गों की सामाजिक उन्नति जिनमें अनुसूचित जातियों से उनके हटाए जाने की मांग शामिल है।
2. अपर कास्ट 'शीर्षक के विशेष उपयोग के लिए पात्रता का दावा करते हुए, वे दलित उप–वर्गों द्वारा" पहचान की चोरी "और" सांस्कृतिक दुर्व्यवहार "के रूप में उसी शीर्षक के उपयोग की मांग को देखते हैं।
3. वे दावा करते हैं कि उपजातियों द्वारा 'अपर कास्ट' (वेल्लालर) शीर्षक का उपयोग समुदाय के नेताओं द्वारा आधुनिक दिनों शामिल किया गया है न कि यह एक ऐतिहासिक अभ्यास है।
4. इसका पारंपरिक गढ़, डीकेवी वर्गीकरण की मांग के समर्थन के कारण, राजनीतिक लाभ के लिए उप–सशक्तीकरण के लिए नहीं।

दलित चिंता –

1. दलितों में भी, राय को एक सामान्य शीर्षक के तहत उप–समूहों के समूह पर विभाजित किया गया है।
2. ऐसी आशंकाएं हैं कि समय के साथ, यह तर्क को ट्रिगर कर सकता है कि कौन से बड़े समूह संख्यात्मक रूप से मजबूत हैं, जिससे बड़े दलित कारण हैं।
3. इस धारा का तर्क है कि सामाजिक स्थिति एवं भौगोलिक पहचान के संदर्भ में दलितों को इस तरह से सजातीय समूह नहीं माना जा सकता है।

सामान्य अध्ययन II

दलबदल विरोधी कानून में विसंगतियां

संदर्भ –

1. पुडुचेरी की घटनाओं (चार सत्तारूढ़ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया) पर प्रकाश डाला, फिर भी दलबदल विरोधी कानून की बेरुखी।
2. ट्रेजरी बेंच के कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, ताकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी संख्या कम हो जाए। यह सूत्र मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में भी उपयोग होता है।
3. दलबदल विरोधी कानून 'राजनीतिक दोषों की बुराई' का मुकाबला करने के लिए (दसवीं अनुसूची, 1985) पेश किया गया है, एवं इसका उद्देश्य सरकारों की स्थिरता, समय की समीक्षा करना था।

विरोधी दलबदल कानून –

1. 52 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985, दलबदल विरोधी कानून में 'डिफेक्शन' को 'किसी पद या संगठन को छोड़ने के लिए, अक्सर एक विरोधी समूह में शामिल होने के लिए' के रूप में परिभाषित किया गया है।
2. दलबदल के आधार पर अयोग्यता के सवालों का निर्णय अध्यक्ष या सदन के अध्यक्ष को संदर्भित किया जाता है, एवं उसका निर्णय अंतिम होता है।
3. 10 वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के संबंध में सभी कार्यवाही संसद या राज्य के विधानमंडल में कार्यवाही के रूप में मानी जाती है।

दलबदल कानून के प्रावधान की सीमा –

1. यह प्रावधान केवल अविश्वास प्रस्ताव या मनी बिल तक सीमित नहीं था, जो अर्ध–विश्वास प्रस्ताव है। यह सदन में सभी मतों पर लागू होता है, प्रत्येक विधेयक एवं प्रत्येक अन्य मुद्दे पर।

2. यह राज्य सभा एवं विधान परिषदों पर भी लागू होता है, जिनकी केंद्र में कोई भूमिका नहीं है। क्योंकि एक सांसद (या विधायक) के पास किसी भी मुद्दे पर अपना वोट देने की स्वतंत्रता नहीं है।
3. उन्हें पार्टी की दिशा का आँख बंद करके पालन करना होगा। यह प्रावधान प्रतिनिधि लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ है।

लोकतंत्र में सांसद/विधायक एवं दलबदल विरोधी अधिनियम में मुद्दे –

1. सांसद/विधायक मतदाताओं के एजेंट होते हैं एवं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लाभ के लिए मतदान करें।
2. उनके घटकों का कर्तव्य व्यापक जनहित के प्रति विभिन्न मुद्दों पर उनके निर्णय का उपयोग करना है। इसमें, वे अन्य सांसदों के साथ विचार–विमर्श करते हैं एवं जटिल मुद्दे के माध्यम से एक उचित तरीका ढूंढते हैं।
3. दलबदल विरोधी कानून एक प्रतिनिधि की अवधारणा को बदल देता है। यह सांसद को न तो निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाता है एवं न ही एक राष्ट्रीय विधायक लेकिन उन्हें केवल पार्टी का एजेंट बताता है।

भारत में टूटी श्रृंखला –

1. भारत में, मुख्य रूप से पार्टी में विधायकों को जवाबदेह बनाकर सांसद / विधायक की जवाबदेही की श्रृंखला को तोड़ा गया है।
2. इसका अर्थ है, पार्टी के किसी भी व्यक्ति के पास विधायिका में बहुमत है, जो परिभाषा के अनुसार, सरकार बनाने वाली पार्टी सरकार को ध्यान में रखने में असमर्थ है।
3. सभी विधायकों के पास उनके मतदान व्यवहार के लिए तैयार स्पष्टीकरण है – उन्हें पार्टी की दिशा का पालन करना था। इससे उन लोगों को विभिन्न मुद्दों पर अपनी स्थिति को सही ठहराने की अवधारणा को नकार दिया जाता है, जिन्होंने उन्हें पद के लिए चुना।

नश्ट होती विधानसभाएं –

1. दलबदल विरोधी कानून का परिणाम हमारी विधानसभाओं से बाहर हो रहा है।
2. यदि किसी सांसद को नीति एवं विधायी प्रस्तावों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है, तो विभिन्न नीतिगत विकल्पों एवं उनके परिणामों को समझने के प्रयास में क्या प्रोत्साहन होगा?
3. नीति, विधेयकों एवं बजटों की जांच एवं निर्णय के लिए एक सांसद की मुख्य भूमिका पक्ष–पंक्तिबद्ध होती है। इसके बजाय, सांसद पार्टी को समर्थन या विरोध करने वाले किसी भी वोट पर भारी पड़ने के लिए सिर्फ एक एवं संख्या बन जाता है।

प्रेरित अस्थिरता –

1. दलबदल–निरोधी कानून भी स्थिरता प्रदान नहीं करता है एवं राजनीतिक व्यवस्था ने सरकारों को गिराने के तरीके ढूंढ लिए गए हैं।
2. संविधान में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को दोषमुक्त करने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने पर उसे तब तक मंत्री पद नहीं मिल सकता जब तक कि वे फिर से निर्वाचित न हों, पार्टी के खिलाफ वोट देने के बजाए इस तरह से इस्तीफा दे दिया गया है।
3. आमतौर पर सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष ने अयोग्यता पर निर्णय लेने में देरी की है, जिसके कारण सदस्य विपक्षी दल का हिस्सा बने रहने वाले सदस्यों जैसी विचित्र स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

दलबदल विरोधी अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला –

1. सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए इसे रोकने का प्रयास किया है कि अध्यक्ष को तीन महीने में निर्णय लेना है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यदि अध्यक्ष ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा।

पार्टियों के कार्य क्या है –

1. यदि सरकार की स्थिरता एक मुद्दा है जो लोगों द्वारा अपनी पार्टियों से खराब होने के कारण है, तो इसका जवाब पार्टियों को अपने आंतरिक सिस्टम को मजबूत करना है।
2. यदि वे विचारधारा के आधार पर सदस्यों को आकर्षित करते हैं, एवं उनके पास अपनी क्षमताओं के आधार पर लोगों के लिए पार्टी पदानुक्रम के भीतर उठने की व्यवस्था है, तो एक बड़ा निकास अवरोधक होगा।
3. ये विशेषताएं कई राजनीतिक दलों में अनुपस्थित लगती हैं, एवं हमने दलबदल विरोधी कानून के बावजूद बड़ी संख्या में अवहेलना देखी है।

आगे की राह –

1. मतदाता पुर्नचुनाव के लिए विधायक को अस्वीकार करने का निर्णय ले सकते हैं एवं ये प्रतिनिधि लोकतंत्र का मूल डिजाइन तत्व है। विधायक मतदाताओं के प्रति जवाबदेह है, एवं सरकार विधायकों के प्रति जवाबदेह है।
2. यदि मतदाताओं का मानना है कि उन्हें दलबदलुओं द्वारा धोखा दिया गया है, तो वे उन्हें अगले चुनाव में वोट दे सकते हैं। मतदाताओं द्वारा दिए गए जनादेश के साथ विश्वासघात करने वाले विधायकों को दंडित करने के लिए दलबदल–विरोधी कानून की आवश्यकता है।
3. दलबदल विरोधी कानून हमारे विधायिकाओं के कामकाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये निकाय नागरिकों की ओर से कार्यपालिका के खाते में है।

4. इसने उन्हें विधेयकों एवं बजटों पर सरकार के निर्णय का समर्थन करने के लिए मंचों में बदल दिया। इसने सरकारों की स्थिरता को संरक्षित करने का काम भी नहीं किया है। संविधान की दसवीं अनुसूची को निरस्त किया जाना चाहिए।

केंद्र शासित प्रदेशों की संरचनात्मक भंगुरता

संदर्भ –

1. चार सत्तारूढ़ विधायकों ने सीएम नारायणसामी के नेतृत्व में पुडुचेरी सरकार से इस्तीफा दे दिया, केंद्र सरकार को नए संकट में फेंक दिया।
2. पुडुचेरी विधानसभा से सत्तारूढ़ विधायकों के अचानक एवं अकथनीय इस्तीफे सरकार को असंतुलित करने के लिए एक सरल कदम है। यह 2019 में कर्नाटक की तरह हो गया है।

संवैधानिक संकट –

1. दोनों ही मामलों में, सरकारें बहुमत खो बैठीं एवं अपने कार्यालय से बाहर चली गईं। सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है।
2. लेकिन संविधान के अनुच्छेद 190 के अनुसार, इस्तीफा स्वैच्छिक या वास्तविक होना चाहिए। यदि अध्यक्ष को इसके विपरीत जानकारी है, तो वह इस्तीफा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 190 (3) –

1. अनुच्छेद 190 (3) (क) यदि सदन के सदस्य राज्य का पृथक होना खंड (1), अवकाश या खंड (2), दो या अधिक राज्यों के विधायकों के अनुच्छेद 191 में उल्लिखित अयोग्यताओं में से किसी के अधीन हो जाता है या
2. 190 (3) (बी) के विधायक अध्यक्ष या अध्यक्ष को संबोधित अपने हाथ से लिखकर अपनी सीट से इस्तीफा दे देते हैं, जैसा भी मामला हो, एवं अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, जैसा भी मामला हो, उसकी सीट खाली हो जाएगी –
3. बशर्ते कि उप खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी इस्तीफे के मामले में, यदि प्राप्त जानकारी से अन्यथा या ऐसी पूछताछ करने के बाद जैसा कि वह समझता है, अध्यक्ष या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है। इस तरह का इस्तीफा स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है, वह इस तरह के इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेगा।

एक अभिनव विधि –

1. एमएलए के इस्तीफे से सरकार गिर जाती है एवं इस्तीफे केवल उन राज्यों में सत्ताधारी दलों से होते हैं, जो केंद्र में सत्ताधारी दल के विरोधी होते हैं।
2. ज्यादातर मामलों में, इस्तीफे काफी अप्रत्याशित होते हैं एवं सदन में पार्टी के बहुमत को कम करते हैं।
3. इस्तीफे इतनी सटीकता के साथ किए जाते हैं कि बहुमत से इस्तीफा देने के लिए आवश्यक विधायकों की सही संख्या हो, अधिक नहीं।
4. किसी सरकार को गिराने की इस विधा में इसकी नवीनता के कारण एक अजीब आकर्षण है।
5. इस योजना की खूबी यह है कि किसी भी विधायक को दोष एवं अयोग्यता का सामना नही करना पड़ता है। यह दलबदल खत्म करने एवं विधायकों के सम्मान को बचाने का एक शानदार तरीका है।

विधायिका की संरचना –

1. पहला प्रश्न जो इन केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में उठता है, वह यह है कि संविधान निर्माताओं/संसद ने सोचा कि यह कुछ केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका एवं मंत्रिपरिषद प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।
2. ओजस्वी कारण इन प्रदेशों के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करना है।
3. एक अहसास था कि अनुच्छेद 239 के तहत प्रशासकों के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा सीधे इन प्रदेशों का प्रशासन लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है।
4. इसलिए, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति के अनुरूप विधायिका एवं मंत्रिपरिषद का निर्माण तार्किक है।
5. संविधान से पता चलता है कि इस पुरोधा उद्देश्य को अक्सर संघ द्वारा पराजित किया गया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 –

1. प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाएगा, इस हद तक कि वह उचित समझे, एक प्रशासक के माध्यम से उसके द्वारा इस तरह के पदनाम के साथ नियुक्त किया जाए क्योंकि वह कानूनों द्वारा बनाए गए संसदीय के तहत निर्दिष्ट कर सकता है।
2. अनुच्छेद 239 ए मूल रूप से 1962 में लाया गया था, ताकि संसद को संघ शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बनाने में सक्षम बनाया जा सके।

विधायिका की संवैधानिक संरचना –

1. विधानमंडल एक निकाय है जो निर्वाचित होता है, या आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से नामांकित होता है। बिना विधायिका के मंत्रिपरिषद हो सकती है, या विधायिका के साथ–साथ मंत्रिपरिषद भी हो सकती है।
2. मंत्रिपरिषद के बिना एक विधायिका या बिना विधायिका के मंत्रिपरिषद एक वैचारिक गैरबराबरी है।
3. एक विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है एवं सरकार द्वारा एक विधायी प्रस्ताव शुरू किया जाता है, जो विधायिका के लिए जिम्मेदार होता है।

4. मंत्रिपरिषद के बिना न तो विधायिका का अस्तित्व हो सकता है एवं न ही विधायिका के बिना मंत्रिपरिषद का अस्तित्व हो सकता है। इसी तरह, एक विधायिका जो आंशिक रूप से चुनी जाती है एवं आंशिक रूप से नामांकित की जाती है, एक एवं बेतुका है।
5. केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 में एक साधारण संशोधन 50% से अधिक नामांकित सदस्यों के साथ विधायिका बना सकता है।

नामांकन का मुद्दा –

1. केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम पुडुचेरी के लिए 33 सदस्यीय सदन प्रदान करता है, जिसमें से तीन को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है।
2. केंद्र सरकार ने विधानसभा के तीन भाजपा (सत्तारूढ़ दल) सदस्यों को सरकार की सलाह के बिना नामांकित कियाय इसे अदालत में चुनौती दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला –

1. सर्वोच्च न्यायालय (के. लक्ष्मीनारायण बनाम भारत संघ, 2019) ने माना कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है।
2. नामित सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के रूप में मतदान करने का समान अधिकार है।
3. सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन के मामले पर बहुत तकनीकी विचार किया एवं उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं हुई, जिनसे उन व्यक्तियों को नामांकित किया जा सकता है एवं सदस्यों के नामांकन के लिए एक उचित प्रक्रिया का भी पालन किया जा सकता है।
4. दिल्ली बनाम भारत संघ की एनसीटी (2019), सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि प्रशासक को इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए ताकि क्षेत्र में निर्वाचित सरकार के कामकाज को विफल किया जा सके एवं सभी तरीकों के बाद इसका उपयोग किया जा सके। उसके एवं मंत्रिपरिषद के बीच के मतभेदों को समेटने में विफल, अनुभव हमें एक अलग कहानी बताता है।

भारतीय विधायिका में नामांकन का उद्देश्य –

1. अनुच्छेद 80 (प) (ए) के तहत राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन का प्रावधान है। लेकिन अनुच्छेद का खंड (3) उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है जहां से वे नामांकित होंगे।
2 इस नामांकन का उद्देश्य है –
सदन को उन प्रख्यात सदस्यों की विशेषज्ञता पर आकर्षित करने में सक्षम बनाना जो नामांकित हैं एवं इस तरह सदन में बहस को समृद्ध करते हैं।
3. लेकिन पुडुचेरी विधानसभा में नामांकन के मामले में, अनुच्छेद 239 ए या केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के तहत ऐसी कोई योग्यता नहीं रखी गई है।
4. यदि कोई अलग पार्टी यूटी में सरकार चलाती है, तो इस प्रावधान का इस्तेमाल केंद्र सरकार प्रतिशोध के साथ करेगी, जो पुदुचेरी में हुआ था।

प्रशासक की शक्ति –

1. प्रशासक में निहित शक्ति, जिसे यूटी में विधायिका के रूप में उपराज्यपाल के रूप में जाना जाता है, इसे वहन करते हैं।
2. प्रशासक को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से असहमत होने एवं फिर उन्हें अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार है।
3. राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर निर्णय लेता है। इसलिए, वास्तव में, यह केंद्र सरकार है जो अंततः विवादित मुद्दे को निर्धारित करती है।
4. प्रशासक, वास्तव में, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णयों से असहमत हो सकते हैं, जब इस क्षेत्र में एक अलग राजनीतिक पार्टी का शासन होता है।
5. केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम की धारा 44 एवं संविधान के अनुच्छेद 239 एए (4) (प्रोविसो) में प्रशासक को अपनी असहमति व्यक्त करने एवं राष्ट्रपति को मामले का संदर्भ देने एवं फिर सभी कार्रवाई करने या करने की शक्ति निहित है। वह चुनी हुई सरकार की कुल अवहेलना के मामले में फिट बैठता है।

पुदुचरी बनाम एनसीआर में प्रशासन –

1. पुदुचेरी में, उपराज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संघर्ष सदाबहार था। उपराज्यपाल को हटाने की मांग को लेकर एक निराश मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
2. इसी तरह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, अक्सर उपराज्यपाल के खिलाफ मंत्रियों द्वारा गैर–सहकारी संघवाद के बारे में शिकायतें सुनी जाती हैं।
3. प्रशासक के बीच संघर्ष, जो राष्ट्रपति का नामांकित व्यक्ति है, एवं निर्वाचित सरकार संघ शासित प्रदेशों के लिए बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था में निहित है।
4. कोई भी संघ सरकार वास्तव में संघ शासित प्रदेशों में स्वतंत्र एवं स्वायत्त सरकार के विचार को पसंद नहीं करती है एवं इसलिए प्रशासक के माध्यम से इसे नियंत्रित करने की कोशिश करती है।
5. संवैधानिक प्रावधान का शस्त्रीकरण पूर्ण माप में किया जाता है जब यूटी एक अलग राजनीतिक पार्टी द्वारा शासित होता है।

निष्कर्ष –

1. पुदुचेरी घटना का जबरदस्त राजनीतिक महत्व है। भारतीय संघ की इकाइयों के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों (संघ शासित प्रदेशों) की संरचनात्मक नाजुकता, जो शायद राजनीतिक व्यवस्था में शक्तिशाली ऑपरेटरों के लिए है उन्हें डी–स्टैबलाइज करना आसान बना देती है।
2. इन क्षेत्रों की पीड़ित सरकारों के लिए मोचन कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधानों को हटाने में निहित है जो प्रशासक को निर्वाचित सरकार की गर्दन को सांस लेने में सक्षम बनाते हैं।

3. जब तक विधायकों द्वारा अपनी सरकार को गिराने के षड्यंत्रकारी इस्तीफे का संबंध है, राजनीतिक वर्ग को संवैधानिक या अन्य माध्यमों के माध्यम से राजनीतिक दलों की शिकारी प्रवृत्ति को बेहतर तरीके से प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को यंत्रणा देना होगी।
4. संघ शासित प्रदेशों को आवश्यक स्वायत्तता के साथ पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं दी गई। केंद्रीय प्रशासक में निहित अंतिम नियंत्रण वाले कानून वाले संघ शासित प्रदेश व्यावहारिक नहीं हैं।

सामान्य अध्ययन III

राजकोषीय रूढ़िवादीता को अलविदा

संदर्भ –

1. 2021–22 के लिए सरकार का बजट अपने वित्तीय घाटे को जीडीपी के 9.5% पर वित्त वर्ष 21 के लिए एवं वित्त वर्ष 2012 में 6.8% के साथ संकेत देता है क्योंकि सरकार की उदारवादी राजकोषीय नीति हैं एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 को लागू नहीं करना।
2. बजट 2021 भी वाशिंगटन आर्थिक सहमति के व्यापक आर्थिक स्थिरता पर संकटग्रस्त विकासशील देशों के लिए बढ़ावा देने वाले सुधार पैकेज का गठन करने के लिए विचार किए गए दस आर्थिक नीति नुस्खों के एक सेट से निकल रहा है।
3. बड़े राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है एवं बड़ी मुद्रास्फीति उन लोगों को अधिक पैसा देकर सुस्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है जो तब खरीद एवं निवेश कर सकते हैं।

एक मिश्रण पहल –

1. सरकार ने घरेलू उद्योग एवं राजकोषीय घाटे की रक्षा एवं बढ़ावे के लिए कुछ आयातों पर कर्तव्यों में वृद्धि की है।
2. इसने नामित क्षेत्रों के लिए प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन की शुरुआत की है, कुछ ऐसा जो बाजार अर्थशास्त्र के विपरित जाते है।
3. सरकार, हालांकि, बाजार रूढ़िवादी के अन्य तत्वों, जैसे निजीकरण एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए एक बड़ी भूमिका का पालन करने के लिए खुश है।
4. विचार यह दिखाने के लिए था कि अर्थव्यवस्था राजकोषीय समेकन पथ के साथ आगे बढ़ रही थी, सकल घरेलू उत्पाद के 3% के वित्तीय घाटे के साथ अंतिम लक्ष्य के रूप में। इस वर्ष के बजट में, वार्षिक अनुमान गायब हैं।
5. हमारे पास 2025–26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% तक कम करने की प्रतिबद्धता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम (2003) में निर्धारित घाटे के लक्ष्य के रूप में।
6. इस बजट में, राजकोषीय घाटा सीमा से बाहर चला जाता है। वित्त मंत्री ने नए लक्ष्यों को औपचारिक बनाने के लिए FRBM अधिनियम में एक संशोधन शुरू करने का वादा किया है।

FRBM ACT 2003 –

1. राजकोषीय प्रबंधन एवं दीर्घकालिक मैक्रो–आर्थिक स्थिरता में अंतर–जनरेशनल इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बनाना, अधिनियम 2003 का उद्देश्य है।
2. यह अधिनियम केंद्र सरकार के ऋण एवं घाटे पर सीमा की स्थापना की परिकल्पना करता है, इसने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित कर दिया।
3. एक राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) पैनल (N. K. सिंह की अध्यक्षता में), ने केंद्र सरकार के लिए ऋण–से–सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के 38.7% सिफारिश की है, सभी राज्य सरकारों के लिए 20%, जीडीपी का 2.5% का राजकोषीय घाटा एवं 0.8% का राजस्व घाटा।

ढांचे से दूर जाना –

1. बजट वाशिंगटन सहमति के प्रमुख सिद्धांतों में से एक से प्रस्थान करता है, बाजार उन्मुख अर्थशास्त्र के लिए रूपरेखा जो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में नीति निर्माण पर हावी है।
2. 'मैक्रोइकॉनॉमिक स्टेबिलिटी' का अर्थ है कि सरकारी बजट को मोटे तौर पर संतुलन में रखने की आवश्यकता है ताकि घाटे को कम करने के लिए उधार को न्यूनतम रखा जाए।
3. इसमें अर्थशास्त्री ओलिवियर ब्लैंचर्ड का एक उद्धरण है, 'यदि सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर विकास दर से कम है, तो सरकार का सामना करने वाला इंटरटेम्पोरल बजट बाधा अब बांधती नहीं है।' "इंटरटेम्पोरल बजट बाधा" का मतलब है कि आज बकाया किसी भी ऋण को भविष्य के प्राथमिक अधिशेष द्वारा ऑफसेट किया जाना चाहिए। ब्लैंचर्ड कह रहे थे कि यह सच नहीं है अगर ब्याज दर–वृद्धि अंतर (IRGD), ब्याज दर एवं विकास दर के बीच का अंतर नकारात्मक हो जाता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, चूंकि ब्याज दरें नकारात्मक हो गई हैं, ब्लैंचर्ड की शर्त पूरी हो गई है। इसलिए वहां की सरकारों को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि घाटे सार्वजनिक ऋण को असंगत बना देंगे।

वाशिंगटन सहमति –

1. यह दस आर्थिक नीति के नुस्खों का एक सेट है, जिसे वाशिंगटन, डी. सी. आधारित संस्थानों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी के संकटग्रस्त देशों के लिए बढ़ावा देने वाले सुधार पैकेज के रूप में माना जाता है।

2. इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1989 में अंग्रेज अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन ने किया था। इस तरह के क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण, व्यापार एवं निवेश दोनों के संबंध में आर्थिक उद्घाटन, एवं घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर बाजार की शक्तियों के विस्तार जैसी नीतियों को शामिल किया गया है।

सरकार को और अधिक खर्च करने की आवश्यकता है –

1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं विश्व बैंक, वाशिंगटन सहमति के दोनों ध्वजवाहक, महामारी के मद्देनजर राजकोषीय रूढ़िवादी से प्रस्थान का आग्रह कर रहे हैं।
2. ये दोनों संस्थान सार्वजनिक ऋण में 100% से अधिक जीडीपी अनुपात में किसी भी वृद्धि से सावधान रहते थे।
3. दोनो (आईएमएफ एवं डब्ल्यूबी) उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को घाटे को चलाने के लिए एवं अधिक खर्च करने का आग्रह कर रहे हैं, तब भी जब जीडीपी अनुपात में ऋण 2021 के अंत तक बढ़कर 125% हो जाएगा।

मुख्य चिंताएँ –

1. एक बड़ा राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति में वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। राजकोषीय समेकन लक्ष्यों में बदलाव के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लिए निर्धारित 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य में बदलाव की आवश्यकता होगी।
2. बजट ऐसी किसी संभावना का उल्लेख नहीं करता है। शायद सरकार एक बार में कई आश्चर्य सामने नही लाना चाहती थी।
3. जीडीपी अनुपात कर अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ रहा है, आगे आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे में कमी के लिए सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री महत्वपूर्ण हो गई है। यह एक उच्च जोखिम वाली रणनीति है।
4. अब वर्षों के लिए, विनिवेश से राजस्व लक्ष्य से कम हो गया है। 2018 में शुरू हुई एयर इंडिया की बिक्री अब भी जारी है।
5. हम एक महत्वपूर्ण वास्तविकता का सामना करते हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर निजीकरण आसानी से पूरा नहीं होता है।
6. सार्वजनिक संपत्ति को सस्ता बेचना राजनीतिक रूप से विवादास्पद है। कुछ औद्योगिक घरानों पर एहसान करने के आरोप लगेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के संघ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र हैं।
7. बैंकों का निजीकरण वित्तीय स्थिरता के बारे में चिंताओं को जन्म देता है। निजीकरण से नौकरी का नुकसान एक बैकलैश पैदा करने के लिए बाध्य है।

निजीकरण का अर्थ है एफडीआई –

1. बड़े पैमाने पर निजीकरण में लगभग हमेशा पर्याप्त एफडीआई शामिल होता है।
2. दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी यूरोप में, बैंकों के निजीकरण का मतलब घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी उपस्थिति में बड़ी वृद्धि है।
3. आत्मनिर्भर भारत अधिक आत्मनिर्भरता एवं मजबूत भारतीय कंपनियों को दर्शाता है। आत्मनिर्भर भारत के साथ FDI में वृद्धि कठिन है।

निष्कर्ष –

1. वर्तमान स्थिति में, विस्तारक राजकोषीय नीति वृद्धि को बढ़ावा देगी एवं जीडीपी अनुपात को ऋण कम करेगी, अधिक नहीं। भारत की विकास क्षमता को देखते हुए, हमें 2030 तक ऋण स्थिरता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
2. डर है कि कुल सार्वजनिक ऋण के 10% –11% सकल घरेलू उत्पाद को पार करने पर रेटिंग एजेंसियां भारत को अपग्रेड कर देंगी। यह एक जोखिम है जिसे दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि रेटिंग एजेंसियों ने राजकोषीय घाटे पर आईएमएफ–विश्व बैंक की रेखा को तय नहीं किया है।
3. यदि एफआरबीएम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश की राजनीतिक–आर्थिक स्थिति आ गई, तो इससे बड़े पैमाने पर निजीकरण में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है।

अभी राजकोषीय समेकन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जार बाद में

संदर्भ –

1. वित्त वर्ष 2020–21 में असाधारण वृद्धि से केंद्रीय बजट से बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन राजकोषीय घाटे को लेकर चिंता बनी हुई है।
2. बजट ने निवेश के लिए वातावरण में सुधार के लिए व्यय की संरचना एवं अन्य उपायों में बदलाव के माध्यम से विकास को उचित प्रोत्साहन प्रदान किया है।

पारदर्शिता बनाम उत्तेजना –

1. केंद्रीय व्यय में प्रस्तावित वृद्धि, 2020–21 में संशोधित अनुमान (आरई) एवं 2021–22 के बजट अनुमान (बीई) में, चिंतनशील राजकोषीय प्रोत्साहन की सीमा को इंगित करता है।
2. चूंकि 2020–21 के तीन तिमाहियों पहले ही बीत चुके हैं, 2019–20 में वास्तविक व्यय से अधिक 2020–21 में खर्च को अंतिम तिमाही में लागू किया जाना है।
3. चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि में आवश्यक वृद्धि कुल व्यय के लिए 102.9%, राजस्व व्यय के लिए 109.9% एवं पूंजीगत व्यय के लिए 60.3% होगी।
4. इसमें राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) ऋणों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम को दी गई 2,54,600 करोड़ रूपये की संचित खाद्य सब्सिडी को बजट में स्थानांतरित करना शामिल है।
5. 1,68,018 करोड़ रूपये की सब्सिडी वाली शेष राशि 2020–21 (RE) से संबंधित खाद्य सब्सिडी होगी।
6. यह पारदर्शिता की दिशा में एक वांछनीय बदलाव है। राजस्व व्यय के आंकड़ों को बजट के रूप में लेते हुए, 2021–22 बीई में 2020–21 (आरई) पर 2.7% का संकुचन देखा जाता है।

7. एनएसएसएफ–संचित खाद्य सब्सिडी राशि, 2021–22 (बीई) में राजस्व व्यय में वृद्धि 6.7% है।
8. 2020–21 की अंतिम तिमाही के लिए खर्च का एक अच्छा हिस्सा निजी क्षेत्र, स्वायत्त निकायों एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों के अवैतनिक बकाया को मंजूरी देने से संबंधित हो सकता है।
9. मुख्य व्यय धक्का 2021–22 में पूंजीगत व्यय में 26.2% की बजटीय वृद्धि के माध्यम से आता है। जीडीपी के सापेक्ष, पूंजीगत व्यय 2019–20 में 1.6% से बढ़कर 2020–21 आरई में 2.3% एवं 2021–22 बीई में 2.5% होने की उम्मीद है।

प्राप्ति वृद्धि –

1. केंद्र के सकल कर राजस्व में बजटीय वृद्धि 14.4% की नाममात्र जीडीपी वृद्धि पर निर्भर है, प्रत्यक्ष करों के लिए 1.6 एवं अप्रत्यक्ष करों के लिए 0.8 की उछाल के साथ।
2. गैर–कर राजस्व एवं गैर–ऋण पूंजी प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि की योजना बनाई गई है। 2020–21 (आरई) में 35.6% का संकुचन, गैर–कर राजस्व 2021–22 में 15.4% बढ़ने का बजट है।
3. गैर–ऋण पूंजी प्राप्तियों के मामले में, मुख्य रूप से विनिवेश को कवर करते हुए, 2021–22 में 304.3% की बजटीय वृद्धि 2020–21 (आरई) में 32.2% के संकुचन के विपरीत है।
4. एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के शुभारंभ से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहल। यह परिसंपत्ति मुद्रीकरण की दिशा में पहला व्यावहारिक कदम होगा। पाइपलाइन अंततः राजस्व प्राप्त करना शुरू कर सकती है।

अवसंरचना एवं पहल –

1. प्रस्तावित बजट पहलों में बुनियादी ढांचा निवेश की सुविधा के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए 20,000 करोड़ रूपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ एक विकास वित्त संस्थान (DFI) की स्थापना शामिल है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एवं एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये संस्थागत पहल कारगर साबित हो सकती हैं।
3. केंद्रीय करों के साझा पूल में राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने 41% की अनुशंसित ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी को स्वीकार कर लिया है।
4. सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकाय अनुदान एवं आपदा से संबंधित अनुदान के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।
5. राजस्व घाटे के अनुदान का दायरा प्रारंभिक वर्षों में 17 राज्यों को कवर करने के लिए बढ़ाया गया है। इन अनुदानों का निर्धारण समीकरण सिद्धांत पर आधारित नहीं है, हालांकि मूल्यांकन अभ्यास में कुछ मानदंडों का उपयोग किया गया है।
6. सरकार ने प्रदर्शन–आधारित प्रोत्साहन सहित राज्य–विशिष्ट एवं सेक्टर–विशिष्ट अनुदानों पर विचार किया है।
7. राज्यों ने पूर्व मोड के लिए एक प्राथमिकता दिखाई थी एवं यह इस कारण से है कि 14 वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी थी।
8. 42% से 41% तक की कमी केवल जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर 28 राज्यों के विचार के कारण है, क्योंकि इसकी नई स्थिति है।
9. लगभग स्थायी होने वाले उपकरों को लगाने के लिए बढ़ते रिसॉर्ट्स ने घटिया पूल को कम कर दिया है। वास्तव में, केंद्र के सकल कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2021–22 (बीई) में केवल 30% है।

भौतिक एवं वित्तीय पूंजी एवं बुनियादी ढाँचा –

1. युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से, FM ने, 1.97 लाख करोड़ की घोषणा की जो इस वित्त वर्ष को शुरू करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीमों के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंर्तगत वैश्विक विनिर्माण चैंपियन बनाने के लिए है।
2. एफएम ने पिछले बजट अनुमानों की तुलना में पूंजीगत व्यय में 34.5% की तेज वृद्धि की घोषणा की – जिसके परिणामस्वरूप 5.54 लाख करोड़ का आवंटन हुआ।
3. एफएम ने भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रूपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत छोटी कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा ताकि पेड–अप कैपिटल के साथ कंपनियों को, 2 करोड़ एवं 20 करोड़ तक का टर्नओवर छोटी कंपनियों के अंतर्गत आएगा।
4. मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्कों की योजना शुरू की गई एवं 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्कों को स्थापित किया जाएगा।
5. विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना, प्रदान करने में सक्षम एवं सक्षम करने के लिए, इन्फ्रा फाइनेंसिंग को उत्प्रेरित करना। इस संस्था को पूंजीकृत करने के लिए 20,000 करोड़ रूपये आवंटित।
6. संभावित ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों का राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू किया जाना। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के साथ 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत।
7. रेलवे समर्पित माल गलियारा परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए, एम एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जून 2022 तक पीपीपी मॉडल पर कमीशन किया जाएगा।
8. सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं को शुरू करने के लिए 18,000 करोड़ रूपये की लागत से दिसंबर 2023 तक योजना के तहत रेल ब्रॉड गेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण।
9. शहरी परिवहन के लिए मेट्रो रेल प्रणाली प्रदान करने के लिए उल्कापिंड एवं मेट्रो नई तकनीकें तैनात की जाएंगी।

10. व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया जाना है एवं पीपीपी मोड में प्रमुख बंदरगाहों द्वारा जव 2,000 करोड़ से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की पेशकश की जानी है।
11. 2024 तक दोगुने होने के लिए भारत में व्यापारी जहाजों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना एवं '4.5 मिलियन लाइट विस्थापन टन भार' के शिप रीसायकलिंग कैपेसिटी का शुभारंभ किया जाएगा।

एक रोड मैप –

1. कोविड–19 के झटके ने 2020–21 एवं 2021–22 में राजकोषीय घाटे में तेज उछाल को मजबूत किया है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने केंद्र एवं राज्यों के लिए एक संशोधित राजकोषीय समेकन रोड मैप भी प्रस्तावित किया है।
2. पंद्रहवें वित्त आयोग ने केंद्र एवं राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों की फिर से जाँच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतर सरकारी समूह के गठन की सिफारिश की है।
3. केंद्र ने 2025–26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% तक ले जाने का संकेत दिया है। वित्त आयोग ने भी इसी तरह के आंकड़े का संकेत दिया है।
4. जीडीपी के सापेक्ष ऋण, ब्याज भुगतान, एवं प्राथमिक घाटे के विकसित प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए ऋण स्थिरता के मुद्दे की निश्चित रूप से पुनरू जांच की जा सकती है।
5. यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्तीय 2021–22 में, कुल राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान 45.3% होगा, जो राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण अनुपात है। हमें बढ़ते कर्ज के बोझ के प्रति सचेत रहना चाहिए।

निष्कर्ष –

1. बुनियादी ढांचा विस्तार योजना पाइपलाइन के अन्य हितधारकों पर निर्भर करेगी जो उनकी उचित भूमिका निभा रहे हैं। इनमें राज्य सरकारें एवं उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं निजी क्षेत्र शामिल हैं, सरकार को सभी को लाभान्वित करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
2. कोविड–19 के संदर्भ में, कुछ अर्थशास्त्रियों ने विवेकपूर्ण मानदंडों को लगभग छोड़ने की वकालत की है। यह संकट से सीखने का एक गलत सबक होगा।
3. वित्तीय घाटा वित्तीय परिसंपत्तियों में घरेलू बचत एवं राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान से संबंधित होना चाहिए। सरकार को राजस्व बढ़ाना चाहिए या खर्च में कमी करनी चाहिए या निवेश के पीपीपी मॉडल के लिए जाना चाहिए।

विज्ञान से कुछ मदद के साथ कूटनीति को मजबुत बनाना

संदर्भ –

1. भारत का चल रहा 'वैक्सीन मैत्री' अभियान, जिसका उद्देश्य कोविड–19 टीकों को अपने निकटवर्ती पड़ोस से दूर एवं दूर के देशों तक पहुँचाना है, जो आगे के विज्ञान के लिए अपने विज्ञान एवं तकनीकी लाभों का लाभ उठाने के लिए इसके विदेश नीति के उद्देश्य से सबसे महत्वपूर्ण पहल है।
2. भारत में निर्मित टीकों को सुरक्षित रखने के लिए ब्राजील एवं कनाडाई पीएम के नेताओं की सराहना ने वैश्विक दुनिया में बहुत ध्यान आकर्षित किया है।
3. इस स्वास्थ्य आपातकाल को संबोधित करने के भारत के प्रयासों को वैश्विक दक्षिण दुनिया के अपने सहयोगियों के नेताओं द्वारा और भी अधिक मुखर सराहना के साथ मिला।

वैक्सीन मैत्री प्राथमिकता –

1. भारत ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एवं सेशेल्स के लिए एक वैक्सीन रोलआउट की घोषणा की थी जो कि इसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अनुरूप है।
2. भारत वैक्सीन मैत्री, एवं सभी सार्क देशों के हिस्से के रूप में श्रीलंका को 5 लाख कोविड–19 टीके भेजने के लिए।

टेम्पलेट सेट करना –

1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की वैश्विक प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से इसके पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 21 जनवरी, 1959 को देश की विज्ञान कांग्रेस में अपने संबोधन के दौरान स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था।
2. नेहरू विज्ञान की रचनात्मक एवं विनाशकारी शक्ति दोनों के बारे में जानते थे एवं उन्होंने देश के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रगति की मांग की एवं अंतर–राज्य प्रतिद्वंद्विता पर प्रतिकूलता के अतिरिक्त जोर देने के साथ भारत के इरादे को स्पष्ट किया।
3. यह खाका 20 वीं सदी के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की व्यस्तता के लिए स्वर निर्धारित करेगा, एवं मिश्रित परिणामों के साथ मिल जाएगा जैसे अधिक शक्तिशाली राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने परमाणु एवं अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए की है।

हितों का दावा –

1. सीमाओं के बावजूद, भारत अभी भी एशिया एवं अफ्रीका जैसे स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में ग्लोबल साउथ से अपने सहयोगियों की सहायता करने में कामयाब रहा।

2. पिछली शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान देश का राष्ट्रीय आत्मविश्वास भी आर्थिक रूप से बढ़ा गत्यात्मकता ने अपने हितों के लिए अधिक सक्रिय सक्रियता का नेतृत्व किया।
3. भारत ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की स्थापना नवंबर 1999 में की।
4. 21 वीं सदी के शुरुआती वर्षों तक, इसने विदेशों में अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश की एवं फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में विकास सहायता के एक शुद्ध प्रदाता के रूप में उभर कर सामने आया।

पर्याप्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भागीदारी –

1. आक्रामक चीन के उदय को देखते हुए, 21 वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लिए अधिक अनुकूल थी जैसे कि भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में परमाणु एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के मुद्दे।
2. यूनाइटेड किंगडम, जापान, इजराइल, जर्मनी, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, दक्षिण कोरिया एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ पर्याप्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटकों को प्रभावित करने वाली रणनीतिक भागीदारी पर भारत हस्ताक्षर करेगा, क्योंकि इसने इसे और मजबूत किया है।

भारत की महत्वपूर्ण नीतिगत रूपरेखा –

1. देश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2013 स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय हित के साथ अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग से संबंधित है।
2. हाल ही में, प्रधान मंत्री देश की कूटनीतिक व्यस्तताओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को सबसे आगे रखने में श्रेणीबद्ध रहे हैं।
3. भारत के कूटनीति के राज्य उपकरण अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एक अधिक दृश्यमान संरेखण दिखाना शुरू करेंगे।
4. भारत वर्तमान में अपने विदेश मंत्रालय के तहत चार विकास भागीदारी प्रशासनों को क्षेत्र में रखता है, जिसके परिणामस्वरूप जून 2018 में क्यूबा में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने घोषणा की कि देश ने 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अपनी विकास सहयोग रणनीति के केंद्र में रखा था'।

कोविड–19 प्रतिक्रिया –

1. भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति को 2019 तक कोविड–19 महामारी के आकार में चीन से उत्पन्न एक अभूतपूर्व वैश्विक व्यवधान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परीक्षण किया जाएगा।
2. भारत का दुनिया भर में अपने सहयोगियों द्वारा स्वागत किया गया, 150 से अधिक देशों में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वाइन एवं पेरासिटामोल जैसी दवाओं को भेजकर वैश्विक चुनौती को संबोधित करने के लिए क्रियाशील था।
3. भारत की फार्मास्युटिकल फर्मों जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इंग्लेंड के ऑक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका वैक्सीन प्रोजेक्ट के साथ प्रतिस्पर्धा की, जबकि अन्य जैसे भारत बायोटेक ने कोवाक्सिन के आकार में स्वदेशी टीकों को जन्म दिया।
4. भारत की प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई, जब विकसित दुनिया अपने घरेलू मुद्दों एवं चीन की स्वास्थ्य कूटनीति को संबोधित करने की कोशिश में पहले से ही व्यस्त थी, जबकि इसकी अन्य विकास सहायता निषेधात्मक लागत के साथ आई थी।

समीक्षा के लिए क्षेत्र –

1. भारत, Aatmanirbhar Bharat पहल, क्षमता निर्माण के माध्यम से अधिकतम आत्मनिर्भरता को सुरक्षित करने का प्रयास करता है एवं एक ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी न केवल अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं सीमा पार से हितों बल्कि वैश्विक चुनौतियों का भी जवाब दे सकते हैं।
2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत का वित्तीय उत्थान देश के स्वयं के उत्थान को सक्षम बनाने के लिए होना चाहिए क्योंकि अनुसंधान एवं विकास प्रयासों में अपने राज्यों, विश्वविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी होनी चाहिए।
3. समय भारत के युवा वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों के लिए देश की विदेश नीति के उद्देश्यों के बारे में अधिक जागरूक बनाने के लिए, एवं बौद्धिक विभाजन को पाटने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में अधिक जानने के लिए नीति प्रतिष्ठान में सभी हितधारकों को सक्षम करने के लिए भी सही समय है।

निष्कर्ष –

1. 'विदेश मंत्रालय' द्वारा भारत की मदद के लिए एक साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन, एक ई–गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन एवं एक न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन के साथ पुनर्गठन किया गया है, जो देश के राजनयिक मैट्रिक्स में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मुद्दों का प्रबंधन करता है।
2. जैसा कि वैज्ञानिकों ने कोविड–19 वायरस के टीके विकसित किए, यह वैक्सीन निर्माण में एक स्थापित नेता भारत था, जो वैश्विक प्रावधान की चुनौती के लिए बढ़ गया। आदर्शवादी आह्वानों से परे, भारत की कोविड–19 प्रतिक्रिया भी अपने पड़ोसी पहले, अधिनियम पूर्व, इंडो–पैसिफिक एवं लुक वेस्ट नीतियों के साथ निकटता से जुड़ी हुई थी।
3. चल रहे कोविड–19 संकट ने देश को अपनी घरेलू एवं विदेशी नीतियों में मुख्यधारा की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए एक अद्वितीय स्थान प्रदान किया है। अब यह भारत के निर्णय निर्माताओं के लिए है कि वे इस संकट को एक अवसर में बदल दें।

मानवाधिकार सभी का कार्य है

संदर्भ –

- वर्तमान किसान विरोध प्रदर्शनों के लोकतांत्रिक एवं मानवाधिकार खंडन ने कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियों से समर्थन में मजबूत बयान प्राप्त कर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है।
- विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रतिक्रिया, जो लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अनुपातहीन थी, ये रही कि, ये भारत के 'आंतरिक मामला' है।
- सरकार को एहसास होना चाहिए कि लोकतंत्र एवं मानव अधिकार को दुनिया के बाकी हिस्सों से केवल प्रशंसा प्राप्त करने के लिए ही उपयोग ना किया जाए।

क्या 'लोकतांत्रिक एवं मानवीय अधिकार' का दमन घरेलू मुद्दे हैं

- 'देश के आंतरिक मामले के रूप में यह 'एक पत्नी की पिटाई करने वाले पति द्वारा अपने पड़ोसियों से बात करने' जैसा है।
- पर्यावरण कार्यकर्ता, दिषा रवि की गिरफ्तारी, किसान विरोध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए, मानवाधिकारों के लिए बोलने वालों को अपराधी बनाने के लिए सरकार के डिजाइनों को अनदेखा किया।
- सरकार का यह रवैया गृह मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया कंपनियों को दिए गए निर्देशों में भी दिखाई देता है, जो सरकार के विपरीत बोलने एवं व्यक्त करने वाले लोगों को रोकते हैं।

लोकतंत्र सुरक्षा के लिहाज से मानव अधिकारों का अपमान नहीं करता है –

- एक इतालवी तट पर सीरियाई, म्यांमार में रोहिंग्या, पाकिस्तान में हिंदु या मेक्सिको की सीमा पर शरणार्थी आदि से संबंधित हैं, जहाँ लोकतंत्र अपने विभिन्न औचित्यों वाले नागरिकों के सार्वभौमिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है।
- किसी भी सरकार को प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र में मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है। जब संसद में सरकार ने 'विदेशी विनाशकारी विचारधारा' की बात करती है, तो उस समय भारत और अधिक गलत नहीं हो सकता।

राष्ट्र एवं अधिकारों का विचार –

- भारत ने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार का विरोध करने के लिए दुनिया को एक साथ लाने में एक विशेष भूमिका निभाई, एवं सरकार द्वारा अश्वेत आबादी को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संप्रभुता को समाप्त करने के लिए 1962 तक का समय लगा।
- भारत 1950 के दशक से संयुक्त राष्ट्र द्वारा रंगभेद के खिलाफ एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति का गठन किये जाने तक संकल्पित बना रहा।
- रंगभेद शासन द्वारा 1963 में रिवोनिया मुकदमें के माध्यम से नेल्सन मंडेला को बदनाम करने एवं मौत की सजा सुनाने से, भारत द्वारा किए गए प्रयासों के कारण रोक लगी।

बीसवीं सदी में हस्ताक्षरित मुख्य दस्तावेज –

- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद युद्ध के बाद दुनिया के लिए शर्तें रखी गईं, इसने सभी लोगों के अधिकारों एवं सभी लोगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया।
- भारत पहले मानवाधिकार आयोग का सदस्य था, जिसे अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिलों का मसौदा तैयार करना था।
- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जनवरी 1947 से 10 दिसंबर, 1948 तक, जब इसे अंततः संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, का मसौदा तैयार किया गया था।

भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं मानवाधिकार –

- 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे प्रभावित करने एवं इसे संक्षिप्त व्यापक एवं अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
- महात्मा गांधी ने अप्रैल 1945 में एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था जिसे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के प्रतिभागियों को निर्देशित किया गया था एवं उन्होंने 8 अगस्त 1942 के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव से बड़े पैमाने पर उद्धृत किया गया।
- 'एआईसीसी समिति की राय थी कि भविष्य की शांति, सुरक्षा एवं दुनिया की प्रगति के लिए स्वतंत्र देशों की विश्व फेडरेशन की मांग है, इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की मांग किसी भी तरह से स्वार्थ नहीं है'
- विजयलक्ष्मी पंडित जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ने महात्मा गांधी एवं नेहरू के विचारों की वकालत की एवं उनकी सार्वभौमिकता एवं अधिकारों की अविभाज्य प्रकृति पर जोर दिया, जिसका सभी मनुष्यों को आनंद लेना चाहिए।
- हंसा मेहता, मीनू मसानी एवं लक्ष्मी मेनन जैसे भारतीयों के काम ने सभी मनुष्यों के लिए उत्पीड़न से मुक्ति के स्वतंत्रता आंदोलन के समान होने का संदेश दिया।

अधिकार अविभाज्य हैं –

- भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय परंपरा, रीति–रिवाजों या छिपी हुई प्रथाओं का सम्मान करने के बारे में व्यामोह का आह्वान नहीं किया।

- 'सर्वपल्ली राधाकृष्णन' उद्देश्य संकल्प' पर कहते हैं कि 'यह प्रयास भारतीय समाज की संरचना में एक मूलभूत परिवर्तन था, जो कि निरंकुशता, हर असत्य परंपरा के हर वर्ग को खत्म कर सकता है।'
- प्रस्तावना में उत्कीर्ण, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की तिकड़ी के रूप में उस नारे को लिखा गया जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्रभावशाली साबित हुआ था।
- अम्बेडकर जिन्होंने प्रस्तावना को अपनाने की पूर्व संध्या पर बताया कि कैसे स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए थे।
- समानता के बिना, स्वतंत्रता कई लोगों के वर्चस्व का निर्माण करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को समाप्त कर देगी। बंधुत्व के बिना, स्वतंत्रता कई लोगों के वर्चस्व का निर्माण करेगी एवं बंधुत्व के बिना, स्वतंत्रता एवं समानता चीजों का एक स्वाभाविक सामांजस्य नहीं बैठ सकता है। इसे बिठाने के लिए एक सिपाही की आवश्यकता होगी।

भारत के हालिया कदम –

- स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के बारे में अंतरराष्ट्रीय चिंताओं के उत्तर के रूप में आत्मनिर्भर होने का स्टिकर संप्रभुता के भड़कीले बहाने के पीछे छिपी असहमति के अधिकार को लोकतांत्रिक अधिकारों के ढलान के कड़वे सच से बचते हुए भारत नीचे की ओर जा रहा है।
- सबसे कठोर मामला जहां भारत ने दूसरे देशों के नागरिकों के मानवाधिकारों को अपना व्यवसाय बना लिया जब 2019 में उसके नागरिकता (संशोधन) अधिनियम ने तीन विदेशी देशों के कुछ उत्पीड़ित नागरिकों के लिए एक घर की पेशकश की।
- मामला, आधिकारिक तौर पर अपने विदेश मंत्री द्वारा श्रीलंका का दौरा कर, श्रीलंका सरकार को तमिल जीवन की रक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत की सीख देने वाले देश को और भी संदेहास्पद बना देता है।
- जब बात सार्वभौमिक मानवाधिकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय ध्यान की आती है, तो प्रमुख उदाहरण बांग्लादेश की मुक्ति का है, जिसे भारत ने इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए नेतृत्व किया।
- भारत ने दलाई लामा की मेजबानी करना जारी रखा है, जो उच्च–प्रोफाइल वैश्विक हस्तियों से दृश्य समर्थन प्राप्त करता है, नई दिल्ली के मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।

मुद्दा एक वास्तविकता समस्या है –

- सरकार ने सक्रिय रूप से विदेशी अनुमोदन प्राप्त किया है। विदेशी दूतों को पिछले हफ्ते कश्मीर के एक निर्देशित दौरे पर ले जाया गया था, क्योंकि सरकार के लिए विदेशियों के मामलों में एक अनुकूल राय मिल रही थी।
- अनुमोदन की लालसा किसी भी प्रचार–प्रसार वाले राजनेता के लिए स्वाभाविक है, लेकिन एक लोकतंत्र को केवल शेष विश्व से प्रशंसा पाने एवं जब अंतरराष्ट्रीय आवाजें असंतुष्टों के साथ एकजुटता व्यक्त करे तो 'आंतरिक मामलों' का बिगुल बजाने तक कम नही किया जा सकता।

निष्कर्ष –

- मानव एवं नागरिक अधिकारों पर यूडीएचआर, घोषणा में 30 लेख शामिल हैं जो किसी व्यक्ति के 'मूल अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता' का विवरण देते हैं एवं उनके सार्वभौमिक चरित्र को निहित, अविच्छेद्य एवं सभी मनुष्यों पर लागू होने योग्य मानते है।
- भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में वैश्विक चिंताओं को दूतों को गिरफ्तार करने, एम्पलीफायरों को धमकाने या सोशल मीडिया खातों को बंद करने से नहीं किया जा सकता है।
- भारत में यह समस्या काल्पनिक ना होकर वास्तविकता है। यदि सरकार अपनी छवि 'निश्चित' करना चाहती है, तो वास्तविकता को बदलना एवं सर्वोत्तम लोकतांत्रिक प्रथाओं का पालन करना एकमात्र टिकाऊ समाधान है।

CHAHAL ACADEMY

Chahal Academy has pan India presence

VISIT US AT

N New Delhi: 982-155-3677
Corporate Office
Office No.B-7, Lower Ground floor, Apsara Arcade Near Karol Bagh, Metro Gate No. 7, New Delhi - 110060

M Mumbai Branch: 990-911-1227
415, Pearl Plaza Building, 4th Floor, Exactly opp Station Next to Mc Donalds. Andheri West, Andheri West, Mumbai, Maharasthra,-

K Kolkata : 728-501-1227
31/3, Bankim Mukherjee Sarani, New Alipore, Block J- Siddharth Apartment, 3rd Floor, Opposite Corporation Bank, Kolkata - 700053, West Benga

A Ahmedabad: 726-599-1227
Office No. 104, First Floor Ratna Business Square, Opp. H.K.College, Ashram Road, Ahmedabad - 380009

A Anand: 720-382-1227
Head Office
T9-3rd Floor Diwaliba Chambers,Vallabh Vidyanagar, Near ICICI Bank, Bhai Kaka Statue, Anand - 388120

B Bhubaneswar : 720-191-1227
1899/3902, First Floor, Lane No. 2, Near Laxmi Narayan Temple, Nilakantha Nagar, Nayapalli, Bhubaneswar - 751006, Odisha.

C Chandigarh : 726-591-1227
2nd Floor, SCO-223, Sector-36-D, Above Chandigarh University Office, Chandigarh - 160036.

D Dehradun Branch: 721-119-1227
Near Balliwala Chowk, General Mahadev Singh Road, Kanwali, Dehradun, Uttarakhand- 248001.

G Gandhinagar: 6356061801
Office No. 122 , 1st Floor , Siddhraj Zori , KH, O, Sargasan Cross Road, Gandhinagar, Gujarat 382421

K Kanpur : 720-841-1227
2nd Floor, Clyde House, Opposite Heer Palace Cinema, The Mall Road, Kanpur Cantonment, Kanpur - 208004, Uttar Pradesh.

P Patna : 726-591-1227
3rd Floor, Pramila mansion, Opposite Chandan Hero Showroom, Kankarbagh Patna - 800020, Bihar

R Raipur Branch: 728-481-1227
D-117, first floor, Near Shri Hanuman Mandir, Sector-1, Devendra Nagar, Raipur, Chattisgarh- 492009.

R Rajkot Branch: 762-401-1227
3rd Floor,Balaji House 52 Janta Society Opp LIC Of IndiaTagore Road Rajkot 360001

R Ranchi: 728-491-1227
3rd Floor, SMU Building, Above Indian Overseas Bank, Purulia Road, New Barhi Toli, Ranchi - 834001, Jharkhand.

S Surat: 720-391-1227
Office No. 601, 6th Floor, 21st Century Business Centre, Besides World Trade Centre, Near Udhna Darwaja, Ring Road Surat - 395002

V Vadodara: 720-390-1227
102-Aman Square, Besides Chamunda Restaurant, Behind Fatehgunj Petrol Pump, Vadodara, Gujarat- 390002

COMING SOON : BENGALURU| GUWAHATI |HYDRABAD | JAIPUR | JAMMU | KOCHI | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE

Write us at: chahalacademy@gmail.com | www.chahalacademy.com

Follow us at: YouTube Linked in